

वार्षिक लेखा 2024-2025



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह ज़फर मार्ग
नई दिल्ली - 110002
www.ugc.gov.in

वार्षिक लेखा 2024-2025



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुरशाह ज़फर मार्ग

नई दिल्ली - 110002

www.ugc.gov.in

© विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

मुद्रित : मार्च, 2026
25 प्रतियां

मुद्रक एवं प्रकाशक : सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
डिजाईन एवं मुद्रण : दीया मीडिया आर्ट
: डी-41/ए, मेट्रो पिलर 33 के सामने, विकास मार्ग,
: लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
: फोन: 9312550335 | ई-मेल : infodma07@gmail.com

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

वित्तीय विवरण 2024-2025

अनुक्रमणिका


विवरण	पृष्ठ
वित्तीय विवरण	
31 मार्च 2025 तक तुलन पत्र (बैलेंस शीट)	5
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता	6
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्त एवं भुगतान खाते	7
अनुसूचियां एवं अनुलग्नक	
तुलन पत्र (बैलेंस शीट) का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां (1 से 8)	8-17
आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां (9 से 22)	18-34
बैंक बैलेंस (मुख्यालय)	35-36
राजस्व एवं पूंजी अनुदान के अनुलग्नक के अनुसार	37-48
वार्षिक लेखा जीपीएफ	49-51
वार्षिक लेखा एनपीएस	52-54
टिप्पणी और नीतियां	
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (अनुसूची-23)	55
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणी (अनुसूची-24)	56-57
टिप्पणियां और नीतियां	
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	58-78
पृथक लेखापरीक्षा के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं उसके आईयूसी केंद्रों की टिप्पणियां	79-101





विश्वविद्यालय अनुदान आयोग


31 मार्च 2025 की समाप्ति पर तुलन पत्र (बैलेंस शीट)

निधियों के स्रोत	अनुसूची	(राशि ₹ में)	(राशि ₹ में)
		2024-2025	2023-2024
कॉर्पस/पूँजी निधि	1	(4,830,210,394)	(4,583,683,446)
निर्दिष्ट / निमित्त / बंदोबस्ती निधियां	2	11,012,766	15,025,997
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	3	13,284,274,632	11,077,867,155
कुल		8,465,077,004	6,509,209,706
निधियों का उपयोग			
अचल परिसंपत्तियां	4		
मूर्त परिसंपत्तियां		89,611,245	83,185,970
अमूर्त परिसंपत्तियां		4,946,212	5,138,339
पूँजीगत कार्य प्रगति पर		3,645,512	656,507
निमित्त/ बंदोबस्ती निधि से निवेश			
दीर्घकालिक	5	-	522,848
अल्पकालिक			
अन्य निवेश	6	778,156,423	696,098,807
वर्तमान परिसंपत्तियां	7	7,408,172,965	5,520,646,958
ऋण, अग्रिम और जमा	8	180,544,647	202,960,276
कुल		8,465,077,004	6,509,209,706
प्रमुख लेखा नीतियाँ	23		
लेखाओं पर टिप्पणियाँ	24		


(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव


(जितेन्द्र)
उप सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव





विश्वविद्यालय अनुदान आयोग


31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा


(राशि ₹ में)

विवरण	अनुसूची	2024-2025	2023-2024
आय			
शैक्षणिक प्राप्तियां	9	-	-
अनुदान / सब्सिडी	10	206,959,245,013	201,010,183,637
निवेश से आय	11	-	-
उपाजित ब्याज	12	506,922,575	228,505,036
अन्य आय	13	311,957,978	30,991,506
पूर्वावधि आय	14	213,307,998	
कुल (क)		207,991,433,564	201,269,680,179
व्यय			
स्टाफ को भुगतान और हितलाभ (स्थापना व्यय)	15	1,329,705,660	527,007,779
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	10	206,666,729,388	200,042,112,024
शैक्षणिक व्यय	16	68,615	
प्रशासनिक और सामान्य व्यय	17	194,750,854	907,700,593
परिवहन व्यय	18	3,462,109	4,095,868
मरम्मत और रखरखाव	19	23,399,439	16,876,389
वित्तीय लागत (बैंक शुल्क)	20	19,115	-
अन्य व्यय	21	-	7,500,000
पूर्वावधि व्यय	22	11,938,178	5,035,078
मूल्यहास	4	28,258,507	22,363,340
कुल (ख)		208,258,331,865	201,532,691,071
शेष राशि व्यय पर आय की अधिकता (क-ख)		-266,898,301	-263,010,892
निर्दिष्ट निधि से/में स्थानांतरण		-	-
भवन निधि		-	-
अन्य (निर्दिष्ट)		-	-
शेष राशि अधिशेष / (घाटा) होने पर कॉर्पस कैपिटल फंड में ले जाया जाता है		-266,898,301	-263,010,892
प्रमुख लेखांकन नीतियां	23		
लेखाओं पर टिप्पणियां	24		


(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव


(जितेन्द्र)
उप सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव





विश्वविद्यालय अनुदान आयोग


31 मार्च 2025 की समाप्ति पर प्राप्तियां और भुगतान लेखा


(राशि ₹ में)

प्राप्तियां	2024-25	2023-2024	भुगतान	2024-25	2023-2024
प्रारंभिक जमा			व्यय		
बैंक में जमा राशि			स्थापना व्यय	1,090,796,050	296,887,683
बचत खाते(मुख्यालय)	5,515,910,256	7,628,931,404	प्रशासनिक व्यय	194,757,155	909,989,745
बचत खाते (क्षेत्रीय कार्यालय)	1,697,510	1,673,584	परिवहन व्यय	3,462,109	4,095,868
जमा खातों में(मुख्यालय)	522,848	522,848	मरम्मत और रखरखाव	23,399,439	16,876,389
निवेश और अग्रिम	696,098,807		वित्त लागत (बैंक प्रभार)	19,115	-
			शैक्षणिक व्यय	68,615	
			पूर्व अवधि व्यय	7,618,958	5,035,078
प्राधिकृत अनुदान			निमित्त/ बंदोबस्ती निधियों के विपरीत भुगतान (अनुसूची 11)		
मंत्रालयों से	198,206,919,000	190,894,629,006	निमित्त/ बंदोबस्ती निधियों के विपरीत भुगतान (अनुसूची 2)	5,673,468	277,908,152
मंत्रालयों से (विश्व स्तरीय संस्थान-आईओई)	10,000,000,000	14,719,950,000			
विभिन्न संस्थानों से अनुदान का प्रतिदाय	5,096,664,804	3,662,553,963	अनुदान पर व्यय	206,666,729,388	200,042,112,024
निमित्त निधि से प्राप्त राशि (अनुसूची 2)			अन्य भुगतान		
अग्रिम राशि की वसूली (अनुसूची 7)			अचल संपत्तियां (अनुसूची 4)	20,371,353	49,667,384
			शिक्षा मंत्रालय को वापस की गई राशि	4,059,169,710	5,136,779,760
			वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत अनुदान	337,649,021	3,803,394,046
			वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत अनुदान (विश्व स्तरीय संस्थान-आईओई)	-	357,153,871
व्याज आय			ऋण और अग्रिम		40,354,621
बैंक जमा	394,448,089	68,710,797	मानित विश्वविद्यालय के लिए प्रोसेसिंग फीस	-	7,500,000
ऋण और अग्रिम	6,311	112,683	अन्य भुगतान	-	12,740,035
बचत बैंक खाते (अनुसूची 12)	115,709,054	152,050,640			
निमित्त/ अक्षय निधियों के विपरीत प्राप्ति (अनुसूची 2)	1,660,238	14,597,647			
			जमा शेष		
ऋण और अग्रिम	19,121,941		बैंक में जमा राशि		
अन्य आय(अनुसूची 13)	311,957,978	30,991,506	बचत खातों में (मुख्यालय)	7,405,216,956	5,515,910,256
अन्य रसीद	40,438,645		बचत खातों में (आरओ)	-	1,697,510
पूर्व अवधि की आय	191,932,279		जमा खातों में (अनुसूची 5)	-	522,848
			निवेश और अग्रिम	778,156,423	696,098,807
कुल	220,593,087,760	217,174,724,078	कुल	220,593,087,760	217,174,724,078


(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव


(जितेन्द्र)
उप सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग





अनुसूची 1- कॉर्पस/पूँजीगत निधि


(राशि ₹ में)

विवरण	2024-2025	2023-2024
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-4,583,683,446	-4,370,339,938
जमा: कॉर्पस/पूँजी निधि में योगदान		
जमा: पूँजीगत व्यय के लिए उपयोग की जाने वाली सीमा तक भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	20,371,353	49,667,384
जमा: निमित्त निधियों से खरीदी गई परिसंपत्तियां		
जमा: आय और व्यय खाते से वर्ष के दौरान हस्तांतरित घटा/अधिशेष		
जमा: एफडीआर परिपक्वता यूजीसी नेट		
घटा: शिक्षा मंत्रालय को वापस की गई राशि		
घटा: जीपीएफ कॉर्पस फंड की राशि		
घटा: एनपीएस कॉर्पस फंड की राशि		
जमा: लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुसार अग्रिम का समायोजन		
जमा: लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुसार समायोजन		
जमा: व्यय की तुलना में अधिक आय का आय एवं व्यय लेखा से हस्तांतरण	-266,898,301	-263,010,892
कुल	(4,830,210,394)	(4,583,683,446)
(कटौती) आय एवं व्यय लेखा से हस्तांतरित घटा		-
वर्ष के अंत में शेष राशि	(4,830,210,394)	(4,583,683,446)


(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव


(जितेन्द्र)
उप सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 2 - निर्विष्ट/निमित्त/बंदोबस्ती निधि

(राशि ₹ में)

विवरण	बंदोबस्ती निधि	निधि-वार विवरण				कुल	
		अल्पसंख्यकों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2024-2025	2023-2024
क							
क) प्रारंभिक शेष	575,657	631,013	-	5,221,989	8,597,337	15,025,996	
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	-	2,341,048	
ग) निधियों के निवेश से आय (बचत-फ्लोवर्सी खाता)	41,964	34,118	-	113,200	520,783	12,213,263	
क) निवेश/अग्रिम पर अर्जित ब्याज	-	-	-	-	-	186	
ई) बचत बैंक खाते पर ब्याज	-	3,520	-	2,829	9,014	17,150	
च) अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	-	21,373	-	335,450	577,987	26,000	
कुल (क)	617,621	690,024	-	5,673,468	9,705,121	292,934,149	
ख							
निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोगध्व्य							
i) पूंजीगत व्यय	-	-	-	-	-	-	
ii) राजस्व व्यय	-	-	-	5,673,468	-	277,908,152	
कुल (ख)	-	-	-	5,673,468	-	277,908,152	
वर्ष के अंत में समाप्त शेष (क-ख)	617,621	690,024	-	0	9,705,121	15,025,997	
विवरण							
नकद और बैंक शेष	617,621	117,214	-	0	505,307	5,501,705	
निवेश		572,810	-	-	9,199,814	9,524,291	
ब्याज उपार्जित हुआ लेकिन देय नहीं						-	
कुल	617,621	690,024	-	0	9,705,121	15,025,997	

(Signature)

(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव

(Signature)

(जितेन्द्र)
उप सचिव

(Signature)

(सुदीप सिंह जैन)
बितीय सलाहकार

(Signature)

(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग





अनुसूची 3-वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान


(राशि ₹ में)

विवरण	2024-2025	2023-2024
वर्तमान देनदारियाँ		
जीवन बीमा प्रीमियम-प्रतिनियुक्ति		
समूह बीमा योजना-प्रतिनियुक्ति		
जीआईएस (कर्मचारी)		
लाइसेंस शुल्क		
ग्रेच्युटी/उपदान से रोकी गई राशि	974,876	791,726
न्यायालय द्वारा वसूली		
वाहन अग्रिम-प्रतिनियुक्ति		
निजी पक्षकारों से प्रतिभूति जमा-देनदारियाँ	2,041,380	2,379,880
कटौती किया गया कर/काटा गया जीएसटी अभी तक जमा नहीं किया गया है	8,550,951	5,082,326
एनपीएस-क्षेत्रीय कार्यालय		
अप्रयुक्त अनुदान	5,963,819,084	4,543,592,952
MOE को ब्याज आय वापसी योग्य	506,922,575	
ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण देय		
बंदोबस्ती निधि- अप्रयुक्त		
सेवानिवृत्ति लाभ देय	32,283,718	
ई-गवर्नेंस इनफ्लिबनेट ईएसटीटी अग्रिम	4,841,652	
कुल (क)	6,519,434,236	4,551,846,884
विविध लेनदार		
देय वेतन	12,858,187	12,689,585
वेतन कटौती	18,574,489	19,411,223
वेतन कटौती	8,178,318	6,801,768
देय व्यय	4,685,344	4,943,430
कुल (ख)	44,296,337	43,846,006
प्रावधानों		
अवकाश नकदीकरण देय	241,217,994	220,701,223
देय ग्रेच्युटी	275,335,978	280,440,736
पेंशन देय	6,203,390,087	5,980,062,306
लेखापरीक्षा शुल्क	600,000	970,000
कुल (ग)	6,720,544,059	6,482,174,265
कुल (क+ख+ग)	13,284,274,632	11,077,867,155


(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव


(जितेन्द्र)
उप सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग





अनुसूची 3सी- यूजीसी, भारत सरकार से अप्रयुक्त अनुदान


(राशि ₹ में)

विवरण	2024-2025	2023-2024
अनुदान: भारत सरकार		
शेष बी/एफ	4,543,592,952	5,623,638,681
जमा: वर्ष के दौरान अधिकृत अनुदान	198,206,919,000	190,894,629,006
जमा: वर्ष के दौरान अधिकृत अनुदान (विश्व स्तरीय संस्थान-आईओई)	10,000,000,000	14,719,950,000
घटा: वित्तीय वर्ष के अंत पर व्यपगत अनुदान	337,649,021	3,803,394,046
घटा: वित्तीय वर्ष के अंत पर व्यपगत अनुदान (विश्व स्तरीय संस्थान-आईओई)		357,153,871
कुल (क)	212,412,862,931	207,077,669,770
घटा: मंत्रालय को प्रतिदाय	4,059,169,710	5,136,779,760
घटा: राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया गया	191,862,580,209	182,984,833,545
घटा: अनुदान और सब्सिडी के लिए उपयोग किया गया (विश्व स्तरीय संस्थान-आईओई)	10,000,000,000	14,362,796,129
घटा: पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया गया	20,371,353	49,667,384
कुल (ख)	205,942,121,272	202,534,076,818
अप्रयुक्त सी/एफ (एबी)	6,470,741,659	4,543,592,952


(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव


(जितेन्द्र)
उप सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 4- अचल परिसंपत्तियाँ

(राशि ₹ में)

परिसंपत्ति शीर्ष	सकल ब्लॉक				वर्ष 2024-2025 के लिए मूल्यांकन				नेट ब्लॉक	
	ऑप बैलेंस 01.04.2024	परिचर्चन	कटौती	अंत शेष	मूल्यांकन अथ शेष	वर्ष में मूल्यांकन	कटौती/समायोजन	कुल मूल्यांकन	31.03.2025	31.03.2024
फर्नीचर और फिक्सचर	24,942,939	1,941,122		26,884,061	17,736,861	1,450,442	-	19,187,303	7,696,758	7,206,078
विजली के उपकरण	62,262,816	5,971,138		68,233,954	32,297,870	3,411,698	-	35,709,568	32,524,386	29,964,946
कंप्यूटर सहायक उपकरण	158,593,542	11,4770		158,708,312	115,595,311	12,360,610	-	127,955,921	30,752,391	42,998,231
पुस्तकालय पुस्तकें और पत्रिकाएँ	1,730,387	18,470		1,748,857	1,625,783	40,273	-	1,666,056	82,802	104,604
मोटर वाहन	6,693,208			6,693,208	6,117,703	299,977	-	6,417,680	275,527	575,505
कार्यालय उपकरण	4,541,426	2,460,736		7,002,162	2,204,822	525,162	-	2,729,984	4,272,180	2,336,606
वाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर	17,109,307	1,416,188		18,525,495		4,560,564	-	4,560,564	13,964,931	
श्रव्य दृश्य उपकरण		45,697		45,697		3,427	-	3,427	42,270	-
कुल (क)	275,873,625	11,968,121	-	287,841,746	175,578,350	22,652,153	-	198,230,503	89,611,245	83,185,970

पूँजीगत कार्य प्रगति पर (ख)	656,507	2,989,005	-	3,645,512	-	-	-	-	3,645,512	656,507
-----------------------------	---------	-----------	---	-----------	---	---	---	---	-----------	---------

अमूर्त संपत्ति	सकल ब्लॉक				वर्ष 2024-2025 के लिए मूल्यांकन				नेट ब्लॉक	
	ऑप बैलेंस 01.04.2024	परिचर्चन	कटौती	अंत शेष	मूल्यांकन अथ शेष	वर्ष में मूल्यांकन	कटौती/समायोजन	कुल मूल्यांकन	31.03.2025	31.03.2024
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	9,456,084	5,414,227		14,870,311	4,317,745	5,606,354	-	9,924,099	4,946,212	5,138,339
ई-पत्रिका	-	-		-	-	-	-	-	-	-
पेटेंट	-	-		-	-	-	-	-	-	-
कुल (ग)	9,456,084	5,414,227	-	14,870,311	4,317,745	5,606,354	-	9,924,099	4,946,212	5,138,339
सकल योग (क+ख+ग)	285,986,216	20,371,353	-	306,357,569	179,896,095	28,258,507	-	208,154,602	98,202,969	88,980,816

(मधु सूदन जोशी)

अवर सचिव

(जितेंद्र)

उप सचिव

(सुदीप सिंह जैन)

वित्तीय सलाहकार

(प्रो. मनिष आर जोशी)

सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग



अनुसूची 5- निर्दिष्ट/बंदोबस्ती निधियों से निवेश

(राशि ₹ में)

विवरण	2024-25	2023-2024
		निर्दिष्ट निधियां
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में		
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
बैंकों में सावधि जमा	0	522,848
अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)		
कुल	-	522,848

(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव

(जितेन्द्र)
उप सचिव

(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार

(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग



अनुसूची 6- निवेश- अन्य

(राशि ₹ में)

विवरण	2024-2025	2023-2024
1. केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में		-
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में		-
3. बैंकों में सावधि जमा	778,156,423	696,098,807
3. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		-
4. शेयर		-
5. डिबेंचर और बांड		-
6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)		-
कुल	778,156,423.00	696,098,807.00

(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव

(जितेन्द्र)
उप सचिव

(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार

(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग



अनुसूची 7- चालू/वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(राशि ₹ में)

विवरण	2024-2025	2023-2024
बैंक बैलेंस और निवेश-यूजीसी		
उपलब्ध राशि		-
बचत बैंक खाता मुख्यालय	7,405,216,956	5,515,910,256
बचत बैंक खाता क्षेत्रीय कार्यालय	-	1,697,509
विविध लेनदार		-
स्टेशनरी उपभोज्य भण्डार	2,956,009	3,039,192
बैंक बैलेंस और निवेश-जीपीएफ/सीपीएफ/एनपीएस-खाता		
कुल	7,408,172,965	5,520,646,958

(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव

(जितेन्द्र)
उप सचिव

(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग


अनुसूची 8- ऋण, अग्रिम और जमा




विवरण	2024-2025	2023-2024
अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियाँ		
सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम	145,249,761	141,948,753
सरकारी संपत्तियों के साथ प्रतिभूति जमा-परिसंपत्तियाँ	365,356	365,356
निजी पार्टियों के पास सुरक्षा जमा	127,095	
गृह निर्माण अग्रिम		-
गृह निर्माण अग्रिम-प्रतिनियुक्ति		
वाहन अग्रिम	-	177,571
त्यौहार अग्रिम		26,525
कंप्यूटर अग्रिम	365,002	239,752
जीवन बीमा योजना		
सामूहिक बीमा योजना		
लाइसेंस शुल्क-सरकारी आवास		
विविध प्राप्तियाँ-प्रतिनियुक्ति		
बैठक और सम्मेलन के लिए अग्रिम	728,314	684,994
टेलीफोन के लिए अग्रिम	-	97,944
लाइसेंस शुल्क अग्रिम		
रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ		
एलटीसी अग्रिम	251,468	1,259,549
चिकित्सा अग्रिम	874,059	794,010
पूर्व भुगतान बीमा		
किरोड़ीमल कॉलेज को अग्रिम	15,000,000	15,000,000
विविध कार्यालय व्यय अग्रिम	9,782,597	22,068,293
पूर्व भुगतान एएमसी		
टीए/डीए गैर-आधिकारिक अग्रिम	84,243	
टीए/डीए आधिकारिक अग्रिम (क्षेत्रीय कार्यालय)	-	356,000
प्रकाशन अग्रिम	1,251,550	1,209,550
पूर्वभुगतान/प्रीपेड सदस्यता	194,700	
सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशाला (एनईपी) के लिए अग्रिम		4,570,806
विविध अग्रिम ईआरओ कोलकाता		130,000
अन्य परिसंपत्तियाँ		
टीडीएस प्रेषण	120,000	
अग्रिम राशि		10,000
मोटर कार/मोटर साइकिल रखरखाव अग्रिम		
ई-गवर्नेंस इनफ्लिबनेट एस्टेट एडवांस		3,933,027
बैंक ऑफ बड़ौदा	701,229	701,229
एएमसी अग्रिम	71,621	842,590
अन्य अग्रिम		
उपार्जित आय		
बंदोबस्ती एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	-	52,809
उपार्जित ब्याज	5,229,470	8,470,349
उपार्जित किराया	148,182	21,169
कुल	180,544,647	202,960,276


(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव


(जितेन्द्र)
उप सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग





अनुसूची 9- शैक्षणिक प्राप्तियां


(राशि ₹ में)

विवरण	2024-2025	2023-2024
छात्रों से ली जाने वाली फीस		
शैक्षिक		
1. ट्यूशन फीस		-
2. प्रवेश शुल्क		-
3. नामांकन शुल्क		-
4. पुस्तकालय प्रवेश शुल्क		-
5. प्रयोगशाला शुल्क		-
6. कला एवं शिल्प शुल्क		-
7. पंजीकरण शुल्क		-
8. पाठ्यक्रम शुल्क		-
कुल (क)		-
परीक्षाएं		
1. प्रवेश परीक्षा शुल्क		
2. वार्षिक परीक्षा शुल्क		-
3. मार्कशीट, प्रमाण पत्र शुल्क		-
4. प्रवेश परीक्षा शुल्क		-
कुल (ख)		-
अन्य शुल्क		
1. पहचान पत्र शुल्क		-
2. जुर्माना/विविध शुल्क/दंड शुल्क		
3. चिकित्सा शुल्क		-
4. परिवहन शुल्क		-
5. छात्रावास शुल्क		-
6. संस्थानों से प्रसंस्करण शुल्क/नियामक प्रभार		
कुल(सी)		-
प्रकाशनों की बिक्री		
1. प्रवेश फॉर्म की बिक्री		-
2. पाठ्यक्रम और प्रश्नपत्र आदि की बिक्री।		-
3. प्रवेश फॉर्म सहित प्रॉस्पेक्टस की बिक्री		-
कुल (घ)		-


(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव


(जितेन्द्र)
उप सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग



अनुसूची 9- शैक्षणिक ङ्काप्तियां

(राशि ₹ में)

विवरण	2024-2025	2023-2024
अन्य शैक्षणिक प्राप्तियां		
1. कार्यशालाओं, कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण शुल्क		-
2. पंजीकरण शुल्क (अकादमिक स्टाफ कॉलेज)		-
कुल (इ)		-
सकल योग (क+ख+ग+घ+इ)		-

(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव

(जितेन्द्र)
उप सचिव

(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार

(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग





अनुसूची 10- अनुदान एवं सब्सिडी (प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान)


(राशि ₹ में)

विवरण	2024-2025	2023-2024
	भारत सरकार	भारत सरकार
शेष बी/एफ	4,543,592,952	5,623,638,681
जमा: वर्ष के दौरान अधिकृत अनुदान	198,206,919,000	190,894,629,006
जमा: वर्ष के दौरान अधिकृत अनुदान (विश्व स्तरीय संस्थान-आईओई)	10,000,000,000	14,719,950,000
घटा: वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत अनुदान	337,649,021	3,803,394,046
घटा: वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत अनुदान (विश्व स्तरीय संस्थान-आईओई)		357,153,871
जमा: वर्ष के दौरान आय	1,032,188,551	259,496,542
कुल	213,445,051,482	207,337,166,312
घटा: पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया गया	20,371,353	49,667,384
घटा: शिक्षा मंत्रालय को किया गया प्रतिदाय	4,059,169,710	5,136,779,760
जमा: अव्ययित अनुदान का प्रतिदाय	5,096,664,804	3,662,553,963
शेष	214,462,175,223	205,813,273,132
घटा: अनुदान और सब्सिडी के लिए उपयोग किया गया	196,666,729,388	185,679,315,895
घटा: अनुदान और सब्सिडी के लिए उपयोग किया गया (विश्व स्तरीय संस्थान-आईओई)	10,000,000,000	14,362,796,129
घटा: राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया गया	1,324,704,176	1,227,568,155
शेष सी/एफ (सी)	6,470,741,659	4,543,592,952


(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव


(जितेन्द्र)
उप सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग





अनुसूची 11- निवेश से आय


(राशि ₹ में)

विवरण	निर्दिष्ट/ बंदोबस्ती निधियां		अन्य निवेश	
	2024-2025	2023-2024	2024-2025	2023-2024
ब्याज	-	-	-	-
सरकारी प्रतिभूतियों से	-	-	-	-
अन्य बांड/डिबेंचर	-	-	-	-
सावधि जमा पर ब्याज	-	-	-	-
बचत बैंक खातों पर ब्याज	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
निर्दिष्ट/ बंदोबस्ती निधियों में स्थानांतरित				-
संतुलन		-		-


(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव


(जितेन्द्र)
उप सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग





अनुसूची 12- उपार्जित ब्याज


(राशि ₹ में)

विवरण	2024-2025	2023-2024
अनुसूचित बैंकों के बचत खातों पर	115,709,054	152,050,640
अनुसूचित बैंकों के साथ फ्लेक्सी खातों पर	391,207,210	76,341,713
ऋण पर		
कर्मचारी/स्टाफ	6,311	112,683
अन्य (केनरा बैंक)		
देनदारों और अन्य प्राप्य राशियों पर		
कुल	506,922,575	228,505,036


(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव


(जितेन्द्र)
उप सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग





(राशि ₹ में)


अनुसूची 13- अन्य आय

विवरण	2024-2025	2023-2024
भूमि एवं भवन से आय		
छात्रावास कक्ष किराया		
लाइसेंस शुल्क (यूजीसी स्टाफ क्वार्टर)		
सभागार/खेल का मैदान/ सम्मेलन केंद्र आदि से किराया प्रभार		
विजली शुल्क की वसूली		
कुल (क)	-	-
संस्थान के प्रकाशनों की बिक्री		
आयोजनों से आय		
वार्षिक समारोह/खेल उत्सव से सकल प्राप्तियां		
घटा: वार्षिक समारोह/खेल प्रतियोगिता पर खर्च किया गया प्रत्यक्ष व्यय		
उत्सवों से सकल प्राप्तियां		
घटा: उत्सव पर खर्च किया गया प्रत्यक्ष व्यय		
शैक्षणिक दौरो के लिए सकल प्राप्तियां		
घटा: दौरो पर खर्च किया गया प्रत्यक्ष व्यय		
अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है और अलग से दर्शाया जाएगा)		
कुल (ख)	-	-
अन्य		
आरटीआई शुल्क	21,609	
आवेदन पत्र की बिक्री (भर्ती)		
विविध प्राप्तियां (निविदा प्रपत्र, रद्दी कागज आदि की बिक्री)		62,240
मानित विश्वविद्यालय के लिए प्रोसेसिंग फीस	224,400,000	6,000,000
डीईवी के लिए प्रोसेसिंग फीस	18,647,600	23,346,123
प्रसंस्करण शुल्क - स्वायत्त महाविद्यालय	20,859,000	
प्रसंस्करण शुल्क - FHEI	26,142,728	
प्रसंस्करण शुल्क - अंतर्राष्ट्रीय सहकारी समिति	6,300,000	
प्रसंस्करण शुल्क - निजी विश्वविद्यालय	7,000,000	
सार्वजनिक उपक्रमों के साथ नेट स्कोर साझा करने का शुल्क	1,945,000	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		
स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां		
निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां		
संस्थाओं, कल्याणकारी निकायों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अनुदान/दान		
संगठन		
अग्रिमों पर ब्याज		
केनरा बैंक से किराया	127,013	627,382
अन्य (निर्दिष्ट करें)		
नेट जेआरएफ/प्रमाणपत्र	300	1,200
पेंशन और अवकाश वेतन (प्राप्त)	179,159	
जीपीएफ ब्याज		
लाइसेंस शुल्क- सरकारी आवास		-
विविध प्राप्त आरओ		-
अनुदानों की वापसी		
अन्य आय	6,335,569	954,561
कुल (ग)	311,957,978	30,991,506
सकल योग (क+ख+ग)	311,957,978	30,991,506


(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव


(जितेन्द्र)
उप सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग



अनुसूची 14- पूर्व अवधि की आय

(राशि ₹ में)

विवरण	2024-2025	2023-2024
1. शैक्षणिक प्राप्तियां		-
2. निवेश से आय		-
3. उपाजित ब्याज		-
4. अन्य आय	213,307,998	-
कुल	213,307,998	-

(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव

(जितेन्द्र)
उप सचिव

(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार

(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग





अनुसूची 15- स्टाफ भुगतान और लाभ (स्थापना व्यय)


(राशि ₹ में)

विवरण	2024-25	2023-2024
वेतन और मजदूरी	201,396,948	211,325,428
महंगाई भत्ता	107,806,626	92,763,158
परिवहन भत्ता	22,381,928	22,339,408
मकान किराया भत्ता (एचआरए)	39,249,768	38,231,257
बाल शिक्षा भत्ता	4,765,529	1,530,000
अन्य भत्ता	24,000	13,677
ओवर टाइम भत्ता		23,920
यात्रा भत्ता/ अधिकारी	4,425,027	6,361,026
यात्रा भत्ता /स्थापना	4,290	1,104,001
प्रतिनियुक्ति भत्ता	460,449	169,548
एलटीसी स्थापना	3,421,309	1,048,784
एलटीसी अधिकारी	897,149	458,286
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	46,314,073	38,704,180
मानदेय	122,660	62,600
पेंशन एवं अवकाश वेतन अंशदान	5,438,730	592,916
डिपॉजिट लिंक बीमा		60,000
अवकाश वेतन नकदीकरण (प्रावधान सहित)	54,799,372	61,995,719
पेंशन का परिवर्तित मूल्य (प्रावधान सहित)	263,653,196	
पेंशन*	386,734,439	
ग्रेच्युटी (प्रावधान सहित)	47,146,829	50,223,871
कर्मचारी भविष्य निधि (यूजीसी निरंतर)	293,306	
संविदा कर्मचारियों को वेतन*	126,049,213	
नई पेंशन योजना (यूजीसी अंशदान)*	14,320,819	
कुल	1,329,705,660	527,007,779


(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव


(जितेन्द्र)
उप सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग





अनुसूची 15ए-कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभ


(राशि ₹ में)

	पेंशन	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	कुल
01.04.2024 को प्रारंभिक शेष राशि	5,980,062,306	280,440,736	220,701,223	6,481,204,265
जमा: अन्य संगठनों से प्राप्त योगदानों का पूंजीकृत मूल्य				-
कुल (क)	5,980,062,306	280,440,736	220,701,223	6,481,204,265
घटा: वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान (ख)	427,059,854	52,251,587	34,282,601	513,594,042
31.03.2024 तक उपलब्ध शेष ग =(क-ख)	5,553,002,452	228,189,149	186,418,622	5,967,610,223
बीमांकिक मूल्यांकन (डी) के अनुसार 31.03.2025 को आवश्यक प्रावधान	6,203,390,087	275,235,978	241,217,994	6,719,844,059
क. चालू वर्ष में किया जाने वाला प्रावधान (डीसी)	650,387,635	47,046,829	54,799,372	752,233,836
ख) नई पेंशन योजना में अंशदान	-	-	-	-
ग) सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-	-	-	-
घ) सेवानिवृत्ति पर गृह नगर की यात्रा	-	-	-	-
ङ) जमा आधारित बीमा भुगतान	-	-	-	-
कुल (क+ख+ग+घ+ङ)	650,387,635	47,046,829	54,799,372	752,233,836


(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव


(जितेन्द्र)
उप सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग





अनुसूची 16- शैक्षणिक व्यय


(राशि ₹ में)

विवरण	2024-2025	2023-2024
क) प्रयोगशाला व्यय		-
ख) क्षेत्र कार्य/सम्मेलनों में भागीदारी		-
ग) सेमिनार/कार्यशालाओं पर व्यय		-
घ) विजिटिंग फैकल्टी को भुगतान		-
ङ) सीएमएटी और जीपीएटी की परीक्षा		-
च) छात्र कल्याण व्यय		-
छ) प्रवेश व्यय		-
ज) दीक्षांत समारोह का व्यय		-
झ) प्रकाशन		-
ञ) वजीफा/साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति		-
ट) सदस्यता व्यय	68,615	-
ठ) अन्य (निर्दिष्ट)		-
कुल	68,615	-


(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव


(जितेन्द्र)
उप सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग


अनुसूची 17- प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय




विवरण	2024-25	2023-24
आधारभूत संरचना		
बिजली और पानी का खर्च	19,881,012	13,472,484
किराया, दरें और कर (संपत्ति कर सहित)	2,487,207	5,133,338
संचार		
डाक	517,587	722,772
टेलीफोन व्यय	2,455,190	4,246,719
अन्य		
मुद्रण और स्टेशनरी (खपत)	4,245,016	275,444
कंप्यूटर व्यय	1,414,798	2,139,546
लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक	51,700	1,620,980
विज्ञापन	334,448	1,476,399
प्रकाशन	401,732	1,484,019
पत्रिकाएँ एवं जर्नल	1,033,488	830,623
टीए/डीए गैर सरकारी	2,902,480	1,127,407
मानदेय गैर सरकारी	5,905,050	4,587,022
सुरक्षा और सफाई व्यय	21,988,472	22,496,834
विविध कार्यालय व्यय	23,065,006	11,230,341
मनोरंजन व्यय	2,783,331	3,651,780
कानूनी खर्च	11,673,068	27,897,301
एंटी रैगिंग सेल का खर्च	21,477,620	19,216,067
एंटी रैगिंग- अभियान		7,110,573
गृह व्यवस्था व्यय	6,420,166	7,767,765
लिवरीज और वर्दी	119,432	-
अनुबंध आधारित कर्मचारियों को वेतन		126,472,258
भर्ती व्यय		-
बैठक एवं सम्मेलन व्यय	9,931,177	6,835,882
सीजीएचएस को दिया गया योगदान	7,139,411	5,294,930
नई पेंशन योजना (यूजीसी अंशदान)		13,619,114
स्टाइपेंडियम हंगारिकम छात्रवृत्ति कार्यक्रम	1,759,739	2,072,124
गैर-सदस्यों को मानदेय		-
सदस्यता एवं अंशदान		1,483,818
प्रशिक्षण (यूजीसी अधिकारी/कर्मचारी)	771,000	63,720
व्यावसायिक शुल्क	15,234,751	9,190,626
संस्थानों को प्रोसेसिंग शुल्क वापसी		-
आईटी सहायता शुल्क (एमएमटीटीपी)	5,500,000	-
स्वयं ई-सामग्री		3,670,000
पेंशन- सेवानिवृत्ति पर		213,211,695
पेंशन-मासिक		331,796,070
उकीरी ई-मोबिलिटी कार्यक्रम		
ई-गवर्नेंस इन्फ्लवनेट एस्ट	16,373,782	14,227,783
ई-शासन	104,312	1,933,583
ई-सामग्री विकास (स्थापना)		21,387,134
सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशाला (एनईपी)	6,703,415	17,979,312
शासन में नवाचार (स्मार्ट इंडिया हैकार्यॉन) (एनईपी)		
गैस पाईप लाईन	567,947	
मालवीय मिशन (इवेंट मैनेजमेंट)	1,279,952	440,612
कुल	194,522,289	906,166,074


(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव


(जितेन्द्र)
उप सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग


अनुसूची 17- एनएडी और आईओई





(राशि ₹ में)

विवरण	2024-2025			2023-2024		
	एनएडी	आईओई	कुल	एनएडी	आईओई	कुल
मानदेय			-			
टेलीफोन व्यय			-	22,600		22,600
टीए/डीए गैर सरकारी			-			-
विविध कार्यालय व्यय			-			-
अनुबंध आधारित कर्मचारियों को वेतन	218,780.00		218,780	1,479,669	32,250	1,511,919
बैठक एवं सम्मेलन व्यय			-			-
बैंक शुल्क		885	885			-
वाहन (टैक्सी) किराये का खर्च			-			-
मनोरंजन व्यय			-			-
टीए/डीए अधिकारी		800	800			-
वार्षिक रखरखाव शुल्क	8,100.00		8,100			-
			-			-
कुल	226,880	1,685	228,565	1,502,269	32,250	1,534,519
कुल योग			194,750,854			907,700,593


(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव


(जितेन्द्र)
उप सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग





अनुसूची 18- परिवहन व्यय


(राशि ₹ में)

विवरण	2024-25	2023-24
वाहन (संस्था के स्वामित्व वाले)		
परिचालन व्यय	1,328,396	2,438,587
मरम्मत और रखरखाव	478,371	391,882
बीमा व्यय	70,268	88,079
कार पार्किंग का व्यय		
परिवहन व्यय	177,571	37,451
किराये/लीज पर लिए गए वाहन		
किराया/लीज व्यय		
वाहन (टैक्सी) किराये का खर्च	1,407,503	1,139,869
मोटर कार/मोटर साइकिल रखरखाव		
कुल	3,462,109	4,095,868


 (मधु सूदन जोशी)
 अवर सचिव


 (जितेन्द्र)
 उप सचिव


 (सुदीप सिंह जैन)
 वित्तीय सलाहकार


 (प्रो. मनिष आर जोशी)
 सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग



अनुसूची 19- मरम्मत एवं रखरखाव

(राशि ₹ में)

विवरण	2024-25	2023-24
कार्यालय	17,621,808	11,460,171
फर्नीचर और फिक्स्चर	1,014,547	547,652
संयंत्र और मशीनरी		
कार्यालय उपकरण		
कंप्यूटर		
फोटोकॉपी मशीन		46,905
श्रव्य दृश्य उपकरण		
सफाई सामग्री और सेवाएँ		
वार्षिक रखरखाव शुल्क	4,763,084	4,821,661
बागवानी		
संपदा रखरखाव		
अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल	23,399,439	16,876,389

(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव

(जितेन्द्र)
उप सचिव

(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार

(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग



अनुसूची 20- वित्तीय लागत

(राशि ₹ में)

विवरण	2024-25	2023-24
बैंक शुल्क	13,893	-
ब्याज और विलंब शुल्क	5,221	
बैंक द्वारा काटा गया टीडीएस		
कुल	19,115	-

(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव

(जितेन्द्र)
उप सचिव

(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार

(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग



अनुसूची 21- अन्य व्यय

(राशि ₹ में)

विवरण	2024-2025	2023-2024
क) खराब एवं संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान		-
ख) वसूली न की जा सकने वाली शेष राशि को बड़े खाते में डाल दिया गया		-
ग) अन्य संस्थाओं/संगठनों को अनुदान/सब्सिडी		-
घ) अन्य (निर्दिष्ट करें)		-
डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए प्रोसेसिंग शुल्क		7,500,000
अग्रिम धन		
इवेंट मैनेजमेंट व्यय		
एनएडी		
कुल	-	7,500,000

(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव

(जितेन्द्र)
उप सचिव

(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार

(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग





अनुसूची 22- पूर्व अवधि व्यय


(राशि ₹ में)

विवरण	2024-2025	2023-2024
आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन		-
व्यावसायिक शुल्क		-
कर्मचारियों को वेतन	566,991	492,449
किराया, दरें और कर		-
मरम्मत और रखरखाव		-
विविध कार्यालय अनुभव		4,230,517
विज्ञापन विस्तार		-
एंटी रैगिंग		249,437
मनोरंजन व्यय		-
गृह व्यवस्था व्यय		-
बैठक एवं सम्मेलन व्यय		-
सुरक्षा और सफाई व्यय		-
मुद्रण और स्टेशनरी (खपत)		-
वार्षिक रखरखाव शुल्क	196,667	-
परिवहन व्यय		-
वाहन (टैक्सी) किराये का व्यय		-
मूल्यहास	4,319,220	
अन्य खर्चों	6,855,300	-
ई-गवर्नेंस इनफ्लिबनेट एस्टेट एडवांस		62,675
कुल	11,938,178	5,035,078


(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव


(जितेन्द्र)
उप सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग





बैंक बैलेंस 2024-2025


(राशि ₹ में)

क्र.सं.	बैंकों का नाम	लेखा प्रमुख	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	केनरा बैंक - 8627101000348	यूजीसी-स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय	266,715,620	248,814,642
2	केनरा बैंक - 3525101000402	एससी/एसटी के लिए पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप	172,513	182,593
3	केनरा बैंक - 3525101000403	एससी/एसटी ए/सी के लिए पीजी छात्रवृत्ति व्यावसायिक पाठ्यक्रम	5,147,707	5,034,547
4	केनरा बैंक - 3525101000404	विश्वविद्यालय बैंक के लिए पीजी छात्रवृत्ति	1,056,664	1,193,613
5	केनरा बैंक - 3525101000762	सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए एमरिटस फेलोशिप	697,620	916,464
6	केनरा बैंक - 3525101000763	महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप	116,994	161,623
7	केनरा बैंक - 3525101000764	विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में जेआरएफ नेट	17,100,140	9,265,692
8	केनरा बैंक - 3525101000820	डीएस कोठारी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप	1,190,280	810,265
9	केनरा बैंक - 3525101000407	एकल बालिका के लिए इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	7,936,051	6,889,279
10	केनरा बैंक - 3525101000839	बेसिक साइंटिफिक रिसर्च फेलोशिप	1,047,687	240,123
11	केनरा बैंक - 3525101000915	स्वामी विवेकानन्द एकल बालिका छात्रवृत्ति	-	51,658
12	केनरा बैंक - 3525101000918	ईशान उदय विशेष छात्रवृत्ति एनईआर के लिए	19,670,049	4,518,234
13	केनरा बैंक - 3525101000907	डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप	2,006,759	55,656
14	केनरा बैंक - 3525101000405	आरजीएनएफ-एससी	-	5,221,989
15	केनरा बैंक - 3525101000406	आरजीएनएफ-एसटी	9,705,121	8,597,337
16	केनरा बैंक - 3525101000181	MANF- अल्पसंख्यक	690,024	631,013
17	बैंक ऑफ बड़ोदा - 05860100022853	सीयू-एनईआर-जनरल	870,936,536	492,149,063
18	बैंक ऑफ इंडिया - 603010110003355	सीयू-जनरल	3,819,612,602	2,580,993,416
19	केनरा बैंक - 8627101002051	दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो	27,555,363	65,263,807
20	केनरा बैंक - 8627101002122	यूजीसी-जनरल	1,344,895,352	1,546,314,398
21	केनरा बैंक - 8627101002123	यूजीसी-एससी	56,147,238	56,212,027
22	केनरा बैंक - 8627101002124	यूजीसी-एसटी	66,984,061	47,424,922
23	केनरा बैंक - 8627101002244	एनएडी	26,996,249	26,313,646
24	केनरा बैंक - 3525101001240	पीजी स्कूल एमई/एम.टेक/एम.फार्मा से लेकर जीटीई/जीपीएटी योग्य उम्मीदवारों के लिए	2,081,425	2,698,985
25	केनरा बैंक - 3525101001241	बीएसआर फेकल्टी फेलोशिप	132,726	85,647
26	बैंक ऑफ महाराष्ट्र - 60286126815	एनईआर-जनरल	265,718,873	265,504,306
27	बैंक ऑफ महाराष्ट्र - 60286127693	एनईआर-एससी	3,749,160	4,798,398
28	केनरा बैंक - 8627101002314	उत्कृष्ट संस्थान	513,262	508,315
29	बैंक ऑफ महाराष्ट्र - 60286128018	एनईआर-एसटी	40,603,936	41,064,768
30	केनरा बैंक - 8627101002502	एंटी रैगिंग	62,830	4,167,888
31	भारतीय रिजर्व बैंक - 10671201001	टीएसए	-	-
32	केनरा बैंक - 110047198540	प्रोसेसिंग फीस - DEB	44,442,713	46,360,632
33	आईसीआईसीआई - 000701271731	एनएम्ईआईसीटी	1,318	1,308
34	भारतीय रिजर्व बैंक - 10671201002	टीएसए	-	-
35	केनरा बैंक 110108787633	एकल बालिका के लिए सावित्री भाई ज्योति राव फुले फेलोशिप	1,189,716	629,865
36	केनरा बैंक 110108721499	सीएनए	157,027	40,959,139
37	केनरा बैंक 110172617636	सीएनए	193,961	1,875,000
38	केनरा बैंक 110121283351	प्रोसेसिंग फीस - स्वायत्त कॉलेज	50,670,910	
39	केनरा बैंक 110124599690	प्रोसेसिंग फीस - इंटरनेशनल को.ऑप	6,409,539	
40	केनरा बैंक 110124735181	प्रोसेसिंग फीस - डीम्ड यूनिवर्सिटी	403,462,617	
41	केनरा बैंक 110126613229	प्रसंस्करण शुल्क- FHEI	38,038,016	
42	केनरा बैंक 110204135828	एमएमटीटीपी	24,508	
43	केनरा बैंक 110155633858	स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	203,415	
44	केनरा बैंक 110222186116	प्रोसेसिंग फीस - निजी विश्वविद्यालय	1,180,375	
	कुल		7,405,216,956	5,515,910,256


(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव


(जितेन्द्र)
उप सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बैंक बैलेंस 2024-2025



(राशि ₹ में)

आरओ-लेखा

क्र.सं.	बैंको का नाम	आर.ओ. नाम	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - 527102010003371	सी.आर.ओ. भोपाल	-	1,697,509
	कुल		-	1,697,509
	कुल योग		7,405,216,956	5,517,607,766

(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव

(जितेन्द्र)
उप सचिव

(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार

(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग



विभिन्न संस्थानों के लिए सहायता अनुदान का भुगतान 2024-2025

(राशि ₹ में)

लेखा प्रमुख	योजना	मंत्रालयों	मात्रा
राजस्व पूंजी शीर्ष (1, 2, 3, 4)	राजस्व पूंजी निधि (यूजीसी मुख्यालय एवं)	शिक्षा मंत्रालय	206,666,729,388
कुल योग			206,666,729,388

स्थान:

दिनांक :

(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव

(जितेन्द्र)
उप सचिव

(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार

(प्रा. मनिष आर जोशी)
सचिव


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग





राजस्व पूंजी उपयोग क्षेत्रवार (1-9)


(राशि ₹ में)

क्षेत्र	विशिष्ट	राशि-31, 35, 36
क्षेत्र- 1	केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान	155,469,931,059
क्षेत्र- 2	डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान	5,143,559,128
क्षेत्र- 3	यूजीसी योजना के लिए अनुदान	35,496,515,753
क्षेत्र- 4	शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट निधि	10,556,723,448
क	एचआरडी का योग (1, 2, 3, 4)	206,666,729,388
क्षेत्र- 5	एससी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	-
क्षेत्र- 6	एसटी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	-
क्षेत्र -7	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	-
क्षेत्र - 9	ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	-
ख	कुल (5, 6, 7, 9)	-
(क+ख)	कुल योग	206,666,729,388


(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव


(जितेन्द्र)
उप सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग





राजस्व पूंजी शीर्ष (क्षेत्र 1 से 9)


(राशि ₹ में)

क्षेत्र	विशिष्ट	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
क्षेत्र - 1	केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान	50,498,715,669	9,788,353,870	95,182,861,520	155,469,931,059
क्षेत्र - 2	डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान	1,580,000,000	-	3,563,559,128	5,143,559,128
क्षेत्र - 3	यूजीसी योजना के लिए अनुदान	26,383,373,503	901,340,821	8,211,801,429	35,496,515,753
क्षेत्र - 4	शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट निधि	4,084,311,602	6,472,411,846	-	10,556,723,448
क्षेत्र - 5	एससी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	-	-	-	-
क्षेत्र - 6	एसटी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	-	-	-	-
क्षेत्र - 7	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	-	-	-	-
क्षेत्र - 9	ओबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	-	-	-	-
	कुल	82,546,400,774	17,162,106,537	106,958,222,077	206,666,729,388


(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव


(जितेन्द्र)
उप सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग



ज्ञान-विद्या विमुक्तये

राजस्व पूंजी मदवार विवरण

(राशि ₹ में)

शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष
क्षेत्र-1	केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान				
1(क)	केंद्रीय विश्वविद्यालय	30,657,984,450	6,478,750,011	53,916,324,912	91,053,059,373
1(ख)	केंद्रीय विश्वविद्यालय-एस.सी.	2,382,722,531	614,040,836	4,222,794,967	7,219,558,334
1(ग)	सेंट्रल यूनिवर्सिटीज-एसटी	1,141,866,289	357,999,071	2,018,765,942	3,518,631,302
1(घ)	सेंट्रल यूनिवर्सिटीज-एनईआर	4,498,919,123	1,856,405,783	9,278,058,768	15,633,383,674
1(ङ)	सेंट्रल यूनिवर्सिटीज-एनईआर-एससी	356,383,451	156,981,882	704,596,948	1,217,962,281
1(च)	सेंट्रल यूनिवर्सिटीज-एनईआर-एसटी	174,572,058	74,176,287	344,773,009	593,521,354
1(छ)	आईएमएस (बीएचयू) सीयू-जनरल	2,094,900,000	227,700,000	819,600,000	3,142,200,000
1(ज)	आईएमएस (बीएचयू) सीयू-एससी	136,800,000	14,800,000	53,700,000	205,300,000
1(झ)	आईएमएस (बीएचयू) सीयू-एसटी	68,300,000	7,500,000	26,700,000	102,500,000
1(ञ)	दिल्ली/बीएचयू कॉलेज - सामान्य	8,106,232,864	-	21,315,939,873	29,422,172,737
1(त)	दिल्ली/बीएचयू कॉलेज -एससी	587,221,251	-	1,683,587,863	2,270,809,114
1(थ)	दिल्ली/बीएचयू कॉलेज -जनरल एसटी	292,813,652	-	798,019,238	1,090,832,890
1(द)	एपी और तेलंग का सीयू। जनजातीय विश्वविद्यालय-जनरल	-	-	-	-
1(ध)	एपी और तेलंग का सीयू। जनजातीय विश्वविद्यालय-एससी	-	-	-	-
1(न)	एपी और तेलंग का सीयू। जनजातीय विश्वविद्यालय-एसटी	-	-	-	-
1(प) (I)	केंद्रीय विश्वविद्यालय ईडब्ल्यूएस-जनरल	-	-	-	-
1(प) (II)	केंद्रीय विश्वविद्यालय ईडब्ल्यूएस-एससी	-	-	-	-
1(प) (III)	केंद्रीय विश्वविद्यालय ईडब्ल्यूएस-एसटी	-	-	-	-
1(फ) (I)	केंद्रीय विश्वविद्यालय (एनईआर) ईडब्ल्यूएस-जनरल	-	-	-	-
1(फ) (II)	केंद्रीय विश्वविद्यालय (एनईआर) ईडब्ल्यूएस-एससी	-	-	-	-
1(फ) (III)	सेंट्रल यूनिवर्सिटीज (एनईआर) ईडब्ल्यूएस-एसटी	-	-	-	-
1(ब)	केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (सामान्य)	-	-	-	-
1(भ)	केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (एससी)	-	-	-	-
1(म)	केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (एसटी)	-	-	-	-
1(य)	केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एनईआर (सामान्य)	-	-	-	-
1(र)	केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एनईआर (एससी)	-	-	-	-
1(ल)	केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एनईआर (एसटी)	-	-	-	-
	कुल (क)	50,498,715,669	9,788,353,870	95,182,861,520	155,469,931,059

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

राजस्व पूंजी मदवार विवरण

(राशि ₹ में)

शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष
क्षेत्र-2	मानित विश्वविद्यालय के लिए अनुदान				
2(क)	मानित विश्वविद्यालय	1,424,400,000	-	3,257,579,269	4,681,979,269
2(ख)	मानित विश्वविद्यालय-एससी	102,100,000	-	206,229,025	308,329,025
2(ग)	मानित विश्वविद्यालय-एसटी	53,500,000	-	99,750,834	153,250,834
	कुल (ख)	1,580,000,000	-	3,563,559,128	5,143,559,128
क्षेत्र-3	यूजीसी योजना के लिए अनुदान				
3(क)					
3(क) 1	प्रशासन, यूजीसी	-	-	-	-
3(क)(2)(I)	आईयूसी/एमसी	715,847,498	392,064,000	716,851,496	1,824,762,994
3(क)(2)(II)	ईएमएमआरसी और सीईसी	182,799,707	29,698,268	372,660,687	585,158,662
3(क)(2)(IV)	राष्ट्रीय सुविधा केंद्र	19,177,650	11,257,000	19,258,541	49,693,191
3(क) 3	पंजाब विश्वविद्यालय को रखरखाव अनुदान	-	-	4,397,811,000	4,397,811,000
3(क)(4)(I)	राज्य विश्वविद्यालयों को अनुदान	-	216,250,000	-	216,250,000
3(क) 5 EG	समान अवसर सेल	185,072	-	-	185,072
3(क) 5(I) EG	एससी/एसटी/ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारात्मक कोचिंग	389,438	-	-	389,438
3(क) 5(II) EG	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए नेट की कोचिंग	258,463	-	-	258,463
3(क) 5(III) EG	एससी/एसटी/ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश हेतु कोचिंग कक्षाएं	356,500	-	-	356,500
3(क) 5(V)	अल्पसंख्यकों/एससी/एसटी और महिलाओं के लिए आवासीय कोचिंग अकादमी की स्थापना	12,626,543	-	-	12,626,543
3(क) 5(VI) EG	युगांतरकारी सामाजिक विचारकों पर विशेष अध्ययन	900,000	-	-	900,000
3(क) 5(VII)	सामाजिक बहिष्कार और समावेशी नीति अध्ययन केंद्र	68,986,475	-	-	68,986,475
3(क) 5(VII) EG	सामाजिक बहिष्कार और समावेशी नीति अध्ययन केंद्र	1,344,000	-	-	1,344,000
3(क) 5(VIII)	विकलांग व्यक्तियों के लिए योजनाएँ	2,110,082	-	-	2,110,082
3(क) 5(VIII) EG	विकलांग व्यक्तियों के लिए योजनाएँ	4,371,500	-	-	4,371,500
3(क) (6)	महिला अध्ययन केंद्र/महिला अध्ययन	70,425,361	-	-	70,425,361
3(क) (6) EG	महिला अध्ययन केंद्र/महिला अध्ययन	5,184,716	-	-	5,184,716
3(क) (8)(II) EG	उत्कृष्टता की संभावना वाले कॉलेज	9,369,966	-	-	9,369,966
3(क) 9(I)	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	34,465,402	-	-	34,465,402

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग



राजस्व पूंजी मदवार विवरण

(राशि ₹ में)

शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष
3(क) 9(II)	रमन पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप	617,534	-	-	617,534
3(क) 9(II) EG	रमन पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप	437,242	-	-	437,242
3(क) 9(III)	स्टाइपेंडियम हंगारिकम छात्रवृत्ति कार्यक्रम	7,500	-	-	7,500
3(क) 10	विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को खेल अवसंरचना विकास और उपकरण	337,397,605	-	-	337,397,605
3(क) 10 EG	अकादमिक स्टाफ कॉलेज/एचआरडीसी/एचआरवीई	1,556,390	-	-	1,556,390
3(क) 11(I)	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) विज्ञान	2,009,456	-	-	2,009,456
3(क) 11(II)	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	2,000,644	-	-	2,000,644
3(क) 13(I)	रैंक धारकों के लिए पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	2,905,823	-	-	2,905,823
3(क) 13(II)	एकल बालिका के लिए इंदिरा गांधी पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	5,901,163	-	-	5,901,163
3(क) 13(III)	एमेरिटस फेलोशिप (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	102,021	-	-	102,021
3(क) 13(IV)	महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	1,638,392	-	-	1,638,392
3(क) 13(V)	नेट योग्य उम्मीदवारों के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप	23,836,809	-	-	23,836,809
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	13,172,474,786	-	-	13,172,474,786
3(क) 13(VI)	डॉ. एस. राधाकृष्णन पीडीएफ (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	50,000	-	-	50,000
3(क) 13(VII)	स्वामी विवेकानंद सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	1,532,049	-	-	1,532,049
3(क) 13(VIII)	डॉ. डीएस कोठारी पीडीएफ (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	96,761,851	-	-	96,761,851
3(क) 13(X)	बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुदान (बीएसआर)	14,035,152	-	318,654,239	332,689,391
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	9,031,360	-	-	9,031,360
3(क) 13(XI)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)				
	ऑनलाइन स्थानांतरण (एससी)				
3(क) 13(XII)	एमई/एम.टेक. से लेकर गेट उत्तीर्ण छात्रों के लिए पीजी छात्रवृत्ति	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	127,565,254	-	-	127,565,254
3(क) 13(XV)	सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप	-	-	-	-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

राजस्व पूंजी मदवार विवरण

(राशि ₹ में)

शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	513,832,502	-	-	513,832,502
3(क) 13(XX)	स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (सामान्य)	2,395,050,000	-	-	2,395,050,000
3(क) 14(I)	शिक्षकों को अनुसंधान पुरस्कार	200,950	-	-	200,950
3(क) 14(I) EG	शिक्षकों को अनुसंधान पुरस्कार	1,281,688	-	-	1,281,688
3(क) 14(II)	अनुसंधान वैज्ञानिक	-	-	23,012	23,012
3(क) 14(III)	प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएँ				
	(विज्ञान	153,868	-	-	153,868
	(बी) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	269,145	-	-	269,145
3(क) 14(III) EG	प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएँ				
	(विज्ञान	475,933	5,000	-	480,933
	(बी) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	80,000	-	-	80,000
3(क) 14(IV) EG	लघु शोध परियोजनाएं (कॉलेज)	19,730	-	-	19,730
3(क) 15 EG	उच्च शिक्षा और सामुदायिक कॉलेजों में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत (एनएसक्यूएफ)	43,563,559	1,872,567	-	45,436,126
3(क) 15(II) EG	परामर्श	2,971,244	-	-	2,971,244
3(क) 16(I) EG	स्वायत्त कॉलेज	55,903,468	4,091,700	-	59,995,168
3(क) 16(III) EG	यात्रा अनुदान	128,629	-	-	128,629
3(क) 16(XIV)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पीठों की स्थापना	17,834,732	-	-	17,834,732
3(क) 16(XVIII)	प्रतिबद्ध देयताएं (पुरानी यूजीसी योजनाएं)	68,500	1,250,000	-	1,318,500
3(क) 16(XVIII) EG	प्रतिबद्ध देयताएं (पुरानी यूजीसी योजनाएं)	-	631,344	-	631,344
3(क) 16(XIX)	जर्नल/केयर योजना	1,550,417	-	-	1,550,417
3(क) 17	एनईपी कार्यान्वयन	189,647	-	-	189,647
	कुल	17,962,233,416	657,119,879	5,825,258,975	24,444,612,270
3(क)-ऑनलाइन योजना		16,326,845,201	-	-	16,326,845,201
3(क)-EG		128,777,538	6,600,611	-	135,378,149
	उप योग	1,506,610,677	650,519,268	5,825,258,975	7,982,388,920
3(ख)					
3(ख) 1	एडमिन यूजीसी	-	-	-	-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

राजस्व पूंजी मदवार विवरण

(राशि ₹ में)

शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष
3(ख)(2) (I)	आईयूसी/एमसी	159,415,000	97,222,525	176,827,900	433,465,425
3(ख) 2(II)	ईएमएमआरसी और सीईसी	40,282,432	6,120,123	71,248,928	117,651,483
3(ख) 2(IV)	राष्ट्रीय सुविधा केंद्र	4,456,344	3,187,001	6,082,631	13,725,976
3(ख) 3	पंजाब विश्वविद्यालय को रखरखाव अनुदान	-	-	1,184,638,000	1,184,638,000
3(ख)(4)(I)	राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लॉक अनुदान	-	22,500,000	-	22,500,000
3(ख)(4)(III) EG	कॉलेजों को ब्लॉक अनुदान	-	68,222	-	68,222
3(ख) 5 EG	समान अवसर सेल	35,820	-	-	35,820
3(ख) 5(I) EG	एससी/एसटी/ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारात्मक कोचिंग	75,375	-	-	75,375
3(ख) 5(II) EG	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए नेट की कोचिंग	50,025	-	-	50,025
3(ख) 5(III) EG	एससी/एसटी/ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश हेतु कोचिंग कक्षाएं	69,000	-	-	69,000
3(ख) 5(V)	अल्पसंख्यकों/एससी/एसटी और महिलाओं के लिए आवासीय कोचिंग अकादमी की स्थापना	2,448,548	-	-	2,448,548
3(ख)5(VII)	सामाजिक बहिष्कार और समावेशी नीति अध्ययन केंद्र	12,017,755	-	-	12,017,755
3(ख) 6	महिला अध्ययन केंद्र/महिला अध्ययन	14,826,390	-	-	14,826,390
3(ख) 6 EG	महिला अध्ययन केंद्र/महिला अध्ययन	1,091,519	-	-	1,091,519
3(ख)(8)(II) EG	उत्कृष्टता की संभावना वाले कॉलेज	2,238,698	-	-	2,238,698
3(ख) 10	अकादमिक स्टाफ कॉलेज/एचआरडीसी/एचआरवीई	62,842,722	-	-	62,842,722
3(ख) 10 EG	अकादमिक स्टाफ कॉलेज/एचआरडीसी/एचआरवीई	241,600	-	-	241,600
3(ख) 11(I)	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) विज्ञान	237,286	-	-	237,286
3(ख) 11(II)	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	176,872	-	-	176,872
3(ख) 11(II) EG	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	-	-	-	-
3(ख) 11(III)	STRIDE (भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए ट्रांस-डिसिप्लिनरी अनुसंधान योजना)	-	-	-	-
3(ख) 12	रैगिंग विरोधी उपाय	-	-	-	-
3(ख) 13(V)	नेट योग्य उम्मीदवारों के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (एससी)	3,791,755,002	-	-	3,791,755,002
3(ख) 13(IX)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (एससी)	2,279,117	-	-	2,279,117
3(ख) 13 (X)	बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुदान (बीएसआर) (ऑनलाइन योजना)	1,000,000	-	-	1,000,000

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग



राजस्व पूंजी मदवार विवरण

(राशि ₹ में)

शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष
	ऑनलाइन स्थानांतरण (एससी)	-	-	-	-
3(ख) 13(XI)	एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (एससी)	4,134,525	-	-	4,134,525
3(ख) 14(II)	अनुसंधान वैज्ञानिक	-	-	4,237,227	4,237,227
3(ख) 16(I) EG	स्वायत्त कॉलेज	11,967,551	934,347	-	12,901,898
3(ख) 16(XVIII) EG	कैरियर परामर्श प्रकोष्ठों सहित शिक्षा के लिए कैरियर अभिविन्यास	-	128,000	-	128,000
3(ख) 17	एनईपी कार्यान्वयन	39,926	-	-	39,926
					-
	कुल	4,111,681,507	130,160,218	1,443,034,686	5,684,876,411
3(ख)-ऑनलाइन योजनाएँ		3,798,168,644	-	-	3,798,168,644
3(ख)-EG		15,769,588	1,130,569	-	16,900,157
	उप योग	297,743,275	129,029,649	1,443,034,686	1,869,807,610
3(ग)					
3(ग) 1	एडमिन यूजीसी	-	-	-	-
3(ग) (2) (I)	आईयूसी/एमसी	79,793,624	57,112,000	191,841,694	328,747,318
3(ग) 2(II)	ईएमएमआरसी और सीईसी	22,412,884	3,074,422	35,376,717	60,864,023
3(ग) 2(IV)	राष्ट्रीय सुविधा केंद्र	1,626,000	1,609,018	-	3,235,018
3(ग) 3	पंजाब विश्वविद्यालय को रखरखाव अनुदान	-	-	703,819,000	703,819,000
3(ग) (4)(I)	राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लॉक अनुदान	-	11,250,000	-	11,250,000
3(ग) (4)(III) EG	कॉलेजों को ब्लॉक अनुदान	-	34,110	-	34,110
3(ग) 5 EG	समान अवसर सेल	17,910	-	-	17,910
3(ग) 5(I) EG	एससी/एसटी/ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारात्मक कोचिंग	37,687	-	-	37,687
3(ग) 5(II) EG	एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए नेट की कोचिंग	25,012	-	-	25,012
3(ग) 5(III) EG	एससी/एसटी/ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश हेतु कोचिंग कक्षाएं	34,500	-	-	34,500
3(ग) 5(V)	अल्पसंख्यकों/एससी/एसटी और महिलाओं के लिए आवासीय कोचिंग अकादमी की स्थापना	1,216,327	-	-	1,216,327
3(ग) 5(VII)	सामाजिक बहिष्कार और समावेशी नीति अध्ययन केंद्र	6,008,877	-	-	6,008,877

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

राजस्व पूंजी मदवार विवरण

(राशि ₹ में)

शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष
3(ग) (6)	महिला अध्ययन केंद्र/महिला अध्ययन	7,413,197	-	-	7,413,197
3(ग) (6) EG	महिला अध्ययन केंद्र/महिला अध्ययन	545,759	-	-	545,759
3(ग) (8)(II) EG	उत्कृष्टता की संभावना वाले कॉलेज	1,119,350	-	-	1,119,350
3(ग) 10	अकादमिक स्टाफ कॉलेज/एचआरडीसी/एचआरवीई	31,942,903	-	-	31,942,903
3(ग) 10 EG	अकादमिक स्टाफ कॉलेज/एचआरडीसी/एचआरवीई	120,800	-	-	120,800
3(ग) 11(I)	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) विज्ञान	118,643	-	-	118,643
3(ग) 11(II)	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	88,435	-	-	88,435
3(ग) 13(V)	नेट योग्य उम्मीदवारों के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप	-	-	-	-
	ऑनलाइन स्थानांतरण (एसटी)	1,707,921,002	-	-	1,707,921,002
3(ग) 13 (X)	बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुदान (बीएसआर) (ऑनलाइन योजना)	-	-	12,470,357	12,470,357
	ऑनलाइन स्थानांतरण (एसटी)	-	-	-	-
3(ग) 16(I) EG	स्वायत्त कॉलेज	5,983,776	467,174	-	6,450,950
3(ग) 16(XVIII) EG	कैरियर परामर्श प्रकोष्ठों सहित शिक्षा के लिए कैरियर अभिविन्यास	-	64,000	-	64,000
3(ग) 17	एनईपी कार्यान्वयन	19,962	-	-	19,962
	कुल	1,866,446,648	73,610,724	943,507,768	2,883,565,140
3(ग)-ऑनलाइन योजनाएँ		1,707,921,002	-	-	1,707,921,002
3(ग)-EG		7,884,794	565,284	-	8,450,078
	उप योग	150,640,852	73,045,440	943,507,768	1,167,194,060
3(घ)	एनईआर के लिए विशेष घटक				
3(घ)	यूजीसी (एनईआर) मुख्यालय	38,301,916	-	-	38,301,916
	उदाहरण के लिए	10,218,896	30,742,000	-	40,960,896
	नीरो	-	-	-	-
	ऑनलाइन आईयूएसएस	1,677,953,645	-	-	1,677,953,645
	ऑनलाइन जेआरएफ	74,015,000	-	-	74,015,000
	उप योग	1,800,489,457	30,742,000	-	1,831,231,457
3(ङ)	एनईआर-एससी के लिए विशेष घटक				-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग



मान-विद्या विमुक्तये

राजस्व पूंजी मदवार विवरण

(राशि ₹ में)

शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष
3(ड)	यूजीसी (एनईआर) एससी मुख्यालय	7,976,639	-	-	7,976,639
	उदाहरण के लिए	1,936,000	6,472,000	-	8,408,000
	नीरो	-	-	-	-
	ऑनलाइन आईयूएसएस	374,774,001	-	-	374,774,001
	ऑनलाइन जेआरएफ	35,526,000			
	उप योग	420,212,640	6,472,000	-	426,684,640
3(च)	एनईआर-एसटी के लिए विशेष घटक				
3(च)	यूजीसी (एनईआर) एसटी मुख्यालय	3,991,836			3,991,836
	उदाहरण के लिए	968,000	3,236,000		4,204,000
	नीरो	-	-	-	-
	ऑनलाइन आईयूएसएस	198,498,000	-	-	198,498,000
	ऑनलाइन जेआरएफ	18,852,000			
	उप योग	222,309,836	3,236,000	-	225,545,836
	कुल योग (ग)	26,383,373,503	901,340,821	8,211,801,429	35,496,515,753
क्षेत्र-4	शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट निधि				
4(I)	सामाजिक अवसंरचना विकास निधि				-
4(II)	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन	16,205,000			16,205,000
4(III)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत-अमेरिका 21वीं सदी ज्ञान पहल द्वारा जारी विशिष्ट निधि				-
4(IV)	दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (सामान्य)	120,000,000			120,000,000
4(IV)	दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (एससी)				-
4(IV)	दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (एसटी)				-
4(VI)	विश्व स्तरीय संस्थान (आईओई) (सामान्य)	2,485,500,000	4,514,500,000		7,000,000,000
4(VI)	विश्व स्तरीय संस्थान (आईओई) (एससी)	750,000,000	1,250,000,000		2,000,000,000
4(VI)	विश्व स्तरीय संस्थान (आईओई) (एसटी)	350,000,000	650,000,000		1,000,000,000
4(VIII)	जम्मू और कश्मीर में सात बालिका छात्रावासों का निर्माण - प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015 (सामान्य)		29,045,932		29,045,932

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग





ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये


राजस्व पूंजी मदवार विवरण


(राशि ₹ में)

शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष
	जम्मू और कश्मीर में सात बालिका छात्रावासों का निर्माण-प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015 (एससी)		3,000,000		3,000,000
	जम्मू और कश्मीर में सात बालिका छात्रावासों का निर्माण-प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015 (एसटी)		1,000,000		1,000,000
4(IX)(क)	एमएम-टीटीपी	264,087,361	19,602,553		283,689,914
4(IX)(ख)	एमएम-टीटीपी	62,351,702	3,519,407		65,871,109
4(IX)(ग)	एमएम-टीटीपी	36,167,539	1,743,954		37,911,493
					-
	कुल (डी)	4,084,311,602	6,472,411,846	-	10,556,723,448
	उप योग (ए, बी, सी, डी)	82,546,400,774	17,162,106,537	106,958,222,077	206,666,729,388
क्षेत्र-5	एससी के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप				-
क्षेत्र-6	एसटी के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप				-
क्षेत्र-7	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक फेलोशिप				-
क्षेत्र-9	ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप				-
	कुल (ई)	-	-	-	-
	कुल योग (AE)	82,546,400,774	17,162,106,537	106,958,222,077	206,666,729,388


(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव


(जितेन्द्र)
उप सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग





सामान्य भविष्य निधि खाता 31 मार्च 2025 तक तुलन पत्र (बैलेंस शीट)


(राशि ₹ में)

देयताएं	2024-2025	2023-2024	परिसंपत्तियां	2024-2025	2023-2024
			निवेश		
प्रारंभिक जमा	449,738,789	539,179,580	सावधि जमा में	200,919,338	215,228,740
घटा: आहरण में समायोजन	2,897		सरकारी प्रतिभूतियों में	235,590,000	230,340,000
जमा: वर्ष में अभिदान	71,680,224	71,051,605	उपार्जित ब्याज	8,607,128	3,501,361
			सरकारी प्रतिभूति की खरीद पर अर्जित ब्याज का भुगतान	3,328,000	
जमा: क्रेडिट किया गया ब्याज	29,253,828	34,095,501			
घटा: अग्रिमधआहरण	126,157,132	194,587,897			
			नकदी शेष		
जमा शेष	424,512,812	449,738,789	बैंक में जमा राशि	9,208,711	10,175,507
प्रारंभिक जमा	9,506,819	19,838,695			
जमा: व्यय की तुलना में अधिक आय	23,633,546	-10,331,876			
जमा: अथ शेष उपार्जित ब्याज					
अंत शेष	33,140,365	9,506,819			
वर्तमान देयता					
कुल	457,653,177	459,245,608	कुल	457,653,177	459,245,608


(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव


(जितेन्द्र)
उप सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग



सामान्य भविष्य निधि खाता

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय खाता

(राशि ₹ में)

व्यय	2024-25	2023-2024	आय	2024-25	2023-2024
ब्याज जमा किया गया:			निवेश पर अर्जित ब्याज	33,710,847	4,605,642
			सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	18,813,893	18,813,893
जीपीएफ खाता	29,253,828	34,095,501	बचत बैंक खाते पर ब्याज	364,889	344,832
सीपीएफ खाता			यूजीसी स्थापना खाते से प्राप्त ब्याज सब्सिडी		
विश्वविद्यालय अंशदान (सीपीएफ)					
बैंक शुल्क	2,255	742			
एनपीएस टियर-II खाता					
व्यय की तुलना में आय का आधिक्य	23,633,546		आय से अधिक व्यय		10,331,876
कुल	52,889,629	34,096,243	कुल	52,889,629	34,096,243

(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव

(जितेन्द्र)
उप सचिव

(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार

(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग





सामान्य भविष्य निधि खाता


31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाते


(राशि ₹ में)

प्राप्तियां	2024-25	2023-2024	भुगतान	2024-25	2023-2024
प्रारंभिक जमा			जीपीएफ अग्रिम/निकासी	126,156,155	194,587,897
बैंक	10,175,507	324,559	सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद पर देय अर्जित ब्याज	3,328,000	
जमा खाता एफडीआर	230,340,000	323,980,063			
सरकारी प्रतिभूतियाँ	215,228,740	230,340,000	बैंक शुल्क	3,730	742
स्थापना खाता-348 से प्राप्त ऋण			- स्थापना खाता-348 में ऋण वापसी		-
जीपीएफ अभिदान	59,409,319	59,003,600			
सीपीएफ अभिदान			जमा शेष:-		
सीपीएफ- सरकार का अंशदान			बैंक	9,208,711	10,175,507
उपार्जित ब्याज			सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	235,590,000	230,340,000
प्राप्त ब्याज			जमा खाता एफडीआर	200,919,338	215,228,740
बचत बैंक पर ब्याज	364,889	344,832			
एफडीआर पर ब्याज	28,604,980	5,477,934			
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	18,813,893	18,813,893			
वसूल किए गए जीपीएफ अग्रिम	12,268,606	12,048,005			
कुल	575,205,934	650,332,886	कुल	575,205,934	650,332,886


(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव


(जितेन्द्र)
उप सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव




विश्वविद्यालय अनुदान आयोग


एनपीएस खाता


31 मार्च 2025 तक तुलन- पत्र (बैलेंस शीट)


(राशि ₹ में)

देयताएँ	2024-2025	2023-2024	परिसंपत्तियाँ	2024-2025	2023-2024
			निवेश		
प्रारंभिक जमा	410	9	सावधि जमा में		
घटा: आहरण में समायोजन		9			
			श्री सुशील कुमार के संबंध में लंबित		410
जमा: वर्ष में अभिदान	24,533,053	23,384,712			
जमा: क्रेडिट किया गया ब्याज					
घटा: एनएसडीएल को हस्तांतरण	24,533,463	23,384,302			
			नकदी रोकड़		
जमा शेष	-	410	बैंक शेष		
			यूजीसी एस्ट. ए/सी-348 में स्थानांतरण		
प्रारंभिक जमा					
जमा: व्यय से अधिक आय					
जमा शेष					
कुल	-	410	कुल	-	410


(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव


(जितेन्द्र)
उप सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

एनपीएस खाता

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान खाते

(राशि ₹ में)

प्राप्तियां	2024-25	2023-2024	भुगतान	2024-25	2023-2024
प्रारंभिक जमा			एनएसडीएल को किया गया भुगतान	24,533,463	23,384,302
बैंक			शुल्क के लिए एनएसडीएल को भुगतान किया गया		
जमा खाता एफडीआर			बैंक शुल्क		-
सरकारी प्रतिभूतियाँ			यूजीसी एस्ट. ए/सी-348 में स्थानांतरण		-
श्री सुशील कुमार के संबंध में लंबित	410		श्री सुशील कुमार के संबंध में लंबित		410
एनपीएस सदस्यता	24,533,053	23,384,712			
			जमा शेष:-		
			बैंक		-
प्राप्त ब्याज			जमा खाता एफडीआर		-
बचत बैंक पर ब्याज		-			
एफ.डी.आर. पर ब्याज					
कुल	24,533,463	23,384,712	कुल	24,533,463	23,384,712

(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव

(जितेन्द्र)
उप सचिव

(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार

(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

एनपीएस खाता

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय खाता

(राशि ₹ में)

व्यय	2024-2025	2023-2024	आय	2024-2025	2023-2024
ब्याज जमा किया गया:			निवेश पर अर्जित ब्याज		
			सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज		
एनपीएस खाता			वचत बैंक खाते पर ब्याज		
सीपीएफ खाता					
विश्वविद्यालय अंशदान (सीपीएफ)					
एनएसडीएल शुल्क					
बैंक शुल्क					
व्यय की तुलना में आय का आधिक्य			आय से अधिक व्यय		
कुल			कुल	-	-

(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव

(जितेन्द्र)
उप सचिव

(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार

(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के खातों का भाग बनने वाले अनुसूचियाँ

अनुसूची: 23

मुख्य लेखा नीतियाँ

1. लेखा

- क) वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति के आधार पर और सामान्यतः प्राक्कलन पद्धति पर तैयार किए जाते हैं, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।
- ख) अप्रयुक्त अनुदानों की वापसी की प्राप्तियों को नकद आधार पर लेखांकित किया जाता है।

2. अनुदान सहायता

अनुदानों को प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है और आय और व्यय खाते के पक्ष में जोड़ा जाता है, इसके अतिरिक्त उस हिस्से के जो पूंजीगत प्रकृति के व्यय के लिए उपयोग किया गया हो (ऐसी राशि को सीधे पूंजी कोष में जोड़ा जाता है)। किसी भी गैर-आर्थिक अनुदान, जो निःशुल्क प्राप्त होता है, को प्रतीकात्मक रूप से ₹1/- की राशि पर दिखाया जाता है।

3. स्थायी संपत्तियाँ और मूल्यहास


क) मूल्यहास को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी खातों के मानकीकरण के नए प्रारूप के अनुसार सीधे लाइन विधि (स्ट्रेट लाइन मेथड) पर चार्ज किया गया है। यदि किसी वर्ष के दौरान स्थायी संपत्तियों में कोई वृद्धि (खरीद) या कमी (विक्रय) के संबंध में, मूल्यहास को जोड़ या कमी की तिथि के बावजूद पूरे वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। अचल संपत्तियों पर सीधे लाइन विधि से निम्नलिखित दरों पर मूल्यहास प्रभारित किया गया है


i) फर्नीचर और फिक्स्चर	7.5%
ii) विद्युत उपकरण	5.0%
iii) कंप्यूटर/संबंधित उपकरण	20%
iv) पुस्तकालय की पुस्तकें और जर्नल्स	10%
v) मोटर वाहन	10%
vi) कार्यालय उपकरण	7.5%
vii) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40%
viii) ऑडियो विजुअल उपकरण	7.5%


4. सभी जमा राशियों/निवेशों पर ब्याज लेखांकन के आधार पर संचित किया जाता है।


5. कर्मचारियों के वेतन/लाभ

- क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के सेवा नियमों को मोटे तौर पर लागू किया गया है।
- ख) कर्मचारियों के लाभों के लेखांकन के लिए आयोग द्वारा वीमांकिक मूल्यांकन कराया गया। वीमांकिक मूल्यांकन की रिपोर्ट के अनुसार, आयोग ने ग्रेच्युटी के लिए ₹(51,04,758)/-, पेंशन के लिए ₹22,33,27,781/- तथा अवकाश नकदीकरण के लिए ₹ 2,05,16,771/- का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त आय एवं व्यय खाते में ऑडिट शुल्क के लिए ₹(3,70,000)/- का प्रावधान किया गया है। इस अतिरिक्त प्रावधानीकरण के कारण ₹23,83,69,794/- की व्यय अधिकता उत्पन्न हुई है। आय एवं व्यय खाते में कुल व्यय की आय पर अधिकता ₹26,68,98,301/- है।



(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव



(जितेन्द्र)
उप सचिव



(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार



(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव

1. सरकार से प्राप्त अनुदान, जो संसद द्वारा अनुमोदित बजट के आधार पर प्राप्त होता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की प्राप्तियों का मुख्य स्रोत है। यद्यपि पूंजीगत प्रकृति के व्यय के समायोजन के बाद प्राप्त अनुदानों को आय और व्यय खाते में लिया जाता है, परंतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की वास्तविक आय शून्य है क्योंकि ऐसी शर्तें लागू हैं कि सरकार की स्वीकृति के बिना, TSA (ट्रेजरी सिंगल अकाउंट) में अव्ययित राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सरकार को समर्पित मानी जाएगी और अगले वित्तीय वर्ष में स्वायत्त संस्थाओं द्वारा व्यय के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
 2. जिस भवन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) स्थित है, वह भूमि एवं विकास कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली का है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) इस संपत्ति का पट्टाधारी है और यह संपत्ति 17-06-1960 को बिना किसी किराए के आवंटित की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) इस भवन का रखरखाव करता है और इसके संपत्ति कर का भुगतान करता है।
 3. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) द्वारा जनवरी 1990 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को उसके परिसर के निर्माण हेतु 25 एकड़ भूमि बिना किराए के प्रदान की गई थी। हालांकि, इस भूमि में से 5 एकड़ भूमि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जनवरी 2003 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) को स्थानांतरित कर दी गई थी।
 4. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से एक ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (TSA) खोला गया है। इस अधिसूचना के अनुसार, जो भी शेष राशि 31 मार्च तक खाते में अप्रयुक्त रहती है, वह सरकार अथवा वित्तपोषक एजेंसियों को समर्पित मानी जाती है। तदनुसार, दिनांक 31.03.2025 को TSA खाते में शेष राशि ₹ 33,76,49,021/- स्वतः सरकार के खाते में अंतरण हो गई।
 5. दिनांक 31/03/2024 को CPWD (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग) का कुल बकाया अग्रिम ₹14,19,48,753/- था। वर्ष 2024-2025 के दौरान ₹2,01,36,241/- का अग्रिम भुगतान किया गया तथा ₹1,68,35,233/- का अग्रिम समायोजित किया गया। अब दिनांक 31/03/2025 को शुद्ध बकाया अग्रिम राशि ₹14,52,49,761/- है।
 6. जारी किए गए अग्रिम और वसूली योग्य के रूप में दिखाए गए राशियों को अंतिम बिल/संबंधित पक्ष/विभाग से प्राप्ति पर या अंतिम खाते के शीर्ष के तहत समायोजित किया जाता है या वसूल किया जाता है।
 7. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों को अनुदान जारी करता है। जारी किए गए अनुदान में से ₹818.38 करोड़ की अप्रयुक्त अनुदान राशि की उपयोगिता प्रमाणपत्र दिनांक 31.03.2025 तक लंबित है।
8. अन्य
- 1) वित्तीय वर्ष 2024-2025 के खातों और अनुसूचियों सहित प्राप्तियों और भुगतानों के वित्तीय विवरणों में आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के तुलनात्मक आंकड़ों का पुनः वर्गीकरण/पुनः व्यवस्थापन किया गया है।
 - 2) वित्तीय विवरणों के आंकड़े निकटतम भारतीय रुपये में पूर्णांकित किए गए हैं।


(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव


(जितेन्द्र)
उप सचिव


(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार


(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के खातों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

1. संभावित दायित्व

क) न्यायालयों एवं अन्य मामलों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विरुद्ध दायित्वों की राशि का आकलन किया जाना संभव नहीं है।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

ख) संगठन - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूंजीगत प्रतिबद्धता को 31 मार्च, 2025 की बैलेंस शीट की अनुसूची के अनुसार पूंजी कोष निधि में दर्शाया गया है।

3. चालू परिसंपत्तियां और अग्रिम

क) संगठन की सामान्य गतिविधियों के नियमित संचालन में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का प्राप्ति पर मूल्य, वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर है।

(मधु सूदन जोशी)
अवर सचिव

(जितेन्द्र)
उप सचिव

(सुदीप सिंह जैन)
वित्तीय सलाहकार

(प्रो. मनिष आर जोशी)
सचिव

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केन्द्रीय व्यय),
ऑडिट भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली-110002



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
सर्वोच्च न्यायिक संस्थान
Dedicated to Truth in Public Interest

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL
OF AUDIT (CENTRAL EXPENDITURE),
AUDIT BHAWAN, INDRAPRASTHA ESTATE,
NEW DELHI-110002

ए.एम.जी-III/एस.ए.आर./यू.जी.सी./9-49/2025-26/-

दिनांक: 28.01.2026

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
उच्चतर शिक्षा विभाग,
शिक्षा मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

विषय : वर्ष 2024-25 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
महोदया/महोदय,

मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-25 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करती हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें 2024-25 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

भवदीया

संलग्नक: यथोपरि

निदेशक (ए.एम.जी-III)


ए.एम.जी-III/एस.ए.आर./यू.जी.सी./9-49/2025-26/-

दिनांक: 08.01.2026

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली- 110002 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। वार्षिक लेखाओं की हिंदी प्रति की 1 प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भेजी जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब ये संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

संलग्नक: यथोपरि


निदेशक (ए.एम.जी-III)


ए.एम.जी-III/एस.ए.आर./यू.जी.सी./9-49/2025-26/-

दिनांक: 08.01.2026

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित प्रधान निदेशक (स्वायत्त निकाय), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को अग्रेषित की जाती है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा, (केंद्रीय व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोपरी


निदेशक (ए.एम.जी-III)

‘प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।’

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इसके आठ अंतर-विश्वविद्यालयी केंद्रों के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की राय/विचार

राय/विचार

1. हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) एवं उसके अंतर-विश्वविद्यालय केंद्रों अर्थात् अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र (आईयूएसी), नई दिल्ली, शैक्षिक संचार संघ (सीईसी), नई दिल्ली, खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी अंतर-विश्वविद्यालयी केंद्र (आईयूसीएए), पुणे, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, गांधीनगर, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, (एनएएसी), बेंगलुरु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीई) वैज्ञानिक अनुसंधान संघ (सीएसआर), इंदौर, अंतर-विश्वविद्यालयी शिक्षक शिक्षा केंद्र, वाराणसी और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंस (आईयूसीवाईएस), बेंगलुरु के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिनमें 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति विवरण तथा तत्पश्चात् समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता/प्राप्ति एवं भुगतान खाता, और वित्तीय विवरणों के नोट्स सम्मिलित हैं, जिसमें नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत पठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 19(3) के अधीन महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश शामिल है।
2. यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों को केवल वर्गीकरण, श्रेष्ठ-लेखा पद्धतियों, लेखा मानकों, प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन व्यवहार पर समाविष्ट करता है। विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) के अनुपालन तथा दक्षता सह प्रदर्शन पहलुओं आदि से संबंधित वित्तीय लेन-देनों पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षण, यदि कोई हों, निरीक्षण प्रतिवेदनों/सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से पृथक रूप से प्रतिवेदित किए जाते हैं।

3 (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा उसके सात अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र:

3(i)(क) हमारे विचार में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा उसके सात अंतर-विश्वविद्यालय केंद्रों अर्थात् अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र (आईयूएसी), नई दिल्ली, शैक्षिक संचार संघ (सीईसी), नई दिल्ली, खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी अंतर-विश्वविद्यालयी केंद्र (आईयूसीएए), पुणे, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, गांधीनगर, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, (एनएएसी), बेंगलुरु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीई) वैज्ञानिक अनुसंधान संघ (सीएसआर), इंदौर, अंतर-विश्वविद्यालयी शिक्षक शिक्षा केंद्र, वाराणसी और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंस (आईयूसीवाईएस), बेंगलुरु के साथ संलग्न वित्तीय विवरण, उन पर लेखांकन नीतियों एवं टिप्पणियों तथा अलग प्रतिवेदन में उल्लिखित मामलों को साथ पढ़े जाने पर, एकरूप लेखा प्रारूप के अनुसार स्वायत्त निकाय की 31 मार्च, 2025 को वित्तीय स्थिति, तथा उस वर्ष की उसके वित्तीय परिणाम एवं उसके नकदी प्रवाह का सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

3(i)(ख) राय/विचार का आधार: हमने अपना लेखापरीक्षण सीएजी की लेखापरीक्षा विनियमों/ मानकों/ निर्देशिकाओं/ मार्गदर्शक नोटों/ आदेशों/ परिपत्रों आदि के अनुसार संपादित किया। हमारे दायित्व हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक के दायित्व खंड में वर्णित हैं। हम वित्तीय विवरणों के अपने लेखापरीक्षण हेतु प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों का पालन किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे राय/विचार के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

3(ii) सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र (इन्फ्लिबनेट), गांधीनगर

3(ii)(क) हमारी राय में, वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर योग्य राय के लिए आधार अनुभाग हमारी रिपोर्ट के साथ-साथ वित्तीय विवरण सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र (आई. एन. एफ. एल. आई. बी. एन. ई. टी.) गांधीनगर,



लेखांकन नीतियों और उन पर टिप्पणियों और अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य मामलों के साथ, एक साथ पढ़ें, जिसके बाद, वह 31 मार्च, 2025 तक यूनिट की फाइनेंशियल स्थिति की सही और निष्पक्ष तस्वीर दिखाता है और वर्ष के लिए इसका वित्तीय प्रदर्शन और इसका नकदी प्रवाह शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के समान प्रारूप के अनुसार समाप्त हुआ।

3(ii)(ख) योग्य राय के लिए आधार: आई. एन. एफ. एल. आई. बी. एन. ई. टी., गांधीनगर ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए अभिदान के लिए ₹1547.87 करोड़ का भुगतान किया। अप्रैल-दिसंबर 2025 (₹ 1160.90 करोड़) से संबंधित राशि को पूर्व-भुगतान व्यय के रूप में वर्गीकृत करने के बजाय पूरी राशि को चिह्नित निधि के तहत व्यय के रूप में दर्शाया गया था। इस लेखांकन उपचार के परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों-पूर्व-भुगतान खर्चों (अनुसूची 8) में कमी आई और चिह्नित निधियों में ₹ 1160.90 करोड़ की कमी आई। (टिप्पणी नं. ए. 2.1 आई. एन. एफ. एल. आई. बी. एन. ई. टी.)

हमने सीएजी के लेखापरीक्षा नियमों / मानकों / नियमावली / दिशानिर्देशों / मार्गदर्शन-टिप्पणियों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। हम वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वह हमारे लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त, योग्य और उपयुक्त राय है।

4. वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन के दायित्व

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं उसके अंतर-विश्वविद्यालय केंद्रों की शासी निकाय वित्तीय विवरणों को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी लेखों के एकसमान प्रारूप के अनुसार तैयार करने तथा उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण करने, और आंतरिक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है जैसा कि प्रबंधन आवश्यक समझता है, ताकि वित्तीय विवरण तैयार किए जा सकें जो भौतिक त्रुटि से मुक्त हों, चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो।

5. वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य यह उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक त्रुटि से मुक्त हैं, चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हों, तथा एक लेखापरीक्षक प्रतिवेदन जारी करना है जिसमें सीएजी की लेखापरीक्षा विनियमों/मानकों/निर्देशिकाओं/मार्गदर्शन-नोटों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार हमारा राय/विचार सम्मिलित हो।

भारत के सीएजी की ओर से तथा उनके प्रतिनिधित्व में

निदेशक जनरल, लेखापरीक्षा (केंद्रीय व्यय)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.1.2026

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं उसके अंतर-विश्वविद्यालय केंद्रों के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा
प्रतिवेदन

भाग-क : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की टिप्पणियां

क. तुलन पत्र

क. 1 परिसंपत्ति

क.1.1 स्थायी संपत्ति (अनुसूची-4): ₹982.03 लाख

मूर्त परिसंपत्ति: ₹ 896.11 लाख

सी.पी.डब्ल्यू.डी. को दिए गए अग्रिम के विरुद्ध किए गए ₹ 556.41 लाख के व्यय को राजस्व व्यय के रूप में बुक किया गया है, न कि पूंजीकृत, जो लेखा मानक-10 (ए.एस.-10) की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। इसके कारण स्थायी संपत्तियों का ₹ 556.41 लाख से कम मूल्यांकन तथा चालू वर्ष एवं पिछले वर्षों के व्ययों का ₹ 556.41 लाख से अधिक मूल्यांकन हुआ है तथा अर्जित हास की सीमा तक लाभ का भी अधिक मूल्यांकन हुआ है।

क.1.2 ऋण, अग्रिम एवं जमाएं (अनुसूची-8): ₹1805.45 लाख

मई 2013 में, यूजीसी ने जाकिर हुसैन कॉलेज के लिए बहुमंजिला शैक्षणिक टावर के निर्माण हेतु ₹ 67.97 करोड़ की अनुमानित लागत को मंजूरी दी। कॉलेज ने नवंबर 2021 में परियोजना की अनुमानित लागत को ₹68.00 करोड़ से बढ़ाकर ₹95.50 करोड़ करने तथा अनुदान-सहायता पर अर्जित ₹18 करोड़ की ब्याज राशि को बहुमंजिला शैक्षणिक टावर के निर्माण हेतु अनुदान के भाग के रूप में माने जाने की यूजीसी से अनुरोध किया।

यूजीसी ने जनवरी 2022, जुलाई 2022 एवं मार्च 2023 में कॉलेज से ₹12.50 करोड़ की ब्याज राशि (कॉलेज को जारी की जाने वाली ₹5.50 करोड़ की स्वीकृत अनुदान-सहायता के समायोजन के पश्चात) की वापसी का अनुरोध किया। यूजीसी द्वारा कॉलेज से प्राप्य ₹12.50 करोड़ की ब्याज राशि को ऋण, अग्रिम एवं जमाओं के अंतर्गत तथा चालू दायित्वों के अंतर्गत भी नहीं दर्शाया गया, क्योंकि अनुदान-सहायता पर अर्जित ब्याज आय भारत सरकार को वापस की जानी है। इसके कारण ऋण, अग्रिम एवं जमाओं के साथ-साथ चालू दायित्वों का भी ₹12.50 करोड़ से कम मूल्यांकन हुआ है। इसकी ओर वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के प्रतिवेदन में भी संकेत किया गया था, किंतु यूजीसी द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ख. सामान्य

1. यूजीसी द्वारा विभिन्न संस्थानों (केंद्रीय विश्वविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों) को अनुदान-सहायता जारी करना तथा इसकी वापसी को नकद आधार पर लेखांकित किया जा रहा है, जैसा कि इसकी महत्वपूर्ण लेखा नीति क्रमांक 1(ख) में घोषित है। किंतु, यूजीसी द्वारा अपर्याप्त अनुवर्तन के कारण इन संस्थानों के पास अनुदान-सहायता की बहुत बड़ी राशि अनुपयोगित पड़ी है।

परिशिष्ट-1 के अनुसार, 31.3.2025 तक जिन अनुदानों हेतु उपयोग प्रमाणपत्र (यू.सी.) लंबित थे, उनकी अनुपयोगित राशि ₹818.38 करोड़ थी।

2. एमओई के अनुसार प्रकटीकरण की आवश्यकता:

शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी लेखा के एकसमान प्रारूप के अनुसार, सावधि जमा पर ब्याज आय को अनुसूची-11 (निवेशों से आय) में प्रकट किया जाना चाहिए। किंतु, यूजीसी द्वारा ₹7.88 करोड़ की सावधि जमा (कैनरा बैंक-8627101002314) पर ब्याज को अनुसूची-12 (अर्जित ब्याज: ₹39.12 करोड़ में शामिल) में प्रकट किया गया है।



ग. प्रबंधन पत्र:

जिन कमियों को ऑडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के ज़रिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के ध्यान में लाया गया है।

घ. आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन

(i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

यूजीसी के आंतरिक नियंत्रण को निम्नलिखित क्षेत्रों में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है:

- यूजीसी द्वारा जारी अनुदान-सहायता का अपर्याप्त अनुवर्तन, जिसके कारण विश्वविद्यालयों/संस्थानों के पास धनराशि अवरुद्ध हो गई है।
- बाह्य लेखा परीक्षण आपत्तियों के प्रति प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं है, क्योंकि 31.03.2025 तक यूजीसी के संबंध में अवधि 1979-80 से 2023-24 से संबंधित 60 लेखा अनुच्छेद लंबित थे।

(ii) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

यू. जी. सी. की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली कमजोर है:

- यूजीसी का कोई आंतरिक लेखा परीक्षण प्रकोष्ठ नहीं है।
- यूजीसी की आंतरिक लेखा परीक्षण शिक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है और यह वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की जा चुकी है।
- यूजीसी में कोई आंतरिक लेखा परीक्षण नियमावली नहीं है।

(iii) स्थायी संपत्तियों की भौतिक सत्यापन प्रणाली

- यूजीसी के फर्नीचर एवं फिटिंग्स तथा कंप्यूटरों एवं उसके सामानों का भौतिक सत्यापन 31.03.2025 तक कर लिया गया है।
- यूजीसी के पुस्तकों एवं प्रकाशनों का भौतिक सत्यापन 2024-25 तक कर लिया गया है।

(iv) भंडार (इन्वेंट्री) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

- यू. जी. सी. की उपभोग्य सामग्रियों और लेखन सामग्री का भौतिक सत्यापन 31.03.2025 तक किया गया है।

(v) वैधानिक देयों के भुगतान में नियमितता

- 31 मार्च 2025 तक छह महीने से अधिक समय तक सांविधिक बकाया के संबंध में कोई भुगतान बकाया नहीं था।

ड. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को मुख्य रूप से शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, यूजीसी को ₹20820.69 करोड़ की अनुदान-सहायता प्राप्त हुई। 1 अप्रैल 2024 को इसके पास ₹454.36 करोड़ का अव्ययित शेष था, अनुदानी संस्थाओं से ₹509.67 करोड़ की वापसी हुई तथा ₹103.22 करोड़ की आय प्राप्त हुई। ₹21887.94 करोड़ की कुल निधि में से, ₹33.76 करोड़ स्वतः ही ट्रेजरी सिंगल अकाउंट सिस्टम के अंतर्गत आत्मसमर्पित हो गया तथा ₹405.92 करोड़ शिक्षा मंत्रालय को वापस कर दिया गया। इसने ₹20801.18 करोड़ (पूँजीगत: ₹2.04 करोड़, राजस्व: ₹132.47 करोड़ और अनुदान: ₹20666.67 करोड़) का उपयोग किया, जिससे 31 मार्च 2025 को ₹647.07 करोड़ का अव्ययित शेष रह गया। वर्ष 2024-25 के दौरान, इसे निम्नलिखित मंत्रालयों से भी अनुदान-सहायता प्राप्त हुई

क. यूजीसी को एससी हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से कोई अनुदान-सहायता प्राप्त नहीं हुई तथा इसका आरंभिक शेष ₹0.52 करोड़ था। इसे बैंक ब्याज एवं वापसी के रूप में ₹0.05 करोड़ भी प्राप्त हुए। ₹0.57 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों में से, यूजीसी ने ₹0.57 करोड़ वापस कर दिए, जिससे 31.3.2025 को शून्य करोड़ का अव्ययित शेष रह गया।



ख. यूजीसी को अल्पसंख्यकों हेतु मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से कोई अनुदान-सहायता प्राप्त नहीं हुई तथा इसका आरंभिक शेष ₹0.06 करोड़ था। इसे बैंक ब्याज एवं वापसी के रूप में ₹0.01 करोड़ भी प्राप्त हुए। ₹0.07 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों में से, इसने शून्य राशि का उपयोग किया, जिससे 31.3.2025 को ₹0.07 करोड़ का अव्ययित शेष रह गया।

ग. यूजीसी को एसटी हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय से कोई अनुदान-सहायता प्राप्त नहीं हुई, इसका आरंभिक शेष ₹0.86 करोड़ था। इसे बैंक ब्याज एवं वापसी के रूप में ₹0.11 करोड़ भी प्राप्त हुए। ₹0.97 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों में से, इसने शून्य राशि का उपयोग किया, जिससे 31.3.2025 को ₹0.97 करोड़ का अव्ययित शेष रह गया।

भाग-बी

यूजीसी के अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र

यूजीसी ने यूजीसी अधिनियम की धारा 12(सीसीसी) के तहत नौ अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र स्थापित किए हैं, जैसे: अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र (आईयूएसी) नई दिल्ली, शैक्षिक संचार कंसोर्टियम (सीईसी) नई दिल्ली, अंतर-विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी केंद्र (आईयूसीएए) पुणे, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र (इनफ्लिबनेट) गांधीनगर, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) बेंगलुरु, यूजीसी-डीईई कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च (सीएसआर) इंदौर, अंतर-विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षा केंद्र (आईयूसीटीई) बीएचयू वाराणसी, अंतर-विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद (काकीनाडा) और अंतर-विश्वविद्यालय योगिक विज्ञान केंद्र (आईयूसीवाईएस), बेंगलुरु। इनमें से अंतर-विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद ने कार्य करना आरंभ नहीं किया था। शेष आठ अंतर-विश्वविद्यालय केंद्रों के वर्ष 2024-25 के लेखों का प्रमाणन लेखापरीक्षा, यूजीसी के वर्ष 2024-25 के प्रमाणन लेखापरीक्षा के साथ ही नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम की धारा 19(2) के तहत की गई। इन केंद्रों के लेखों पर टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:-

1. अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र (आईयूएसी) नई दिल्ली,

क. आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन

(i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

• लेखा परीक्षा द्वारा देखे गए क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है।

(ii) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

- आईयूएसी के पास आंतरिक लेखा परीक्षण विंग नहीं है।
- आईयूएसी का आंतरिक लेखा परीक्षण वित्तीय वर्ष 2018-19 तक यूजीसी द्वारा किया गया था।
- 31 मार्च 2025 तक वर्ष 2018-19 तक की अवधि के 23 आंतरिक लेखा परीक्षा पैरे बकाया थे।

(iii) स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

- आईयूएसी की स्थायी संपत्तियों, जिसमें पुस्तकालय की पुस्तकें शामिल हैं, का भौतिक सत्यापन वर्ष 2024-25 तक कर लिया गया है।

(iv) भंडार (इन्वेंटरी) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

- आईयूएसी के लेखन सामग्री एवं उपभोग्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन वर्ष 2024-25 तक कर लिया गया है।



(v) वैधानिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता

- लेखाओं के अनुसार, वैधानिक देय राशियों के संबंध में 31.03.2025 तक छह माह से अधिक अवधि का कोई भुगतान बकाया नहीं था।

ख. अनुदान सहायता

लेखाओं के अनुसार, आईयूएसी ने वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 88.89 करोड़ (पूँजीगत: ₹ 16.34 करोड़ एवं राजस्व: ₹ 72.55 करोड़) की अनुदान-सहायता प्राप्त की। इसके पास ₹ 11.80 करोड़ (पूँजीगत: ₹ 11.80 करोड़ एवं राजस्व: शून्य) का आरंभिक शेष था। कुल ₹ 100.69 करोड़ की राशि में से, इसने ₹ 77.85 करोड़ (पूँजीगत: ₹ 5.30 करोड़ एवं राजस्व: ₹ 72.55 करोड़) का उपयोग किया, जिससे 31 मार्च 2025 तक ₹ 22.83 करोड़ (पूँजीगत: ₹ 22.83 करोड़ एवं राजस्व: शून्य) का अव्ययित शेष रह गया। अभिलेख की बात।

2. शैक्षिक संचार संघ (सीईसी), नई दिल्ली

क. तुलन पत्र

क.1 परिसंपत्ति

क.1.1 स्थायी परिसंपत्ति (अनुसूची 4): ₹ 3.82 करोड़

लाइव लेक्चर्स शीर्षक के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों का मूल्यहास 40% की दर से किया जाना चाहिए था। तथापि, स्थायी संपत्ति की अनुसूची 4 के अवलोकन में ज्ञात हुआ कि लाइव लेक्चर्स शीर्षक के अंतर्गत सकूल ब्लॉक का मूल्य ₹ 157.50 लाख पूर्ण रूप से मूल्यहसित कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप स्थायी संपत्तियों तथा पूँजी निधि दोनों को ₹ 94.50 लाख से कम दर्शाया गया है। (15749739 का 60%)।

ख. आय व्यय

ख.1 व्यय

ख.1.1 पूर्ववर्ती अवधि के व्यय (अनुसूची 22): ₹ 1.67 लाख

उपरोक्त में परिशिष्ट-2 में विस्तृत ₹ 60.69 लाख की पूर्ववर्ती अवधि के व्यय राशि शामिल नहीं है। इसके कारण प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (अनुसूची 17) को ₹ 60.69 लाख से अधिक तथा पूर्ववर्ती अवधि के व्यय को इतने ही ₹ से कम दर्शाया गया है।

ग. सामान्य

कर्मचारी का वेतन और भत्ते (अनुसूची 15): ₹ 9.78 करोड़

अनुसूची 15ए (कर्मचारी सेवानिवृत्ति और अंतिम लाभ) के अनुसार वर्ष 2024-25 में किए जाने वाले सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान है ₹ 3.78 करोड़। आय और व्यय खाते में डेबिट करके प्रावधान करने के बजाय खातों के प्रारूप का उल्लंघन करते हुए पूँजी कोष से कटौती करके प्रावधान बनाए गए हैं।

घ. आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता

(i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

- बाह्य लेखा परीक्षा के आपत्तियों के प्रति प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं है।

(ii) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता



- वित्तीय वर्ष 2018-19 तक आंतरिक लेखा परीक्षण यूजीसी द्वारा किया गया था।

(iii) स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

- फर्नीचर एवं फिक्स्चर का भौतिक सत्यापन 31.03.2019 तक किया गया है।
- वाहनों का भौतिक सत्यापन 31.03.2025 तक किया गया है।
- प्लॉट एवं मशीनरी (ऑडियो वीडियो उपकरण) का भौतिक सत्यापन 30.09.2024 तक किया गया है।
- कंप्यूटर एवं परिधीय उपकरणों का भौतिक सत्यापन 31.03.2019 तक किया गया है।
- मीडिया टेप लाइब्रेरी का भौतिक सत्यापन 31.12.2024 तक किया गया है।

(iv) भंडार (इन्वेंट्री) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

- पुस्तकों एवं प्रकाशनों का भौतिक सत्यापन 31.12.2024 तक किया गया है।
- स्टेशनरी एवं उपभोग्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन 31.03.2019 तक किया गया है।

(v) वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

- लेखाओं के अनुसार, 31-03-2025 तक वैधानिक देय राशियों के संबंध में छह माह से अधिक अवधि के कोई भुगतान विचाराधीन नहीं थे।

इ अनुदान सहायता

सीईसी ने वर्ष 2024-25 के दौरान यूजीसी/शिक्षा मंत्रालय से 28.24 करोड़ रुपये की अनुदान-सहायता प्राप्त की तथा इसका 78.59 करोड़ रुपये का प्रारंभिक शेष था। संस्थान को वर्ष के दौरान 0.95 करोड़ रुपये का ब्याज एवं अन्य आय तथा 0.07 करोड़ रुपये की पूंजी निधि में अंतरण (समायोजन) प्राप्त हुआ। 107.70 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध निधियों में से, संस्थान ने 17.95 करोड़ रुपये का उपयोग किया, जिससे 31 मार्च, 2025 को 89.76 करोड़ रुपये का अव्ययित शेष रह गया।

3. खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी अंतर-विश्वविद्यालयी केंद्र (आईयूसीएए), पुणे

क. तुलन पत्र

क.1. परिसंपत्ति

क.1.1 स्थायी परिसंपत्तियां (अनुसूची 7)- ₹ 78.53 करोड़

उपरोक्त में प्रायोजित परियोजनाओं द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय शामिल हैं, जिनका स्वामित्व 31.03.2025 तक प्रायोजक एजेंसी के पास निहित है, जिनकी राशि ₹ 2.90 करोड़ है, जैसा कि नीचे विस्तृत है:

क्रम संख्या	प्रोजेक्ट का नाम	31 मार्च 2025 तक एसेट्स का ग्राँस ब्लॉक	मूल्यहास का प्रारंभिक शेष	31.03.2025 तक एसेट का नेट मूल्य	वर्ष के दौरान लगाया गया मूल्यहास
1	IFCPAR प्रोजेक्ट नंबर-6504-2-दीपानियन मुखर्जी- एसेट	4,93,656	78,985	3,75,180	39,492
2	इसरो-एस्ट्रोसैट -एसेट्स-रणजीव मिश्रा (डी भट्टाच)	30,76,200	25,59,166	4,72,429	44,604

जितेंद्र

3	इसरो-एस्ट्रोसैट यूवी डीप फील्ड (AUDF) - एसेट्स	44,997	-	41,397	3,600
4	इसरो सैटेलाइट सेंटर (ISAC) एएनआर-एसेट्स	12,25,72,390	9,68,74,199	1,58,92,401	98,05,791
5	इसरो सोलर फ्लेयर्स - प्रोफेसर दुर्गेश त्रिपाठी संपत्ति	4,62,546	37,004	3,88,538	37,004
6	इसरो सूट - वैज्ञानिक उपकरण	2,74,51,080	1,34,37,553	1,18,17,442	21,96,086
	Total	15,41,00,869	11,29,86,907	2,89,87,387	1,21,26,577

उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की अनुसूची 23 के खंड 3.7 के अनुसार; "अंकित निधियों तथा प्रायोजित परियोजनाओं की निधियों से निर्मित संपत्तियां, जहां ऐसी संपत्तियों का स्वामित्व संस्था में निहित हो, को पूंजी निधि में जमा करके निर्मित किया जाता है और संस्था की स्थायी संपत्तियों में विलय कर दिया जाता है। संबंधित संपत्तियों पर लागू दरों पर मूल्यहास लगाया जाता है। प्रायोजित परियोजना निधियों से निर्मित संपत्तियां, जहां स्वामित्व प्रायोजकों के पास बना रहता है लेकिन संस्था द्वारा धारण एवं उपयोग किया जाता है, उन्हें लेखा टिप्पणियों में अलग से प्रकट किया जाता है।"

यह देखा गया है कि निधियों से अर्जित परिसंपत्तियों का स्वामित्व आईएफसीपीएआर और इसरो प्रायोजकों द्वारा इन परिसंपत्तियों को बनाए रखा जाता है, इन परिसंपत्तियों का अलग से लेखा टिप्पणियों में खुलासा किया जाना चाहिए। हालांकि, आई. यू. सी. ए. ए. ने इन परिसंपत्तियों को पूंजीकृत किया है और वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों (अनुसूची 7) में प्रदर्शित किया है और 1.21 करोड़ रुपये का मूल्यहास किया है।

इसके परिणामस्वरूप स्थिर परिसंपत्तियों का अति-विवरण ₹2.90 करोड़, मूल्यहास का अति-विवरण ₹1.21 करोड़ और निर्दिष्ट/चिह्नित निधियों (अनुसूची 3) का अति-विवरण ₹2.90 करोड़ और पूंजी निधियों/सामान्य निधियों का अति-विवरण ₹1.21 करोड़ हो गया है।

ख. आय एवं व्यय खाता

ख.1. अनुदान एवं दान (अनुसूची 12) - ₹58.64 करोड़

हमारी लेखा परीक्षा के दौरान, यह देखा गया है कि संस्थान ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में "अनुदान-सहायता - सामान्य (वेतन)" शीर्ष के अंतर्गत ₹1.65 करोड़ की राजस्व को मान्यता दी है। सत्यापन पर, यह नोट किया गया कि यह अनुदान सरकार से विशेष रूप से अप्रैल 2025 के महीने के वेतन के भुगतान के लिए प्राप्त हुआ है, अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए।

इस अनुदान को वित्तीय वर्ष 2024-25 में दर्ज करने से राजस्व अतिप्रकटित हुआ है तथा रिपोर्ट किया गया अधिशेष बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है, क्योंकि संबंधित वेतन व्यय अप्रैल 2025 से संबंधित है।

ग. सामान्य

ग.1. लेखाओं के एकसमान प्रारूप का अनुप्रयोग नहीं

केंद्रीय उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के वित्तीय विवरणों के संकलन हेतु टिप्पणियों एवं निर्देशों के अनुसार, गैर-लाभकारी एवं अन्य समान संगठनों के वित्तीय विवरणों (अर्थात् तुलन पत्र और आय एवं व्यय खाता) को उपार्जन आधार पर तैयार किया जाना चाहिए; और सुझाए गए प्रारूप में, या उसके यथासंभव निकट, होना चाहिए।

केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों के वार्षिक वित्तीय विवरणों में निर्धारित विवरण शामिल होते हैं जिन्हें शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखाओं के प्रारूप में दिए गए प्रारूपों एवं रीति में प्रस्तुत किया जाना है।

वार्षिक लेखाओं की जांच के दौरान, यह देखा गया है कि आईयूसीएए ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (सीएचआईई) के लिए निर्धारित एकसमान प्रारूप के अनुसार अपने लेखा अपनाए एवं तैयार नहीं किए हैं। हालांकि, यूजीसी स्वयं शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित एकसमान प्रारूप में अपने वार्षिक लेखा तैयार कर रहा है।

घ. आंतरिक नियंत्रणों का आकलन

(i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

- लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए क्षेत्र में संस्थान की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है।

(ii) आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली की पर्याप्तता

- संस्थान की आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली अपेक्षाकृत पर्याप्त नहीं है। संस्थान के भीतर आंतरिक लेखा परीक्षण विंग स्थापित नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखा परीक्षण द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान मंत्रालय द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षण भी नहीं किया गया।

(iii) स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

- संस्थान द्वारा स्थायी संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है।

(iv) भंडार (इन्वेंट्री) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

- संस्थान द्वारा भंडार (इन्वेंट्री) का भौतिक सत्यापन किया गया है।

(v) वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

- तुलनपत्र की तिथि के अनुसार छह महीने से अधिक समय तक कोई वैधानिक देय राशि लंबित नहीं थी।

ङ अनुदान सहायता

आईयूसीएए ने वर्ष के दौरान ₹75.87 करोड़ की अनुदान-सहायता प्राप्त की है (गैर-वेतन (ओएच-31): ₹32.46 करोड़, वेतन (ओएच-36): ₹21.21 करोड़ और पूंजीगत (ओएच-35): ₹22.20 करोड़) और 23-24 के लिए लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र के अनुसार पिछले वर्ष से ₹15.98 करोड़ का अव्ययित शेष आगे लाया गया है (गैर-वेतन (ओएच-31): ₹0.57 करोड़, वेतन (ओएच-36): ₹2.44 करोड़ और पूंजीगत (ओएच-35): ₹12.97 करोड़)। इसके अतिरिक्त, आईयूसीएए ने इस वर्ष के दौरान ₹0.62 करोड़ का आंतरिक आय ब्याज संचित शेष उत्पन्न किया है (गैर-वेतन (ओएच 31): ₹0.33 करोड़ और पूंजीगत (ओएच 35): ₹0.29 करोड़)। इस प्रकार, कुल उपलब्ध निधियां ₹92.47 करोड़ आंकी गईं, जिसमें से आईयूसीएए ने ₹72.36 करोड़ की राशि उपयोग की है (गैर-वेतन (ओएच 31): ₹33.36 करोड़, वेतन (ओएच 36): ₹19.54 करोड़ और पूंजीगत (ओएच 35): ₹19.46 करोड़) और लैप्स अनुदान की वापसी/आंतरिक आय/ब्याज/संचित शेष ₹0.30 करोड़ (वेतन (ओएच 36): ₹0.01 करोड़ और पूंजीगत (ओएच35): ₹0.29 करोड़)। इस प्रकार, 31.03.25 को ₹19.81 करोड़ का अव्ययित शेष रह गया (वेतन (ओएच 36): ₹4.10 करोड़ और पूंजीगत (ओएच 35): ₹15.71 करोड़, जिसमें ₹11.50 करोड़ की लाइन पर एफडीआर शामिल है)।

आईयूसीएए ने ओएच 31 के अंतर्गत वर्ष के दौरान ₹33.41 करोड़ का व्यय किया। हालांकि, अनुदान के अंतर्गत ₹33.36 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। अतः प्राप्त अनुदान की सीमा तक व्यय दिखाया गया अर्थात् ₹33.36 करोड़।

4. सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, गांधीनगर

क. तुलन पत्र

क.1 देयताएं-

क.1.1 चालू देनदारियाँ (अनुसूची 3) - ₹ 27.66 करोड़

शैक्षणिक संस्थानों के लिए लेखाओं के एकसमान प्रारूप के अनुसार, सभी संस्थानों को उपार्जन आधार पर लेखा रखना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत यह अनिवार्य है कि व्यय एवं दायित्व उस अवधि में मान्यता प्राप्त करें जिसमें वे उत्पन्न हुए हैं, न कि वास्तविक नकद बहिर्वाह के समय।

लेखा परीक्षा के दौरान यह अवलोकन किया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरणों में ₹ 67.06 लाख की ज्ञात व्यय राशि के लिए, उस वर्ष से संबंधित दायित्व होने के बावजूद, कोई प्रावधान नहीं किया गया था। लेखा पुस्तकों में इस प्रकार के व्ययों की गैर-मान्यता के परिणामस्वरूप घाटे को तथा संबंधित दायित्वों को ₹ 67.06 लाख से कम दर्शाया गया है।

क.2 परिसंपत्ति

क.2.1 अनुसूची 2 (निर्धारित निधि) - ₹1,338,093,081

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस) योजना को मंजूरी दी। इस निर्णय के अनुसरण में, विभिन्न मंत्रालयों को इनफ्लिबनेट को निधि अंतरित करने के निर्देश दिए गए। दिसंबर 2024 से मार्च 2025 की अवधि के दौरान, इनफ्लिबनेट, गांधीनगर को विभिन्न मंत्रालयों एवं संस्थानों से कुल ₹ 1640.90 करोड़ की निधि प्राप्त हुई, जिसे इनफ्लिबनेट द्वारा निर्दिष्ट निधि के अंतर्गत लेखाबद्ध किया गया।

वर्ष 2024-25 के लिए इनफ्लिबनेट के वित्तीय लेखा परीक्षण के दौरान यह प्रकट हुआ कि इनफ्लिबनेट, गांधीनगर ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए सदस्यता शुल्क के रूप में ₹1547.87 करोड़ का भुगतान किया। इसमें से केवल एक-चौथाई राशि, अर्थात् ₹386.97 करोड़, चालू वित्तीय वर्ष (जनवरी-मार्च 2025) से संबंधित थी, जबकि शेष ₹1160.90 करोड़ आगामी वर्ष 2025-26 (अप्रैल-दिसंबर 2025) से संबंधित थी। अप्रैल-दिसंबर 2025 से संबंधित राशि को पूर्व भुगतान व्यय के रूप में वर्गीकृत करने के स्थान पर, संपूर्ण राशि को निर्दिष्ट निधि के अंतर्गत व्यय के रूप में दर्शाया गया।

इस लेखांकन उपचार के परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियाँ – पूर्व भुगतान व्यय (अनुसूची 8) तथा निर्दिष्ट निधि को ₹1160.90 करोड़ (अनुसूची 2) से कम दर्शाया गया।

ख. सामान्य:

लेखा परीक्षा के दौरान यह अवलोकन किया गया है कि निर्दिष्ट/अनुदान निधियों में निवेश के आँकड़ों का विभिन्न अनुसूचियों के मध्य समाधान नहीं किया गया है। अनुसूची 2 के अनुसार कुल निवेश ₹32.39 करोड़ है, जबकि अनुसूची 5 में ₹30.21 करोड़ परिलक्षित है, जिससे ₹2.18 करोड़ का अंतर है।

इसके अतिरिक्त, अनुसूची 2 के अनुसार, निर्दिष्ट (एन-लिस्ट) निधि में निवेश ₹22.25 करोड़ है जबकि अनुसूची 5 में यह आँकड़ा ₹22.37 करोड़ है, जिससे ₹11.15 लाख का अंतर है।

यह असंगति अनुसूचियों के मध्य उचित समाधान के अभाव को दर्शाती है और एमएचआरडी द्वारा निर्धारित लेखाओं के एकसमान प्रारूप के अनुरूप नहीं है, जिसके अंतर्गत सभी संबंधित अनुसूचियों के आँकड़े सुसंगत एवं समाधेय होने चाहिए।

ग. आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन

(i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

- ऑडिट में देखे गए क्षेत्र में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर्याप्त पाया गया।
- (ii) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता
 - INFLIBNET में एक पर्याप्त इंटरनल ऑडिट सिस्टम स्थापित है (सालाना खातों का ऑडिट CA द्वारा किया गया है)।
- (iii) स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली
 - GFR के अनुसार स्थायी परिसंपत्तियों के रजिस्टर को ठीक से मेंटेन किया जा रहा है। GFR 2017 के अनुसार संस्थान द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों का फिजिकल वेरिफिकेशन सिस्टम पूरा कर लिया गया है।
- (iv) भंडार (इन्वेंट्री) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली
 - GFR 2017 के अनुसार संस्थान द्वारा इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया/पूरा कर लिया गया है।
- (v) वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता
 - INFLIBNET, गांधीनगर वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है।

घ. अनुदान सहायता:

वर्ष के दौरान प्राप्त ₹16.05 करोड़ (ओएच 31 के अंतर्गत: ₹6.03 करोड़ तथा ओएच-36 के अंतर्गत: ₹10.02 करोड़) की अनुदान-सहायता में से, केंद्र ₹15.35 करोड़ (ओएच 31 के अंतर्गत उपयोग: ₹6.03 करोड़ तथा ओएच 36 के अंतर्गत उपयोग: ₹9.32 करोड़) की राशि का उपयोग कर सका, जिससे 31 मार्च 2025 को ₹0.70 करोड़ (ओएच:31 के अंतर्गत अव्ययित: ₹1,376 तथा ओएच 36 के अंतर्गत अव्ययित: ₹70,49,621) का अव्ययित अनुदान शेष रह गया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, इन्फ्लिबनेट, गांधीनगर को 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' (ओएनओएस) योजना के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों से कुल ₹1640.90 करोड़ की निधि प्राप्त हुई और उसने संपूर्ण राशि का उपयोग कर लिया।

5. राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, (एनएएसी), बेंगलुरु

क. आय और व्यय खाता

क.1. व्यय

क.1.1 अकादमिक व्यय (अनुसूची 11)- ₹ 15.40 करोड़

वित्तीय वर्ष 2022-23 / 2023-24 से संबंधित ₹73.00 लाख के व्यय को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए चार्ज किया गया। उपरोक्त गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुसूची 11 के तहत शैक्षणिक व्यय का अतिप्रकटन और पूर्व अवधि के व्यय का कम प्रकटन ₹73.00 लाख से हुआ है।

ख. सामान्य:

- ख.1. अनुसूची 6-बैलेंस शीट (2024-25) के तहत रसीदें और भुगतान खाते में बंद होने वाले बैंक शेष और नकद और बैंक शेष के बीच बेमेल



वर्ष 2024-25 के लिए एन. ए. ए. सी. के वार्षिक खातों के सत्यापन में, यह देखा गया है कि प्राप्तियों और भुगतान खाते में बैंक खाते खोलने की शेष राशि (66,99,105-रुपये) बैलेंस शीट (12,22,65,105/- रुपये) की अनुसूची 6 के तहत नकद और बैंक शेष राशि से मेल नहीं खाती है। इसी तरह, रसीदें और भुगतान खाते में बैंक खातों की समापन शेष राशि (रुपये 2,18,137-) बैलेंस शीट (रुपये 7,32,08,137/-) की अनुसूची 6 के तहत नकद और बैंक शेष राशि से मेल नहीं खाती है।

यह अंतर स्वीप खातों के एम. ओ. डी. शेष राशि को प्राप्तियों और भुगतान खातों में शामिल नहीं करने के कारण है। एमओडी शेष राशि को बैंक शेष राशि के रूप में माना जाता है और इसलिए इसे प्राप्तियों और भुगतान खातों में लिया जाना चाहिए। प्राप्तियों और भुगतान खातों को ठीक करने की आवश्यकता है।

ख.2 बही खातों एवं वार्षिक लेखा के बीच असंगति

स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित एकसमान लेखा प्रारूप और जीएफआर 2017 के नियम 212(1) के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक लेखा उचित रूप से रखे गए बही खातों के आधार पर कड़ाई से तैयार किए जाने चाहिए, और प्रत्येक अनुसूची में शेष राशियां संबंधित बही खातों के साथ मेल खानी चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एनएएसी के वार्षिक लेखा के प्रमाणन लेखा परीक्षण के दौरान, यह देखा गया कि टैली में बही अनुसूची-वार तरीके से नहीं रखा गया था, और बही खातों के शेष एवं वार्षिक लेखा की अनुसूचियों में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के बीच राशियों में अंतर देखा गया, जैसा कि नीचे विस्तृत है।

अनुसूची सं.	शीर्ष का खाता	के अनुसार राशि (₹)	के अनुसार राशि (₹)	अंतर
7	अकादमिक प्राप्तियां	76,52,22,000	82,19,53,433	(-)5,67,31,433
9	अन्य आय	30,43,79,656	27,65,03,447	2,78,76,209
10	स्टाफ भुगतान और लाभ	37,90,12,261	37,27,97,677	62,14,584
12	प्रशासनिक और सामान्य व्यय	2,12,71,066	20,75,48,925	(-)18,62,77,859

इसलिए, यह ज़रूरी है कि लेजर अकाउंट्स को टैली में शेड्यूल के हिसाब से मेंटेन किया जाए, जैसा कि एनुअल अकाउंट्स में दिखाया गया है, और सही मिलान के साथ ताकि सटीकता और पालन पक्का हो सके।

ग. आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन

(i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

- संस्था के पास आंतरिक लेखा परीक्षण विंग नहीं है।

(ii) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

- एन. ए. ए. सी. का आंतरिक लेखापरीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जा रहा है और यह केवल 2018-19 तक किया गया है।

(iii) स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

- स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन सक्षम प्राधिकारी द्वारा वार्षिक रूप से गठित एक समिति द्वारा किया जाता है और वर्ष 2023-24 के लिए पूरा किया जाता है।



(iv) भंडार (इन्वेंट्री) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

- इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन सालाना आयोजित किया जाता है और 2023-24 अवधि के लिए पूरा किया जाता है।

(v) वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

- संस्थान के सभी वैधानिक बकाया को निर्धारित तिथि के भीतर एकत्र और प्रेषित किया जाता है।

घ. अनुदान सहायता

संस्थान ने 2024-25 के दौरान ₹3.00 करोड़ (ओएच 36) की अनुदान-सहायता प्राप्त की। इसने ₹106.96 करोड़ (शैक्षणिक प्राप्तियां: ₹76.52 करोड़ और अन्य आय: ₹30.44 करोड़) की आंतरिक प्राप्तियां उत्पन्न कीं। कुल ₹109.96 करोड़ की निधियों में से इसने ₹73.45 करोड़ का उपयोग किया, जिससे 31 मार्च 2025 को ₹36.51 करोड़ का अव्ययित शेष रह गया।

6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीई) वैज्ञानिक अनुसंधान संघ (सीएसआर), इंदौर, मध्य प्रदेश

क. आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता

(i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त पाई गई क्योंकि प्रबंधन की अनुपालन लेखा परीक्षा आपत्तियों के प्रति प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं थी क्योंकि 04/2018 से 08/2021 की अवधि से संबंधित 22 पैरे लंबित थे।

(ii) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

- वित्तीय वर्ष 2018-19 के बाद से आंतरिक लेखा परीक्षण नहीं किया गया है।

(iii) स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

- वर्ष के दौरान स्थायी संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है।

(iv) इन्वेंट्री के फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रणाली

- वर्ष के दौरान भंडार का भौतिक सत्यापन किया गया है।

(v) वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

- वित्तीय वर्ष 2024-25 में कोई वैधानिक देय राशि बकाया नहीं पाई गई।

ख. अनुदान सहायता

वर्ष के दौरान, संस्थान ने ₹61.94 करोड़ की अनुदान-सहायता प्राप्त की। उपरोक्त के अतिरिक्त, उसके पास पिछले वर्ष का ₹5.69 करोड़ का अव्ययित शेष था। कुल उपलब्ध अनुदान ₹ 67.63 करोड़ में से, संस्थान ने ₹ 57.33 करोड़ के अनुदान का उपयोग किया, जिससे 31 मार्च 2025 तक ₹10.30 करोड़ की राशि अव्ययित रह गई।

वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज एवं यूजीसी को वापस की गई राशि ₹22.23 लाख जो उपयोग प्रमाणपत्रों में भी दर्शाई गई है।



7. इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंस (आईयूसीवाईएस), दिल्ली

क. तुलन पत्र

क.1. देयताएं

क.1.1 चालू देनदारियाँ और प्रावधान (अनुसूची 2)- ₹ 34.46 लाख

मार्च 2025 के महीने के लिए ₹1.55 लाख के वेतन (फेलोशिप) व्यय देय को बही-खातों में नहीं लिया गया है। ऐसी देयता का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्ययों का ₹1.55 लाख से कम प्रकटन और चालू दायित्व एवं प्रावधानों का ₹1.55 लाख से कम प्रकटन हुआ है।

क.2. परिसंपत्ति

क.2.1 स्थायी परिसंपत्तियां

वेबसाइट के विकास पर किए गए ₹40.89 लाख (परिशिष्ट 3) के व्यय को राजस्व व्यय के रूप में चार्ज कर दिया गया है, बजाय इसके कि इसे पूंजीगत कार्य प्रगति (सीडब्ल्यूपीआई) के अंतर्गत पूंजीकृत किया जाता। इस उपचार के परिणामस्वरूप पूंजीगत कार्य प्रगति का ₹40.89 लाख से कम प्रकटन और व्ययों का उसी राशि से अतिप्रकटन हुआ है।

ख. आय और व्यय खाता

ख.1. आय

ख.1.1 अनुदान/सब्सिडी (अनुसूची 6)- ₹ 1.14 करोड़

उपरोक्त अनुसूची राजस्व व्यय के लिए उपलब्ध और उपयोग किए गए अनुदानों को दर्शाती है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखांकन प्रारूप के अनुसार, यदि व्यय उपलब्ध अनुदान से अधिक है, तो राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया गया अनुदान, जो उपरोक्त अनुसूची में दर्शाया गया है, उपलब्ध अनुदान तक सीमित होना चाहिए और उपरोक्त अनुसूची में शेष राशि घाटे के बजाय शून्य दर्शाई जानी चाहिए।

आई. यू. सी. वाई. एस. को ₹ 104.59 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ लेकिन चित्रित अनुदान आय ₹ 114.40 लाख थी। इसके परिणामस्वरूप ऋण, अग्रिम और जमा और अनुदान/सब्सिडी में 9.81 लाख रुपये की वृद्धि हुई है।

ग. आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन:

(i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

- ऑडिट में देखे गए एरिया में आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त है।

(ii) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

- आई. यू. सी. वाई. एस. में कोई आंतरिक लेखा परीक्षण प्रकोष्ठ नहीं है।

(iii) स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

- 31-03-2025 तक आईयूसीवाईएस के पास कोई स्थायी संपत्ति नहीं है।

(iv) भंडार (इन्वेंट्री) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली



- 31-03-2025 तक आईयूसीवाईएस के पास पुस्तकों और प्रकाशनों, स्टेशनरी और उपभोग्य सामग्री की कोई भंडार (इन्वेंट्री) नहीं है।
- (v) वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता
- लेखाओं के अनुसार, 31-03-2025 तक वैधानिक देय राशियों के संबंध में छह माह से अधिक अवधि के कोई भुगतान विचाराधीन नहीं थे।
- घ. अनुदान सहायता
- आईयूसीवाईएस ने 2024-25 के दौरान ₹75.00 लाख की अनुदान-सहायता प्राप्त की। इसका 1 अप्रैल 2024 को ₹29.59 लाख का प्रारंभिक शेष था। ₹104.59 लाख की कुल निधियों का पूर्ण उपयोग कर लिया गया, जिससे 31 मार्च 2025 को शून्य शेष रह गया।

8. अंतर-विश्वविद्यालयी शिक्षक शिक्षा केंद्र, वाराणसी

क. आय और व्यय खाता व्यय

क.1. व्यय

क.1.1 कर्मचारी भुगतान एवं लाभ (स्थापना व्यय) - अनुसूची 15- ₹ 510.69 लाख

उपरोक्त में 'अन्य वेतन एवं मजदूरी' के विरुद्ध ₹ 165.16 लाख शामिल है जिसमें अस्थायी एवं निश्चित-मजदूरी कर्मचारियों का वेतन एवं मजदूरी शामिल है, जबकि इसे 'प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय' (अनुसूची-17) के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 'स्थापना व्यय' को ₹ 165.15 लाख से अधिक तथा 'प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय' को उसी राशि से कम दर्शाया गया है।

ख. आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता

(i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

केंद्र की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अपर्याप्तता निम्नलिखित कमियों से परिलक्षित होती है:

- केंद्र द्वारा सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के जीएफआर-3ए प्रारूप के अनुसार दायित्व रजिस्टर संधारित नहीं किया गया है।
- केंद्र द्वारा सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के जीएफआर-3 प्रारूप के अनुसार रोकड़ बही संधारित नहीं की गई है।

(ii) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

- केंद्र का आंतरिक लेखा परीक्षण वर्ष 2024-25 तथा पिछले वित्तीय वर्ष के लिए भी नहीं किया गया है, भले ही पिछली रिपोर्ट में यह इंगित किया गया था।

(iii) स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

- वर्ष 2024-25 के लिए स्थायी संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है।



- (iv) भंडार (इन्वेंट्री) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली
- वर्ष 2024-25 के लिए भंडार का भौतिक सत्यापन किया गया है।
- (v) वैधानिक देय राशि के भुगतान की नियमितता
- केंद्र वैधानिक देय राशियों के भुगतान में नियमित है।

ग. अनुदान सहायता

वर्ष 2024-25 के दौरान, केंद्र ने ₹ 819.33 लाख अनुदान-सहायता तथा ₹ 155.99 लाख की अन्य प्राप्तियाँ प्राप्त कीं। ₹ 284.44 लाख के आरंभिक शेष को लेने के बाद, कुल उपलब्ध निधि ₹ 1259.76 लाख आई। केंद्र ने ₹ 1140.88 लाख की राशि का उपयोग किया, जिससे 31 मार्च 2025 तक ₹ 118.88 लाख का शेष रह गया।



अनुलग्नक-1:

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना	संस्थान/ विश्वविद्यालय	अनुदान जारी	अनुदान का उपयोग/	अनुदान अप्रयुक्त/ लंबित प्रमाणपत्र	अप्रयुक्त अनुदान वापस किया गया	अर्जित ब्याज
1	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के आवर्ती आवंटन/ शिक्षा विद्यालय की स्थापना	18 केंद्रीय विश्वविद्यालय	₹127	₹97.26	₹1.72	₹48.75	₹20.73
2	पूँजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण	42 केंद्रीय विश्वविद्यालय	₹924.77	₹726.49	₹196.49	₹1.79	
3	ग्यारहवीं योजना जीडीए	144 राज्य विश्वविद्यालय	₹846.91	₹729.08	₹117.83		
4	ग्यारहवीं योजना की विलय योजना	144 राज्य विश्वविद्यालय	₹400.53	₹239.54	₹160.99		
5	बारहवीं योजना जीडीए	162 राज्य विश्वविद्यालय	₹1,346.95	₹1,190.55	₹156.40		
6	विशेष सहायता कार्यक्रम	109 विश्वविद्यालय	₹185.86	₹104.73	₹81.13		
7	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लुप्तप्राय भाषाओं के लिए केंद्रों की स्थापना	9 केंद्रीय विश्वविद्यालय	₹27.54	₹16.73	₹9.87	₹2.16	₹1.22
8	i. NSQF - सामुदायिक महाविद्यालय	40 संस्थान	₹186.06	₹175	₹11.06		
	ii. बी.वोक. डिग्री प्रोग्राम	32 संस्थान	₹72.15	₹56	₹16.15		
	iii. डीडीयू कौशल केंद्र	11 संस्थान	₹318	₹307	₹11		
9	बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान	कालेजों	₹28.5	₹14.90	₹13.60	₹0.0009	
10	कालेजों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट फॉर पोर्टेशियल एक्सीलेंस (CPI)	कालेजों	₹80.81	₹47.20	₹32.66	₹0.95	
11	रिसोर्स सेंटर (NRC) की स्थापना के लिए अनुदान	कालेजों	₹88.87	₹85.66	₹3.21		
12	ओबीसी के तहत क्षमता विस्तार	केंद्रीय विश्वविद्यालय	₹2,496.93	₹2,380.43	₹5.60	₹194.39	₹83.49
13	ओबीसी के तहत क्षमता विस्तार	डीमड विश्वविद्यालय	₹162.58	₹163.32	₹0.65	₹5.42	₹6.81
14	शिक्षा में मानवाधिकार और मूल्य	2 विश्वविद्यालय	₹0.03	₹0.01	₹0.02		
	कुल				₹818.38		

जिनेन्द्र

अनुलग्नक-2 (पूर्व अवधि व्यय)

क्रम सं.	दल का नाम	अवधि	वाउचर संख्या।	वाउचर की तारीख	टिप्पणी	चालान राशि
1	मेसर्स एसके न्यूजपेपर एंड मैगज़ीन एजेंसी	01.10.2023 से 31.03.2024 तक	152	04.06.2024	समाचार पत्र	16,797
2	मेसर्स वर्टिव एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	17.08.2023 से 16.02.2024 तक	27	22.04.2024	कार्यालय उपकरणों का रखरखाव	30,680
3	मेसर्स एसआर इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स	13.09.2023 से 12.12.2023	28	22.04.2024	कार्यालय उपकरणों का रखरखाव	40,292
4	मेसर्स सन ब्रॉडकास्ट इन्फ्रामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	21.12.2023 से 20.03.2024	30	22.04.2024	कार्यालय उपकरणों का रखरखाव	71,464
5	मेसर्स एसआर इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स	13.12.2023 से 12.03.2024	102	21.05.2024	कार्यालय उपकरणों का रखरखाव	41,925
6	मेसर्स क्वींस रोड सर्विस स्टेशन	फ़रवरी'24 और मार्च'24	71	06.05.2024	पेट्रोल ए/सी	78,570
7	निदेशक आईयूएसी नई दिल्ली	02.02.2024 से 02.04.2024	148	31.05.2024	बिजली शुल्क	5,51,878
8	ईएमआरसी, मदुरै	08.02.2024 से 09.02.2024	238	19.07.2024	इंटरशिप / ट्रेनिंग / वर्कशॉप का अकाउंट	7,10,493
9	हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय	05.03.2024 से 07.03.2024	369	10.09.2024	डिजिटल शिक्षा 2024 पर सेमिनार/सम्मेलन	9,21,415
10	ईएमआरसी, अहमदाबाद	15.06.2023 से 16.06.2023	496	04.11.2024	आतिथ्य / बैठक व्यय खाता	8,22,830
11	ईएमआरसी गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	16.03.2024 से 17.03.2024	572	12.12.2024	सेमिनार/सम्मेलन/ कन्वेंशन खाता	10,24,432
12	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	21.11.2022 से 23.11.2022 तक	709	03.12.2025	सेमिनार/सम्मेलन/ कन्वेंशन खाता	8,98,125

Handwritten signature

13	ईएमआरसी विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	गुजरात	28.03.2023 से 29.03.2023	744	20.02.2025	इंटरशिप / ट्रेनिंग / वर्कशॉप का अकाउंट	8,60,469
कुल योग							60,69,370

अनुलग्नक 3

वाउचर संख्या।	वाउचर की तारीख	विक्रेता	मात्रा	टिप्पणी
31	22.09.2023	मेसर्स सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज	6,81,450	पहला माइलस्टोन (कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का 15%)
56	03.01.2025	मेसर्स सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज	34,07,250	दूसरा माइलस्टोन (कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का 75%)
कुल			40,88,700	

Handwritten signature

 सत्यमेव जयते	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग University Grants Commission शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (Ministry of Education, Govt. of India) बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली- 110 002 Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002 Phone : 011-23604301, 011-23604199	 ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
---	---	--

सं. फा.8-2/2023-24 (एफडी-II)

०३ मार्च, 2026

वर्ष 2024-25 के लिए यूजीसी के वार्षिक लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा के संबंध में
यूजीसी एवं उसके आईयूसी केंद्रों की टिप्पणियां

भाग-क : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की टिप्पणियां

क्र.सं.	लेखा परीक्षण अनुच्छेद	यूजीसी की टिप्पणी
क. क.1 क.1.1	तुलन पत्र परिसंपत्ति स्थायी संपत्ति (अनुसूची-4): ₹982.03 लाख मूर्त परिसंपत्ति: ₹ 896.11 लाख सी.पी.डब्ल्यू.डी. को दिए गए अग्रिम के विरुद्ध किए गए ₹ 556.41 लाख के व्यय को राजस्व व्यय के रूप में बुक किया गया है, न कि पूंजीकृत, जो लेखा मानक-10 (ए.एस.-10) की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। इसके कारण स्थायी संपत्तियों का ₹ 556.41 लाख से कम मूल्यांकन तथा चालू वर्ष एवं पिछले वर्षों के व्ययों का ₹ 556.41 लाख से अधिक मूल्यांकन हुआ है तथा अदर्जित हास की सीमा तक लाभ का भी अधिक मूल्यांकन हुआ है।	अनुपालन के लिए नोट किया जाता है।
क.1.2	ऋण, अग्रिम एवं जमाएं (अनुसूची-8): ₹1805.45 लाख मई 2013 में, यूजीसी ने जाकिर हुसैन कॉलेज के लिए बहुमंजिला शैक्षणिक टावर के निर्माण हेतु ₹ 67.97 करोड़ की अनुमानित लागत को मंजूरी दी। कॉलेज ने नवंबर 2021 में परियोजना की अनुमानित लागत को ₹68.00 करोड़ से बढ़ाकर ₹95.50 करोड़ करने तथा अनुदान-सहायता पर अर्जित ₹18 करोड़ की ब्याज राशि को बहुमंजिला शैक्षणिक टावर के निर्माण हेतु अनुदान के भाग के रूप में माने जाने की यूजीसी से अनुरोध किया। यूजीसी ने जनवरी 2022, जुलाई 2022 एवं मार्च 2023 में कॉलेज से ₹12.50 करोड़ की ब्याज राशि (कॉलेज को जारी की जाने वाली ₹5.50 करोड़ की स्वीकृत	अध्यक्ष, यूजीसी द्वारा बनाई गई कमेटी की एक मीटिंग 27.8.2025 को हुई। कमेटी की सिफारिश के अनुसार, कॉलेज को 13 नवंबर, 2025 को एक पत्र भेजा गया, जिसमें बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के मल्टी स्टोरीड एकेडमिक टॉवर के निर्माण कार्य से संबंधित ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करने का अनुरोध किया गया था।



	<p>अनुदान-सहायता के समायोजन के पश्चात) की वापसी का अनुरोध किया। यूजीसी द्वारा कॉलेज से प्रायः ₹12.50 करोड़ की ब्याज राशि को ऋण, अग्रिम एवं जमाओं के अंतर्गत तथा चालू दायित्वों के अंतर्गत भी नहीं दर्शाया गया, क्योंकि अनुदान-सहायता पर अर्जित ब्याज आय भारत सरकार को वापस की जानी है। इसके कारण ऋण, अग्रिम एवं जमाओं के साथ-साथ चालू दायित्वों का भी ₹12.50 करोड़ से कम मूल्यांकन हुआ है। इसकी ओर वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के प्रतिवेदन में भी संकेत किया गया था, किंतु यूजीसी द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।</p>	
ख.	सामान्य	विश्वविद्यालयों/संस्थानों के पास लंबित अव्ययित शेष राशियाँ प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लंबित उपयोग प्रमाणपत्र (यू.सी.) ₹818.38 करोड़ से घटकर ₹638.04 करोड़ रह गया है। विवरण अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।
1.	<p>यूजीसी द्वारा विभिन्न संस्थानों (केंद्रीय विश्वविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों) को अनुदान-सहायता जारी करना तथा इसकी वापसी को नकद आधार पर लेखांकित किया जा रहा है, जैसा कि इसकी महत्वपूर्ण लेखा नीति क्रमांक 1(ख) में घोषित है। किंतु, यूजीसी द्वारा अपर्याप्त अनुवर्तन के कारण इन संस्थानों के पास अनुदान-सहायता की बहुत बड़ी राशि अनुपयोगित पड़ी है। परिशिष्ट-1 के अनुसार, 31.3.2025 तक जिन अनुदानों हेतु उपयोग प्रमाणपत्र (यू.सी.) लंबित थे, उनकी अनुपयोगित राशि ₹818.38 करोड़ थी।</p>	
2.	<p>MoE के अनुसार प्रकटीकरण की आवश्यकता:</p> <p>शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी लेखा के एकसमान प्रारूप के अनुसार, सावधि जमा पर ब्याज आय को अनुसूची-11 (निवेशों से आय) में प्रकट किया जाना चाहिए। किंतु, यूजीसी द्वारा ₹7.88 करोड़ की सावधि जमा (कैनरा बैंक-8627101002314) पर ब्याज को अनुसूची-12 (अर्जित ब्याज: ₹39.12 करोड़ में शामिल) में प्रकट किया गया है।</p>	अनुपालन के लिए नोट किया जाता है।
ग.	<p>प्रबंधन पत्र:</p> <p>जिन कमियों को ऑडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के ज़रिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के ध्यान में लाया गया है।</p>	अनुपालन के लिए नोट किया जाता है।

घ. आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन

(i)	<p>आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता यूजीसी के आंतरिक नियंत्रण को निम्नलिखित क्षेत्रों में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है:</p> <ul style="list-style-type: none"> यूजीसी द्वारा जारी अनुदान-सहायता का अपर्याप्त अनुवर्तन, जिसके कारण 	विश्वविद्यालयों/संस्थानों के पास लंबित अव्ययित शेष राशियाँ प्राप्त करने के प्रयास
-----	---	---

Handwritten signature

	विश्वविद्यालयों/संस्थानों के पास धनराशि अवरुद्ध हो गई है।	किए जा रहे हैं। लंबित उपयोग प्रमाणपत्र (यू.सी.) ₹818.38 करोड़ से घटकर ₹638.04 करोड़ रह गया है।
	<ul style="list-style-type: none"> बाह्य लेखा परीक्षण आपत्तियों के प्रति प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं है, क्योंकि 31.03.2025 तक यूजीसी के संबंध में अवधि 1979-80 से 2023-24 से संबंधित 60 लेखा अनुच्छेद लंबित थे। 	अनुपालन हेतु नोट किया जाता है।
(ii)	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	नोट किया जाता है।
	<ul style="list-style-type: none"> यूजीसी का कोई आंतरिक लेखा परीक्षण प्रकोष्ठ नहीं है। 	
	<ul style="list-style-type: none"> यूजीसी की आंतरिक लेखा परीक्षण शिक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है और यह वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की जा चुकी है। 	नोट किया जाता है।
	<ul style="list-style-type: none"> यूजीसी में कोई आंतरिक लेखा परीक्षण नियमावली नहीं है। 	यूजीसी की आंतरिक लेखा परीक्षण शिक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है।
(iii)	स्थायी संपत्तियों की भौतिक सत्यापन प्रणाली	नोट किया जाता है।
	<ul style="list-style-type: none"> यूजीसी के फर्नीचर एवं फिटिंग्स तथा कंप्यूटरों एवं उसके सामानों का भौतिक सत्यापन 31.03.2025 तक कर लिया गया है। 	
	<ul style="list-style-type: none"> यूजीसी के पुस्तकों एवं प्रकाशनों का भौतिक सत्यापन 2024-25 तक कर लिया गया है। 	नोट किया जाता है।
iv.	भंडार (इन्वेंट्री) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	नोट किया जाता है।
	<ul style="list-style-type: none"> यू. जी. सी. की उपभोग्य सामग्रियों और लेखन सामग्री का भौतिक सत्यापन 31.03.2025 तक किया गया है। 	
v.	वैधानिक देयों के भुगतान में नियमितता	नोट किया जाता है।
	31 मार्च 2025 तक छह महीने से अधिक समय तक सांविधिक बकाया के संबंध में कोई भुगतान बकाया नहीं था।	
ड.	अनुदान सहायता	नोट किया जाता है।
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को मुख्य रूप से शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, यूजीसी को ₹20820.69 करोड़ की अनुदान-सहायता प्राप्त हुई। 1 अप्रैल 2024 को इसके पास ₹454.36 करोड़ का अव्ययित शेष था, अनुदानी संस्थाओं से ₹509.67 करोड़ की वापसी हुई तथा ₹103.22 करोड़ की आय प्राप्त हुई। ₹21887.94 करोड़ की कुल निधि में से, ₹33.76 करोड़ स्वतः ही ट्रेजरी सिंगल अकाउंट सिस्टम के अंतर्गत आत्मसमर्पित हो गया तथा ₹405.92 करोड़ शिक्षा मंत्रालय को वापस कर दिया गया। इसने ₹20801.18 करोड़ (पूँजीगत: ₹2.04 करोड़, राजस्व: ₹132.47 करोड़ और अनुदान:	

13/04/24

	<p>₹20666.67 करोड़) का उपयोग किया, जिससे 31 मार्च 2025 को ₹647.07 करोड़ का अव्ययित शेष रह गया। वर्ष 2024-25 के दौरान, इसे निम्नलिखित मंत्रालयों से भी अनुदान-सहायता प्राप्त हुई</p> <p>क. यूजीसी को एससी हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से कोई अनुदान-सहायता प्राप्त नहीं हुई तथा इसका आरंभिक शेष ₹0.52 करोड़ था। इसे बैंक ब्याज एवं वापसी के रूप में ₹0.05 करोड़ भी प्राप्त हुए। ₹0.57 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों में से, यूजीसी ने ₹0.57 करोड़ वापस कर दिए, जिससे 31.3.2025 को शून्य करोड़ का अव्ययित शेष रह गया।</p> <p>ख. यूजीसी को अल्पसंख्यकों हेतु मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से कोई अनुदान-सहायता प्राप्त नहीं हुई तथा इसका आरंभिक शेष ₹0.06 करोड़ था। इसे बैंक ब्याज एवं वापसी के रूप में ₹0.01 करोड़ भी प्राप्त हुए। ₹0.07 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों में से, इसने शून्य राशि का उपयोग किया, जिससे 31.3.2025 को ₹0.07 करोड़ का अव्ययित शेष रह गया।</p> <p>ग. यूजीसी को एसटी हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय से कोई अनुदान-सहायता प्राप्त नहीं हुई, इसका आरंभिक शेष ₹0.86 करोड़ था। इसे बैंक ब्याज एवं वापसी के रूप में ₹0.11 करोड़ भी प्राप्त हुए। ₹0.97 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों में से, इसने शून्य राशि का उपयोग किया, जिससे 31.3.2025 को ₹0.97 करोड़ का अव्ययित शेष रह गया।</p>	<p>नोट किया जाता है।</p> <p>नोट किया जाता है।</p> <p>नोट किया जाता है।</p>
--	---	--

भाग-ख

यूजीसी के अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र

आई. यू. सी. के संबंध में लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर टिप्पणियां आई. यू. सी. से प्राप्त हुईं।

1. अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र (आईयूएसी), नई दिल्ली

क.	आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन	
i.	<p>आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता</p> <ul style="list-style-type: none"> लेखा परीक्षा द्वारा देखे गए क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है। 	नोट किया जाता है।

सिद्ध

ii.	<ul style="list-style-type: none"> आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता आईयूएसी के पास आंतरिक लेखा परीक्षण विंग नहीं है। 	नोट किया जाता है।
	<ul style="list-style-type: none"> आईयूएसी का आंतरिक लेखा परीक्षण वित्तीय वर्ष 2018-19 तक यूजीसी द्वारा किया गया था। 	यूजीसी आंतरिक लेखा परीक्षण दल से अनुरोध किया जाएगा कि वर्ष 2018-19 तक के बकाया लेखा परीक्षा पैरों को, जब भी लेखा परीक्षण दल आईयूएसी का दौरा करे, समाप्त कर दिया जाए।
	<ul style="list-style-type: none"> 31 मार्च 2025 तक वर्ष 2018-19 तक की अवधि के 23 आंतरिक लेखा परीक्षा पैरे बकाया थे। 	नोट किया जाता है।
iii	<p>स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली</p> <ul style="list-style-type: none"> आईयूएसी की स्थायी संपत्तियों, जिसमें पुस्तकालय की पुस्तकें शामिल हैं, का भौतिक सत्यापन वर्ष 2024-25 तक कर लिया गया है। 	नोट किया जाता है।
iv.	<p>भंडार (इन्वेंटरी) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली</p> <ul style="list-style-type: none"> आईयूएसी के लेखन सामग्री एवं उपभोग्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन वर्ष 2024-25 तक कर लिया गया है। 	नोट किया जाता है।
v.	<p>वैधानिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता</p> <ul style="list-style-type: none"> लेखाओं के अनुसार, वैधानिक देय राशियों के संबंध में 31.03.2025 तक छह माह से अधिक अवधि का कोई भुगतान बकाया नहीं था। 	नोट किया जाता है।
ख.	<p>अनुदान सहायता</p> <p>लेखाओं के अनुसार, आईयूएसी ने वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 88.89 करोड़ (पूँजीगत: ₹ 16.34 करोड़ एवं राजस्व: ₹ 72.55 करोड़) की अनुदान-सहायता प्राप्त की। इसके पास ₹ 11.80 करोड़ (पूँजीगत: ₹ 11.80 करोड़ एवं राजस्व: शून्य) का आरंभिक शेष था। कुल ₹ 100.69 करोड़ की राशि में से, इसने ₹ 77.85 करोड़ (पूँजीगत: ₹ 5.30 करोड़ एवं राजस्व: ₹ 72.55 करोड़) का उपयोग किया, जिससे 31 मार्च 2025 तक ₹ 22.83 करोड़ (पूँजीगत: ₹ 22.83 करोड़ एवं राजस्व: शून्य) का अव्ययित शेष रह गया। अभिलेख की बात।</p>	नोट किया जाता है।

Handwritten signature

2. शैक्षिक संचार संघ (सीईसी), नई दिल्ली

<p>क. क.1 क.1.1</p>	<p>तुलन पत्र परिसंपत्ति स्थायी परिसंपत्ति (अनुसूची 4): ₹ 3.82 करोड़</p> <p>लाइव लेक्चर्स शीर्षक के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों का मूल्यहास 40% की दर से किया जाना चाहिए था। तथापि, स्थायी संपत्ति की अनुसूची 4 के अवलोकन में ज्ञात हुआ कि लाइव लेक्चर्स शीर्षक के अंतर्गत सकूल ब्लॉक का मूल्य ₹ 157.50 लाख पूर्ण रूप से मूल्यहसित कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप स्थायी संपत्तियों तथा पूंजी निधि दोनों को ₹ 94.50 लाख से कम दर्शाया गया है। (15749739 का 60%)</p>	<p>लेखांकन उपचार को अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2025-26 में लागू वित्तीय प्रतिवेदन रूपरेखा के अनुरूप सुधारा जाएगा। परिसंपत्ति मूल्यांकन एवं मूल्यहास गणना में किसी भी विसंगति को उचित रूप से सुधारा जाएगा तथा लेखों में समुचित रूप से प्रकट किया जाएगा ताकि वित्तीय विवरणों का सत्य एवं उचित प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित हो सके।</p>
<p>ख. ख.1 ख.1.1</p>	<p>आय व्यय व्यय पूर्ववर्ती अवधि के व्यय (अनुसूची 22): ₹1.67 लाख</p> <p>1. उपरोक्त में परिशिष्ट-2 में विस्तृत ₹ 60.69 लाख की पूर्ववर्ती अवधि के व्यय राशि शामिल नहीं है। इसके कारण प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (अनुसूची 17) को ₹ 60.69 लाख से अधिक तथा पूर्ववर्ती अवधि के व्यय को इतने ही ₹ से कम दर्शाया गया है।</p>	<p>अनुपालन हेतु नोट किया जाता है।</p> <p>लेखांकन उपचार को अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2025-26 में लागू वित्तीय प्रतिवेदन रूपरेखा के अनुरूप सुधारा जाएगा।</p>
<p>ग. 1.</p>	<p>सामान्य</p> <p>कर्मचारी का वेतन और भत्ते (अनुसूची 15): ₹ 9.78 करोड़</p> <p>अनुसूची 15ए (कर्मचारी सेवानिवृत्ति और अंतिम लाभ) के अनुसार वर्ष 2024-25 में किए जाने वाले सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान है ₹. 3.78 करोड़। आय और व्यय खाते में डेबिट करके प्रावधान करने के बजाय खातों के प्रारूप का उल्लंघन करते हुए पूंजी कोष से कटौती करके प्रावधान बनाए गए हैं।</p>	<p>अनुपालन के लिए नोट किया जाता है।</p> <p>शिक्षा मंत्रालय (एमओई) दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुसार, पिछले वर्ष की रिपोर्ट में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) द्वारा दिए गए परामर्श के अनुपालन में राशि को अनुसूची (कोष निधि) से घटा दिया गया है। उचित प्रकटीकरण एवं प्रतिवेदन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए लेखांकन उपचार उक्त अनुशंसा के अनुरूप किया गया है।</p> <p>बीमांकिक आकलन के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं अंतिम लाभों हेतु कुल ₹2.81 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान आवश्यक था और इसे अनुसूची 1 के भाग के रूप में सीधे समायोजित कर दिया गया था। तथापि, चालू वर्ष के सेवानिवृत्ति एवं अंतिम लाभों का प्रावधान भी अनुसूची-15 (कर्मचारी भुगतान एवं लाभ) के माध्यम से आय एवं व्यय खाते में शामिल कर लिया गया था। इस प्रकार, कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं अंतिम लाभों हेतु वर्ष 2023-24 के प्रावधान को दोहरा गिन लिया गया क्योंकि इसका दो बार प्रभाव पड़ा अर्थात् (i) कर्मचारी भुगतान</p>

अभिलेख

		<p>एवं लाभ (अनुसूची 15) के भाग के रूप में और (ii) अनुसूची-1 के भाग के रूप में सीधे, इस दोहरे लेखांकन के परिणामस्वरूप लेखों को संतुलित करने के लिए। सेवानिवृत्ति लाभों का उपार्जन (₹2.81 करोड़) को आय के रूप में दर्शाया गया।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप आय को ₹2.81 करोड़ से अधिक दर्शाया गया। यह मुद्दा पिछले लेखा परीक्षा वर्ष की रिपोर्ट में भी उठाया गया था।</p> <p>उपरोक्त अवलोकन के अनुरूप वर्ष 2024-25 में इसका सुधार कर दिया गया है।</p>
घ.	आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता	नोट किया जाता है।
i	<p>आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता</p> <ul style="list-style-type: none"> बाह्य लेखा परीक्षा के आपत्तियों के प्रति प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं है। 	
ii	<p>आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता</p> <ul style="list-style-type: none"> वित्तीय वर्ष 2018-19 तक आंतरिक लेखा परीक्षण यूजीसी द्वारा किया गया था। 	नोट किया जाता है।
iii	<p>स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली</p> <ul style="list-style-type: none"> फर्नीचर एवं फिक्स्चर का भौतिक सत्यापन 31.03.2019 तक किया गया है। वाहनों का भौतिक सत्यापन 31.03.2025 तक किया गया है। प्लांट एवं मशीनरी (ऑडियो वीडियो उपकरण) का भौतिक सत्यापन 30.09.2024 तक किया गया है। कंप्यूटर एवं परिधीय उपकरणों का भौतिक सत्यापन 31.03.2019 तक किया गया है। मीडिया टेप लाइब्रेरी का भौतिक सत्यापन 31.12.2024 तक किया गया है। 	<p>फर्नीचर एवं फिक्स्चर, स्टेशनरी एवं उपभोग्य सामग्री के भौतिक सत्यापन हेतु समिति का गठन किया गया है एवं कार्य प्रगति पर है।</p> <p>नोट किया जाता है।</p> <p>प्लांट एवं मशीनरी (ऑडियो वीडियो उपकरण) का भौतिक सत्यापन 13.08.2025 तक किया जा चुका है।</p> <p>कंप्यूटर एवं परिधीय उपकरणों के भौतिक सत्यापन हेतु समिति का गठन किया गया है एवं कार्य प्रगति पर है।</p> <p>नोट किया जाता है।</p>
iv	<p>भंडार (इन्वेंट्री) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली</p> <ul style="list-style-type: none"> पुस्तकों एवं प्रकाशनों का भौतिक सत्यापन 31.12.2024 तक किया गया है। स्टेशनरी एवं उपभोग्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन 31.03.2019 तक किया गया है। 	<p>नोट किया जाता है।</p> <p>स्टेशनरी एवं उपभोग्य सामग्री के भौतिक सत्यापन हेतु समिति का गठन 7 जुलाई, 2025 को किया गया एवं कार्य प्रगति पर है।</p>

Handwritten signature

v.	<p>वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता</p> <ul style="list-style-type: none"> लेखाओं के अनुसार, 31-03-2025 तक वैधानिक देय राशियों के संबंध में छह माह से अधिक अवधि के कोई भुगतान विचाराधीन नहीं थे। 	नोट किया जाता है।
इ	<p>अनुदान सहायता</p> <p>सीईसी ने वर्ष 2024-25 के दौरान यूजीसी/शिक्षा मंत्रालय से 28.24 करोड़ रुपये की अनुदान-सहायता प्राप्त की तथा इसका 78.59 करोड़ रुपये का प्रारंभिक शेष था। संस्थान को वर्ष के दौरान 0.95 करोड़ रुपये का ब्याज एवं अन्य आय तथा 0.07 करोड़ रुपये की पूंजी निधि में अंतरण (समायोजन) प्राप्त हुआ। 107.70 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध निधियों में से, संस्थान ने 17.95 करोड़ रुपये का उपयोग किया, जिससे 31 मार्च, 2025 को 89.76 करोड़ रुपये का अव्ययित शेष रह गया।</p>	नोट किया जाता है।

3. खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी अंतर-विश्वविद्यालयी केंद्र (आईयूसीएए), पुणे

क. क.1 क.1.1	<p>तुलन पत्र परिसंपत्ति स्थायी परिसंपत्तियां (अनुसूची 7)-र 78.53 करोड़</p>	<p>यह सूचित किया जाता है कि हमने आईएफसीपीएआर और इसरो आदि द्वारा जारी मंजूर पत्रों से संलग्न नियमों एवं शर्तों का पालन किया है।</p>
1.	<p>उपरोक्त में प्रायोजित परियोजनाओं द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय शामिल हैं, जिनका स्वामित्व 31.03.2025 तक प्रायोजक एजेंसी के पास निहित है, जिनकी राशि ₹2.90 करोड़ है, जैसा कि नीचे विस्तृत है:</p>	<p>उनके मंजूरी पत्र के अनुसार,</p> <ol style="list-style-type: none"> हमें संपत्तियों को संबंधित परियोजना के अंतर्गत ही मानना होगा यदि उनकी खरीद परियोजना निधियों से हुई है। यही उपचार हमारे बही-खातों एवं तुलन पत्र में प्रतिबिंबित किया गया है। चूंकि, हम वर्ष के दौरान संपत्ति के कब्जे में हैं, हमें आयकर अधिनियम के अनुसार मूल्यहास लगाना होगा। मंजूरी पत्र में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए लेखांकन नीतियों द्वारा निर्देशित महत्वपूर्ण लेखांकन नीति का उल्लेख नहीं किया गया था। हमने वित्तीय वर्ष के दौरान परियोजना संपत्तियों के अर्जन से संबंधित लेखा टिप्पणियों में पहले ही रिपोर्ट कर दिया है।

अंतर्गत

	उपरोक्त के आधार पर, प्रायोजित परियोजनाओं के लिए दिया गया उपचार सही है और सामान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है।
--	---

क्रम संख्या	प्रोजेक्ट का नाम	31 मार्च 2025 तक एसेट्स का ग्राँस ब्लॉक	मूल्यहास का प्रारंभिक शेष	31.03.2025 तक एसेट का नेट मूल्य	वर्ष के दौरान लगाया गया मूल्यहास
1	IFCPAR प्रोजेक्ट नंबर-6504-2-दीपानियन मुखर्जी- एसेट	4,93,656	78,985	3,75,180	39,492
2	इसरो-एस्ट्रोसैट -एसेट्स-रणजीव मिश्रा (डी भट्टाच)	30,76,200	25,59,166	4,72,429	44,604
3	इसरो-एस्ट्रोसैट यूवी डीप फील्ड (AUDF) - एसेट्स	44,997	-	41,397	3,600
4	इसरो सैटेलाइट सेंटर (ISAC) एएनआर-एसेट्स	12,25,72,390	9,68,74,199	1,58,92,401	98,05,791
5	इसरो सोलर फ्लेयर्स - प्रोफेसर दुर्गेश त्रिपाठी संपत्ति	4,62,546	37,004	3,88,538	37,004
6	इसरो सूट - वैज्ञानिक उपकरण	2,74,51,080	1,34,37,553	1,18,17,442	21,96,086
	Total	15,41,00,869	11,29,86,907	2,89,87,387	1,21,26,577

उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की अनुसूची 23 के खंड 3.7 के अनुसार; "अंकित निधियों तथा प्रायोजित परियोजनाओं की निधियों से निर्मित संपत्तियां, जहां ऐसी संपत्तियों का स्वामित्व संस्था में निहित हो, को पूंजी निधि में जमा करके निर्मित किया जाता है और संस्था की स्थायी संपत्तियों में विलय कर दिया जाता है। संबंधित संपत्तियों पर लागू दरों पर मूल्यहास लगाया जाता है। प्रायोजित परियोजना निधियों से निर्मित संपत्तियां, जहां स्वामित्व प्रायोजकों के पास बना रहता है लेकिन संस्था द्वारा धारण एवं उपयोग किया जाता है, उन्हें लेखा टिप्पणियों में अलग से प्रकट किया जाता है।"

Handwritten signature

	<p>यह देखा गया है कि निधियों से अर्जित परिसंपत्तियों का स्वामित्व आईएफसीपीएआर और इसरो प्रायोजकों द्वारा इन परिसंपत्तियों को बनाए रखा जाता है, इन परिसंपत्तियों का अलग से लेखा टिप्पणियों में खुलासा किया जाना चाहिए। हालांकि, आई. यू. सी. ए. ए. ने इन परिसंपत्तियों को पूंजीकृत किया है और वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों (अनुसूची 7) में प्रदर्शित किया है और ₹1.21 करोड़ का मूल्यहास किया है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप स्थिर परिसंपत्तियों का अति-विवरण ₹2.90 करोड़, मूल्यहास का अति-विवरण ₹1.21 करोड़ और निर्दिष्ट/चिह्नित निधियों (अनुसूची 3) का अति-विवरण ₹2.90 करोड़ और पूंजी निधियों/सामान्य निधियों का अति-विवरण ₹1.21 करोड़ हो गया है।</p>	
<p>ख. आय एवं व्यय खाता</p> <p>ख.1 अनुदान एवं दान (अनुसूची 12) - ₹58.64 करोड़</p> <p>1</p>	<p>हमारी लेखा परीक्षा के दौरान, यह देखा गया है कि संस्थान ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में "अनुदान-सहायता - सामान्य (वेतन)" शीर्ष के अंतर्गत ₹1.65 करोड़ की राजस्व को मान्यता दी है। सत्यापन पर, यह नोट किया गया कि यह अनुदान सरकार से विशेष रूप से अप्रैल 2025 के महीने के वेतन के भुगतान के लिए प्राप्त हुआ है, अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए।</p> <p>इस अनुदान को वित्तीय वर्ष 2024-25 में दर्ज करने से राजस्व अतिप्रकटित हुआ है तथा रिपोर्ट किया गया अधिशेष बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है, क्योंकि संबंधित वेतन व्यय अप्रैल 2025 से संबंधित है।</p>	<p>लेखापरीक्षा टिप्पणियों को नोट किया जाता है। निधि प्रदाता एजेंसी के निर्देशानुसार, मार्च 2025 और अप्रैल 2025 के वेतन के भुगतान के लिए अनुदान अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थानांतरित कर दिया गया था। लेखांकन प्रविष्टि का ध्यान वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान रखा जाएगा।</p>
<p>ग. सामान्य</p> <p>ग.1 लेखाओं के एकसमान प्रारूप का अनुप्रयोग नहीं</p>	<p>केंद्रीय उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के वित्तीय विवरणों के संकलन हेतु टिप्पणियों एवं निर्देशों के अनुसार, नैर-लाभकारी एवं अन्य समान संगठनों के वित्तीय विवरणों (अर्थात् तुलन पत्र और आय एवं व्यय खाता) को उपार्जन आधार पर तैयार किया जाना चाहिए; और सुझाए गए प्रारूप में, या उसके यथासंभव निकट, होना चाहिए।</p> <p>केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों के वार्षिक वित्तीय विवरणों में निर्धारित विवरण शामिल होते हैं जिन्हें शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखाओं के प्रारूप में दिए गए प्रारूपों एवं रीति में प्रस्तुत किया जाना है।</p>	<p>अनुपालन हेतु नोट किया जाता है।</p>

सिंह

	<p>वार्षिक लेखाओं की जांच के दौरान, यह देखा गया है कि आईयूसीए ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (सीएचआईई) के लिए निर्धारित एकसमान प्रारूप के अनुसार अपने लेखा अपनाए एवं तैयार नहीं किए हैं। हालांकि, यूजीसी स्वयं शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित एकसमान प्रारूप में अपने वार्षिक लेखा तैयार कर रहा है।</p>	
घ.	<p>आंतरिक नियंत्रणों का आकलन</p>	नोट किया जाता है।
i.	<p>आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता</p> <ul style="list-style-type: none"> लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए क्षेत्र में संस्थान की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है। 	
ii.	<p>आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली की पर्याप्तता</p> <ul style="list-style-type: none"> संस्थान की आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली अपेक्षाकृत पर्याप्त नहीं है। संस्थान के भीतर आंतरिक लेखा परीक्षण विंग स्थापित नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखा परीक्षण द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान मंत्रालय द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षण भी नहीं किया गया। 	नोट किया जाता है।
iii.	<p>स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली</p> <ul style="list-style-type: none"> संस्थान द्वारा स्थायी संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। 	नोट किया जाता है।
iv.	<p>भंडार (इन्वेंट्री) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली</p> <ul style="list-style-type: none"> संस्थान द्वारा भंडार (इन्वेंट्री) का भौतिक सत्यापन किया गया है। 	नोट किया जाता है।
v.	<p>वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता</p> <ul style="list-style-type: none"> तुलनपत्र की तिथि के अनुसार छह महीने से अधिक समय तक कोई वैधानिक देय राशि लंबित नहीं थी। 	नोट किया जाता है।
ङ	<p>अनुदान सहायता</p> <p>आईयूसीए ने वर्ष के दौरान ₹75.87 करोड़ की अनुदान-सहायता प्राप्त की है (गैर-वेतन (ओएच-31): ₹32.46 करोड़, वेतन (ओएच-36): ₹21.21 करोड़ और पूंजीगत (ओएच-35): ₹22.20 करोड़) और 23-24 के लिए लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र के अनुसार पिछले वर्ष से ₹15.98 करोड़ का अव्ययित शेष आगे लाया गया है (गैर-वेतन (ओएच-31): ₹0.57 करोड़, वेतन (ओएच-36): ₹2.44 करोड़ और पूंजीगत (ओएच-35): ₹12.97 करोड़)। इसके अतिरिक्त, आईयूसीए ने इस वर्ष के दौरान ₹0.62 करोड़ का आंतरिक आय ब्याज संचित शेष उत्पन्न किया है (गैर-वेतन (ओएच 31): ₹0.33 करोड़ और पूंजीगत (ओएच 35): ₹0.29 करोड़)। इस प्रकार, कुल उपलब्ध निधियां ₹92.47 करोड़ आंकी गईं, जिसमें से आईयूसीए ने ₹72.36 करोड़ की राशि उपयोग की है (गैर-वेतन (ओएच 31): ₹33.36 करोड़, वेतन (ओएच 36): ₹19.54 करोड़ और पूंजीगत (ओएच 35): ₹19.46 करोड़) और लैप्ड अनुदान की वापसी/आंतरिक आय/ब्याज/संचित शेष ₹0.30 करोड़ (वेतन (ओएच 36): ₹0.01 करोड़ और पूंजीगत (ओएच35): ₹0.29 करोड़)। इस प्रकार, 31.03.25 को ₹19.81 करोड़</p>	नोट किया जाता है।

Handwritten signature

<p>का अव्ययित शेष रह गया (वेतन (ओएच 36): ₹4.10 करोड़ और पूंजीगत (ओएच 35): ₹15.71 करोड़, जिसमें ₹11.50 करोड़ की लाइन पर एफडीआर शामिल है)। आईयूसीएए ने ओएच 31 के अंतर्गत वर्ष के दौरान ₹33.41 करोड़ का व्यय किया। हालांकि, अनुदान के अंतर्गत ₹33.36 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। अतः प्राप्त अनुदान की सीमा तक व्यय दिखाया गया अर्थात् ₹33.36 करोड़।</p>	
---	--

4. सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, गांधीनगर

<p>क. क.1 क.1.1</p>	<p>तुलन पत्र देयताएं- चालू देनदारियाँ (अनुसूची 3) - ₹ 27.66 करोड़ शैक्षणिक संस्थानों के लिए लेखाओं के एकसमान प्रारूप के अनुसार, सभी संस्थानों को उपार्जन आधार पर लेखा रखना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत यह अनिवार्य है कि व्यय एवं दायित्व उस अवधि में मान्यता प्राप्त करें जिसमें वे उत्पन्न हुए हैं, न कि वास्तविक नकद बहिर्वाह के समय। लेखा परीक्षा के दौरान यह अवलोकन किया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरणों में ₹ 67.06 लाख की ज्ञात व्यय राशि के लिए, उस वर्ष से संबंधित दायित्व होने के बावजूद, कोई प्रावधान नहीं किया गया था। लेखा पुस्तकों में इस प्रकार के व्ययों की गैर-मान्यता के परिणामस्वरूप घाटे को तथा संबंधित दायित्वों को ₹ 67.06 लाख से कम दर्शाया गया है।</p>	<p>यूजीसी, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार, केंद्र ने विभिन्न बजट शीर्षों के अंतर्गत यूजीसी से अनुदान प्राप्त करने हेतु एक ट्रेजरी सिंगल अकाउंट खोला है। यूजीसी ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से बजट शीर्ष-31 (पेंशन एवं अनुरक्षण) के अंतर्गत ₹6.03 करोड़ की अनुदान-सहायता जारी की थी। केंद्र ने इस शीर्ष के अंतर्गत अनुदान-सहायता का पूर्ण उपयोग कर लिया, जिससे 31-03-2025 तक ₹1,376/- का शेष रह गया, जो बाद में पीएफएमएस पोर्टल पर अवक्रमित हो गया। केंद्र ने 31 मार्च 2025 तक बजट शीर्ष-31 के अंतर्गत उपलब्ध शेष के आधार पर बकाया व्ययों के लिए ₹38.37 लाख का प्रावधान भी किया था। तथापि, यदि 31 मार्च तक इस शीर्ष के अंतर्गत शेष सभी बकाया बिलों के लिए प्रावधान किया गया होता, तो व्यय वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त अनुदान-सहायता से अधिक हो जाते, जिससे कोई उपलब्ध शेष नहीं बचता। उपरोक्त के मद्देनजर, केंद्र ने मार्च, 2025 के लिए केवल संबंधित बजट शीर्षों के अंतर्गत उपलब्ध निधि की सीमा तक ही कुछ व्ययों का प्रावधान किया था (तैयार संदर्भ हेतु विवरण संलग्न)। निपटान के पश्चात, इन बिलों को सटीक वित्तीय प्रतिवेदन सुनिश्चित करने के लिए आगामी वर्ष के व्यय खाते में शामिल करने के स्थान पर, पूर्ववर्ती अवधि के व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ताकि यह स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके कि ये पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित हैं। तदनुसार, केंद्र ने व्ययों का निपटान पूर्ववर्ती अवधि के व्यय के अंतर्गत किया है। उपरोक्त अवलोकन को विधिवत नोट किया गया है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 31 मार्च तक के खर्चों के लिए पर्याप्त</p>
-----------------------------	---	--



		<p>प्रावधान हों तथा भविष्य के वित्तीय वर्षों के लिए किया जाता है।</p>
<p>क.2 क.2.1</p>	<p>परिसंपत्ति अनुसूची 2 (निर्धारित निधि) - ₹1,338,093,081</p> <p>केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस) योजना को मंजूरी दी। इस निर्णय के अनुसरण में, विभिन्न मंत्रालयों को इनफ्लिबनेट को निधि अंतरित करने के निर्देश दिए गए। दिसंबर 2024 से मार्च 2025 की अवधि के दौरान, इनफ्लिबनेट, गांधीनगर को विभिन्न मंत्रालयों एवं संस्थानों से कुल ₹ 1640.90 करोड़ की निधि प्राप्त हुई, जिसे इनफ्लिबनेट द्वारा निर्दिष्ट निधि के अंतर्गत लेखाबद्ध किया गया।</p> <p>वर्ष 2024-25 के लिए इनफ्लिबनेट के वित्तीय लेखा परीक्षण के दौरान यह प्रकट हुआ कि इनफ्लिबनेट, गांधीनगर ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए सदस्यता शुल्क के रूप में ₹1547.87 करोड़ का भुगतान किया। इसमें से केवल एक-चौथाई राशि, अर्थात् ₹386.97 करोड़, चालू वित्तीय वर्ष (जनवरी-मार्च 2025) से संबंधित थी, जबकि शेष ₹1160.90 करोड़ आगामी वर्ष 2025-26 (अप्रैल-दिसंबर 2025) से संबंधित थी। अप्रैल-दिसंबर 2025 से संबंधित राशि को पूर्व भुगतान व्यय के रूप में वर्गीकृत करने के स्थान पर, संपूर्ण राशि को निर्दिष्ट निधि के अंतर्गत व्यय के रूप में दर्शाया गया।</p> <p>इस लेखांकन उपचार के परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियाँ - पूर्व भुगतान व्यय (अनुसूची 8) तथा निर्दिष्ट निधि को ₹1160.90 करोड़ (अनुसूची 2) से कम दर्शाया गया।</p>	<p>भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, केंद्र को ओएनओएस योजना के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इस क्षमता में, केंद्र, केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा देश भर की सरकारी निधि से संचालित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को ऑनलाइन अकादमिक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, केंद्र घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों से प्रतिवर्ष जनवरी से दिसंबर तक कैलेंडर वर्ष के आधार पर ई-जर्नल की सदस्यता लेता है।</p> <p>केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को ओएनओएस योजना को मंजूरी दी। इस निर्णय के अनुसरण में, विभिन्न मंत्रालयों को इनफ्लिबनेट केंद्र के ओएनओएस बैंक खाते में निधि अंतरित करने के निर्देश दिए गए। तदनुसार, विभिन्न मंत्रालयों एवं संस्थानों से कुल ₹1640.90 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, जिसे निर्दिष्ट निधि के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।</p> <p>बाद में, उचित प्रक्रिया के पश्चात तथा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की स्वीकृति से, इनफ्लिबनेट केंद्र ने घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों को जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए सदस्यता शुल्क के रूप में ₹1547.87 करोड़ का भुगतान किया। इन व्ययों का विवरण अनुसूची-2: "निर्दिष्ट निधि" के अंतर्गत परिलक्षित है।</p> <p>यदि इन व्ययों को पूर्व भुगतान व्यय के रूप में माना जाता है, तो (i) अनुसूची-2 के अंतर्गत दर्ज व्यय, (ii) चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूर्व भुगतान व्यय, और (iii) लेखों में अव्ययित शेष के बीच असंगति के कारण उपयोग प्रमाणपत्र तैयार करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। अतः, पूर्व भुगतान व्यय पद्धति इस निर्दिष्ट परियोजना के लिए व्यवहार्य नहीं है। यह आगे सूचित किया जाता है कि एम. ओ. ई. द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार, कर्मचारियों को आवास निर्माण, वाहन एवं कंप्यूटर खरीद हेतु दिए गए अग्रिम को अनुसूची-8 - ऋण, अग्रिम एवं जमाएं में</p>

अतिरिक्त

		<p>शामिल किया जाएगा, जब तक कि चल निधि (निर्दिष्ट) स्थापित नहीं की गई है और अनुसूची-2 में शामिल नहीं हैं। इन दिशानिर्देशों के आधार पर, जब व्यय अनुसूची-2 - निर्दिष्ट निधि के अंतर्गत बुक किए जाते हैं, तो उन्हें अनुसूची-8- ऋण, अग्रिम एवं जमाएं के अंतर्गत दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं होती।</p> <p>यह मामला पहले से ही लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों में अनुसूची-23 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं नोट्स जो लेखों का अंग हैं, के अंतर्गत परिलक्षित है - ई-शोध सिंधु/ओएनओएस परियोजना के मामले में, केंद्र ने व्यय को नकद आधार पर मान्यता दी है।</p>
ख.	<p>सामान्य:</p> <p>लेखा परीक्षा के दौरान यह अवलोकन किया गया है कि निर्दिष्ट/अनुदान निधियों में निवेश के आँकड़ों का विभिन्न अनुसूचियों के मध्य समाधान नहीं किया गया है। अनुसूची 2 के अनुसार कुल निवेश ₹32.39 करोड़ है, जबकि अनुसूची 5 में ₹30.21 करोड़ परिलक्षित है, जिससे ₹2.18 करोड़ का अंतर है।</p> <p>इसके अतिरिक्त, अनुसूची 2 के अनुसार, निर्दिष्ट (एन-लिस्ट) निधि में निवेश ₹22.25 करोड़ है जबकि अनुसूची 5ए में यह आँकड़ा ₹22.37 करोड़ है, जिससे ₹11.15 लाख का अंतर है।</p> <p>यह असंगति अनुसूचियों के मध्य उचित समाधान के अभाव को दर्शाती है और एमएचआरडी द्वारा निर्धारित लेखाओं के एकसमान प्रारूप के अनुरूप नहीं है, जिसके अंतर्गत सभी संबंधित अनुसूचियों के आँकड़े सुसंगत एवं समाधेय होने चाहिए।</p>	<p>एक विस्तृत समाधान विवरण के साथ अद्यतन उत्तर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (केंद्रीय) को समयानुसार प्रस्तुत कर दिया जाएगा।</p>
ग.	<p>आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन</p>	<p>नोट किया गया।</p>
i.	<p>आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता</p> <ul style="list-style-type: none"> • ऑडिट में देखे गए क्षेत्र में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर्याप्त पाया गया। • 	
ii.	<p>आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता</p> <ul style="list-style-type: none"> • INFLIBNET में एक पर्याप्त इंटरनल ऑडिट सिस्टम स्थापित है (सालाना खातों का ऑडिट CA द्वारा किया गया है)। 	<p>नोट किया जाता है।</p>

Handwritten signature

iii.	<p>स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली</p> <ul style="list-style-type: none"> GFR के अनुसार स्थायी परिसंपत्तियों के रजिस्टर को ठीक से मेंटेन किया जा रहा है। GFR 2017 के अनुसार संस्थान द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों का फिजिकल वेरिफिकेशन सिस्टम पूरा कर लिया गया है। 	नोट किया जाता है।
iv.	<p>भंडार (इन्वेंट्री) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली</p> <ul style="list-style-type: none"> GFR 2017 के अनुसार संस्थान द्वारा इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया/पूरा कर लिया गया है। 	नोट किया जाता है।
v.	<p>वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता</p> <ul style="list-style-type: none"> INFLIBNET, गांधीनगर वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है। 	नोट किया जाता है।
घ.	<p>अनुदान सहायता:</p> <p>वर्ष के दौरान प्राप्त ₹16.05 करोड़ (ओएच 31 के अंतर्गत: ₹6.03 करोड़ तथा ओएच-36 के अंतर्गत: ₹10.02 करोड़) की अनुदान-सहायता में से, केंद्र ₹15.35 करोड़ (ओएच 31 के अंतर्गत उपयोग: ₹6.03 करोड़ तथा ओएच 36 के अंतर्गत उपयोग: ₹9.32 करोड़) की राशि का उपयोग कर सका, जिससे 31 मार्च 2025 को ₹0.70 करोड़ (ओएच:31 के अंतर्गत अव्ययित: ₹1,376 तथा ओएच 36 के अंतर्गत अव्ययित: ₹70,49,621) का अव्ययित अनुदान शेष रह गया।</p> <p>उपर्युक्त के अतिरिक्त, इन्फ्लिबनेट, गांधीनगर को 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' (ओएनओएस) योजना के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों से कुल ₹1640.90 करोड़ की निधि प्राप्त हुई और उसने संपूर्ण राशि का उपयोग कर लिया।</p>	नोट किया जाता है।

5. राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, (एनएएसी), बेंगलुरु

क. क.1 क1.1	<p>आय और व्यय खाता व्यय</p> <p>अकादमिक व्यय (अनुसूची 11)- ₹ 15.40 करोड़ वित्तीय वर्ष 2022-23 / 2023-24 से संबंधित ₹73.00 लाख के व्यय को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए चार्ज किया गया। उपरोक्त गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुसूची 11 के तहत शैक्षणिक व्यय का अतिप्रकटन और पूर्व अवधि के व्यय का कम प्रकटन ₹73.00 लाख से हुआ है।</p>	<p>अकादमिक व्यय के संबंध में आवश्यक सुधारालमक प्रविष्टि पारित कर दी गई है जिस वार्षिक लेखों में उचित रूप से शामिल कर लिया गया है और अनुसूची 11 में स्पष्ट मदों के रूप में प्रकट किया गया है।</p>
ख.	<p>सामान्य:</p>	<p>प्राप्तियों और भुगतान खातों में बंद होने वाली बैंक शेष राशि और अनुसूची 6 के तहत नकद और बैंक शेष राशि के बीच बेमेल होने से</p>



<p>ख.1</p>	<p>अनुसूची 6-बैलेंस शीट (2024-25) के तहत रसीदें और भुगतान खाते में बंद होने वाले बैंक शेष और नकद और बैंक शेष के बीच बेमेल</p> <p>वर्ष 2024-25 के लिए एन. ए. ए. सी. के वार्षिक खातों के सत्यापन में, यह देखा गया है कि प्राप्तियों और भुगतान खाते में बैंक खाते खोलने की शेष राशि (66,99,105-रुपये) बैलेंस शीट (12,22,65,105/- रुपये) की अनुसूची 6 के तहत नकद और बैंक शेष राशि से मेल नहीं खाती है। इसी तरह, रसीदें और भुगतान खाते में बैंक खातों की समापन शेष राशि (रुपये 2,18,137-) बैलेंस शीट (रुपये 7,32,08,137/-) की अनुसूची 6 के तहत नकद और बैंक शेष राशि से मेल नहीं खाती है।</p> <p>यह अंतर स्वीप खातों के एम. ओ. डी. शेष राशि को प्राप्तियों और भुगतान खातों में शामिल नहीं करने के कारण है। एमओडी शेष राशि को बैंक शेष राशि के रूप में माना जाता है और इसलिए इसे प्राप्तियों और भुगतान खातों में लिया जाना चाहिए। प्राप्तियों और भुगतान खातों को ठीक करने की आवश्यकता है।</p>	<p>संबंधित लेखा परीक्षा टिप्पणी का वार्षिक खातों में स्पष्ट रूप से खुलासा किया गया है।</p>
<p>ख.2</p>	<p>बही खातों एवं वार्षिक लेखा के बीच असंगति स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित एकसमान लेखा प्रारूप और जीएफआर 2017 के नियम 212(1) के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक लेखा उचित रूप से रखे गए बही खातों के आधार पर कड़ाई से तैयार किए जाने चाहिए, और प्रत्येक अनुसूची में शेष राशियां संबंधित बही खातों के साथ मेल खानी चाहिए।</p> <p>वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एनएएसी के वार्षिक लेखा के प्रमाणन लेखा परीक्षण के दौरान, यह देखा गया कि टैली में बही अनुसूची-वार तरीके से नहीं रखा गया था, और बही खातों के शेष एवं वार्षिक लेखा की अनुसूचियों में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के बीच राशियों में अंतर देखा गया, जैसा कि नीचे विस्तृत है।</p>	<p>प्राप्ति एवं भुगतान खाते में बंद बैंक शेष और अनुसूची 6 के अंतर्गत नकद एवं बैंक शेष के बीच असंगति से संबंधित लेखा परीक्षा टिप्पणी को सुधार दिया गया है और वार्षिक लेखा में स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है। अतः यह टिप्पणी समाप्त की जा सकती है।</p>

अनुसूची सं.	शीर्ष का खाता	के अनुसार राशि (₹)	के अनुसार राशि (₹)	अंतर
7	अकादमिक प्राप्तियां	76,52,22,000	82,19,53,433	(-)5,67,31,433
9	अन्य आय	30,43,79,656	27,65,03,447	2,78,76,209
10	स्टाफ भुगतान और लाभ	37,90,12,261	37,27,97,677	62,14,584
12	प्रशासनिक और सामान्य व्यय	2,12,71,066	20,75,48,925	(-)18,62,77,859

इसलिए, यह ज़रूरी है कि लेजर अकाउंट्स को टैली में शेड्यूल के हिसाब से मेटेन किया जाए, जैसा कि एनुअल अकाउंट्स में दिखाया गया है, और सही मिलान के साथ ताकि सटीकता और पालन पक्का हो सके।

सिंह

ग.	आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन	नोट किया जाता है।
i	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता <ul style="list-style-type: none"> संस्था के पास आंतरिक लेखा परीक्षण विंग नहीं है। 	
ii	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता <ul style="list-style-type: none"> एन. ए. ए. सी. का आंतरिक लेखापरीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जा रहा है और यह केवल 2018-19 तक किया गया है। 	नोट किया जाता है।
iii.	स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली <ul style="list-style-type: none"> स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन सक्षम प्राधिकारी द्वारा वार्षिक रूप से गठित एक समिति द्वारा किया जाता है और वर्ष 2023-24 के लिए पूरा किया जाता है। 	नोट किया जाता है।
iv.	भंडार (इन्वेंट्री) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली <ul style="list-style-type: none"> इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन सालाना आयोजित किया जाता है और 2023-24 अवधि के लिए पूरा किया जाता है। 	नोट किया जाता है।
v.	वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता <ul style="list-style-type: none"> संस्थान के सभी वैधानिक बकाया को निर्धारित तिथि के भीतर एकत्र और प्रेषित किया जाता है। 	नोट किया जाता है।
घ.	अनुदान सहायता संस्थान ने 2024-25 के दौरान ₹3.00 करोड़ (ओएच 36) की अनुदान-सहायता प्राप्त की। इसने ₹106.96 करोड़ (शैक्षणिक प्राप्तियां: ₹76.52 करोड़ और अन्य आय: ₹30.44 करोड़) की आंतरिक प्राप्तियां उत्पन्न कीं। कुल ₹109.96 करोड़ की निधियों में से इसने ₹73.45 करोड़ का उपयोग किया, जिससे 31 मार्च 2025 को ₹36.51 करोड़ का अव्ययित शेष रह गया।	नोट किया जाता है।

6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-परमाणु ऊर्जा विभाग (यूजीसी-डीईई) वैज्ञानिक अनुसंधान संघ (सीएसआर), इंदौर

क.	आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता	
i	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता <ul style="list-style-type: none"> आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त पाई गई क्योंकि प्रबंधन की अनुपालन लेखा परीक्षा 	नोट किया जाता है।

निष्कर्ष

	आपत्तियों के प्रति प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं थी क्योंकि 04/2018 से 08/2021 की अवधि से संबंधित 22 पैरे लंबित थे।	
ii.	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता <ul style="list-style-type: none"> वित्तीय वर्ष 2018-19 के बाद से आंतरिक लेखा परीक्षण नहीं किया गया है। 	नोट किया जाता है।
iii.	स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली <ul style="list-style-type: none"> वर्ष के दौरान स्थायी संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। 	नोट किया जाता है।
iv.	इन्वेंटरी के फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रणाली <ul style="list-style-type: none"> वर्ष के दौरान भंडार का भौतिक सत्यापन किया गया है। 	नोट किया जाता है।
v.	वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता <ul style="list-style-type: none"> वित्तीय वर्ष 2024-25 में कोई वैधानिक देय राशि बकाया नहीं पाई गई। 	नोट किया जाता है।
ख.	अनुदान सहायता वर्ष के दौरान, संस्थान ने ₹61.94 करोड़ की अनुदान-सहायता प्राप्त की। उपरोक्त के अतिरिक्त, उसके पास पिछले वर्ष का ₹5.69 करोड़ का अव्ययित शेष था। कुल उपलब्ध अनुदान ₹ 67.63 करोड़ में से, संस्थान ने ₹ 57.33 करोड़ के अनुदान का उपयोग किया, जिससे 31 मार्च 2025 तक ₹10.30 करोड़ की राशि अव्ययित रह गई। वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज एवं यूजीसी को वापस की गई राशि ₹22.23 लाख जो उपयोग प्रमाणपत्रों में भी दर्शाई गई है।	नोट किया जाता है।

7. इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंस (आईयूसीवाईएस), दिल्ली

क. क.1 क.1.1	तुलन पत्र देयताएं चालू देनदारियाँ और प्रावधान (अनुसूची 2)- ₹ 34.46 लाख मार्च 2025 के महीने के लिए ₹1.55 लाख के वेतन (फेलोशिप) व्यय देय को बही-खातों में नहीं लिया गया है। ऐसी देयता का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्ययों का ₹1.55 लाख से कम प्रकटन और चालू दायित्व एवं प्रावधानों का ₹1.55 लाख से कम प्रकटन हुआ है।	नोट किया जाता है।
क.2 क.2.1	परिसंपत्ति स्थायी परिसंपत्तियां वेबसाइट के विकास पर किए गए ₹40.89 लाख (परिशिष्ट 3) के व्यय को राजस्व व्यय के रूप में चार्ज कर दिया गया है, बजाय इसके कि इसे पूंजीगत कार्य	चूंकि यूजीसी से बजट शीर्ष-35 पूंजीगत अनुदान के अंतर्गत निधियां प्राप्त नहीं हुईं, वेबसाइट के विकास पर व्यय बजट शीर्ष-31 राजस्व अनुदान के अंतर्गत उपलब्ध अनुदान

Handwritten signature

	प्रगति (सीडब्ल्यूपीआई) के अंतर्गत पूंजीकृत किया जाता। इस उपचार के परिणामस्वरूप पूंजीगत कार्य प्रगति का ₹40.89 लाख से कम प्रकटन और व्ययों का उसी राशि से अतिप्रकटन हुआ है।	से किया गया। इसलिए, व्यय को राजस्व व्यय पर बुक किया गया।
ख. ख. 1 ख.1.1	<p>आय और व्यय खाता आय अनुदान/सब्सिडी (अनुसूची 6)- ₹ 1.14 करोड़ उपरोक्त अनुसूची राजस्व व्यय के लिए उपलब्ध और उपयोग किए गए अनुदानों को दर्शाती है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखांकन प्रारूप के अनुसार, यदि व्यय उपलब्ध अनुदान से अधिक है, तो राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया गया अनुदान, जो उपरोक्त अनुसूची में दर्शाया गया है, उपलब्ध अनुदान तक सीमित होना चाहिए और उपरोक्त अनुसूची में शेष राशि घाटे के बजाय शून्य दर्शाई जानी चाहिए।</p> <p>आई. यू. सी. वाई. एस. को ₹ 104.59 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ लेकिन चित्रित अनुदान आय ₹ 114.40 लाख थी। इसके परिणामस्वरूप ऋण, अग्रिम और जमा और अनुदान/सब्सिडी में 9.81 लाख रुपये की वृद्धि हुई है।</p>	<p>आईयूसीवाईएस की कोई आंतरिक आय नहीं है। बचत बैंक खाते पर ब्याज और अन्य आय के रूप में अर्जित आय भी यूजीसी को भुगतान की जाती है। सभी व्यय यूजीसी से प्राप्त उपलब्ध अनुदान से किए जाते हैं। कमी की भरपाई यूजीसी से की जाती है।</p> <p>अनुसूची-2 चालू दायित्वों के अनुसार ₹34.46 लाख देय हैं। अनुसूची-4 चालू संपत्तियों के अनुसार वाणिज्यिक बैंक खाते में ₹9.65 लाख उपलब्ध शेष हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूची-5 ऋण एवं अग्रिम के अनुसार बैंगलोर विश्वविद्यालय से ₹15.00 लाख प्राप्य हैं। उपलब्ध बैंक शेष और बैंगलोर विश्वविद्यालय से प्राप्य को समायोजित करने के बाद, ₹9.81 लाख का शेष यूजीसी से प्राप्य है।</p> <p>लेखा का अंतिमीकरण प्रावधानों, प्राप्य और देय सहित उपार्जन आधार पर तैयार किया गया है।</p> <p>पिछले वर्ष के प्रारंभिक शेष से पूरा किया गया अतिरिक्त व्यय राशि को अनुसूची-5 ऋण एवं अग्रिम में यूजीसी से अनुदान प्राप्य के रूप में परिलक्षित किया गया है।</p>
ग.	आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन:	
i.	<p>आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता</p> <ul style="list-style-type: none"> ऑडिट में देखे गए एरिया में आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त है। 	नोट किया जाता है।
ii.	<p>आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता</p> <ul style="list-style-type: none"> आई. यू. सी. वाई. एस. में कोई आंतरिक लेखा परीक्षण प्रकोष्ठ नहीं है। 	नोट किया जाता है।
iii.	<p>स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली</p> <ul style="list-style-type: none"> 31-03-2025 तक आईयूसीवाईएस के पास कोई स्थायी संपत्ति नहीं है। 	नोट किया जाता है।
iv.	<p>भंडार (इन्वेंट्री) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली</p> <ul style="list-style-type: none"> 31-03-2025 तक आईयूसीवाईएस के पास पुस्तकों और प्रकाशनों, स्टेशनरी और उपभोग्य सामग्री पर कोई भंडार (इन्वेंट्री) नहीं है। 	31/3/2025 तक पुस्तकों और प्रकाशनों, स्टेशनरी और उपभोग्य सामग्री पर कोई व्यय नहीं किया गया।

Handwritten signature

v.	वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता लेखाओं के अनुसार, 31-03-2025 तक वैधानिक देय राशियों के संबंध में छह माह से अधिक अवधि के कोई भुगतान विचाराधीन नहीं थे।	नोट किया जाता है।
घ.	अनुदान सहायता आईयूसीवाईएस ने 2024-25 के दौरान ₹75.00 लाख की अनुदान-सहायता प्राप्त की। इसका 1 अप्रैल 2024 को ₹29.59 लाख का प्रारंभिक शेष था। ₹104.59 लाख की कुल निधियों का पूर्ण उपयोग कर लिया गया, जिससे 31 मार्च 2025 को शून्य शेष रह गया।	नोट किया जाता है।

8. अंतर-विश्वविद्यालयी शिक्षक शिक्षा केंद्र, वाराणसी


क. क.1 क.1.1	आय और व्यय खाता व्यय व्यय कर्मचारी भुगतान एवं लाभ (स्थापना व्यय) - अनुसूची 15- ₹ 510.69 लाख उपरोक्त में 'अन्य वेतन एवं मजदूरी' के विरुद्ध ₹ 165.16 लाख शामिल है जिसमें अस्थायी एवं निश्चित-मजदूरी कर्मचारियों का वेतन एवं मजदूरी शामिल है, जबकि इसे 'प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय' (अनुसूची-17) के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 'स्थापना व्यय' को ₹ 165.15 लाख से अधिक तथा 'प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय' को उसी राशि से कम दर्शाया गया है।	अनुपालन के लिए नोट किया जाता है।
ख.	आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता	
i.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता केंद्र की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अपर्याप्तता निम्नलिखित कमियों से परिलक्षित होती है:	
	<ul style="list-style-type: none"> केंद्र द्वारा सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के जीएफआर-3ए प्रारूप के अनुसार दायित्व रजिस्टर संधारित नहीं किया गया है। 	अनुदान मासिक आधार पर प्राप्त होते हैं और निधि प्राप्त होने पर सम्मानित करने के लिए माँग-पत्र कतार में रखे रहते हैं। अनुदान की प्रत्याशा में कोई व्यय नहीं किया जाता है।
	<ul style="list-style-type: none"> केंद्र द्वारा सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के जीएफआर-3 प्रारूप के अनुसार रोकड़ बही संधारित नहीं की गई है। 	लेखा टैली सॉफ्टवेयर में रखे जाते हैं और आईयूसीटीई अगले वित्तीय वर्ष से लेखा संधारण के लिए समर्थ पोर्टल लागू करने का प्रयास करेगा। रोकड़ बही टैली सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है।

अक्षय

		बैंक समाधान विवरण इसकी शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु मासिक आधार पर तैयार किया जा रहा है।
ii.	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता <ul style="list-style-type: none"> केंद्र का आंतरिक लेखा परीक्षण वर्ष 2024-25 तथा पिछले वित्तीय वर्ष के लिए भी नहीं किया गया है, भले ही पिछली रिपोर्ट में यह इंगित किया गया था। 	इसे आई. यू. सी. शिक्षक शिक्षा की वित्त समिति और शासी बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा और निर्णय का पालन किया जाएगा।
iii.	स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली <ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2024-25 के लिए स्थायी संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। 	नोट किया जाता है।
iv.	भंडार (इन्वेंट्री) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली <ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2024-25 के लिए भंडार का भौतिक सत्यापन किया गया है। 	नोट किया जाता है।
v.	वैधानिक देय राशि के भुगतान की नियमितता <ul style="list-style-type: none"> केंद्र वैधानिक देय राशियों के भुगतान में नियमित है। 	नोट किया जाता है।
ग.	अनुदान सहायता वर्ष 2024-25 के दौरान, केंद्र ने ₹ 819.33 लाख अनुदान-सहायता तथा ₹ 155.99 लाख की अन्य प्राप्तियाँ प्राप्त कीं। ₹ 284.44 लाख के आरंभिक शेष को लेने के बाद, कुल उपलब्ध निधि ₹ 1259.76 लाख आई। केंद्र ने ₹ 1140.88 लाख की राशि का उपयोग किया, जिससे 31 मार्च 2025 तक ₹ 118.88 लाख का शेष रह गया।	नोट किया जाता है।


(जितेंद्र)
उप सचिव

जितेंद्र / JITENDRA
उप सचिव / Deputy Secretary
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Education, Govt. of India
नई दिल्ली-110 002 / New Delhi-110 002


(सुदीप सिंह जैन) 03/3/26
वित्तीय सलाहकार

सुदीप सिंह जैन / Sudeep Singh Jain
वित्तीय सलाहकार / Financial Advisor
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission.
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Education, Govt. of India
नई दिल्ली-110 002 / New Delhi-110 002

अनुलग्नक-1

31 दिसंबर, 2025 तक जारी लंबित उपयोग प्रमाणपत्र/अनुपयोगित शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना	संस्थान/विश्वविद्यालय	अनुदान जारी	अनुदान उपयोगित/व्ययित	अनुदान अनुपयोगित/अव्ययित	अनुपयोगित अनुदान वापस	ब्याज अर्जित	ब्याज वापस
1	ग्यारहवीं योजना पुनरावर्ती आवंटन/स्कूल ऑफ एजुकेशन की स्थापना	18 केंद्रीय विश्वविद्यालय	127	94.61	1.72	30.67	20.54	20.54
2	पूँजीगत परिसंपत्तियों का सृजन	42 केंद्रीय विश्वविद्यालय	938.87	740.69	196.39	1.79	48.98	48.98
3	ग्यारहवीं योजना जी.डी.ए.	144 राज्य विश्वविद्यालय	846.91	776.56	70.35			
4	ग्यारहवीं योजना की विलय योजना	144 राज्य विश्वविद्यालय	400.53	256.16	144.37			
5	बारहवीं योजना जी.डी.ए.	162 राज्य विश्वविद्यालय	1346.95	1302.15	44.80			
6	विशेष सहायता कार्यक्रम	104 विश्वविद्यालय	158.20	79.28	78.92	0	0	
7	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लुप्तप्राय भाषाओं के लिए केंद्रों की स्थापना	9 केंद्रीय विश्वविद्यालय	27.54	16.70	8.96	1.88	0.96	0.96
8	i. एन.एस.क्यू.ए. फ. - सामुदायिक कॉलेज	36 संस्थान	12.41	1.75	10.66			
	ii. बी.वोक. डिग्री कार्यक्रम	22 संस्थान	15.22	0.56	14.66			
	iii. डी.डी.यू. कौशल केंद्र	11 संस्थान	18.49	7.48	11.01			

खिलेश्वर

9	बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान-स्वायत्त कॉलेज	कालेजों	28.50	14.90	13.60			
10	संभावित उत्कृष्टता हेतु कॉलेजों (सी.पी.ई.) के लिए अवसंरचना अनुदान	कालेजों	81.41	48.77	32.64			
11	नेटवर्किंग संसाधन केंद्र (एन.आर.सी.) की स्थापना हेतु अनुदान	कालेजों	93.02	87.35	9.18		3.93	0.42
12	नेटवर्किंग संसाधन केंद्र (एन.आर.सी.) की स्थापना हेतु अनुदान	केंद्रीय विश्वविद्यालय	2496.93	2384.06	0.11	196.25	83.49	
13	ओ.बी.सी. अंतर्गत क्षमता विस्तार	डीम्ड विश्वविद्यालय	162.58	163.32	0.65	5.42	6.81	
14	मानवाधिकार एवं शिक्षा में मूल्य	विश्वविद्यालयों	0.03	0.01	0.02			
	कुल		6754.59	5974.35	638.04	236.01	164.71	70.90

Handwritten signature

